पुलिस विज्ञान

अंक-140 (जनवरी-जून-2019)

सलाहकार समिति

वरुण सिंधु कुल कौमुदी
महानिदेशक

वी. एच. देशमुख
अपर महानिदेशक

विकास कुमार अरोड़ा
महानिरीक्षक (वि. पु. प्रभाग)

शशि कान्त उपाध्याय
उप महानिरीक्षक : (वि. पु. प्रभाग)

संपादन सहयोग : सतीश चन्द्र डबराल

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से सम्बन्धित विषयों पर हिंदी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएँ आमंत्रित की जाती हैं। मूल प्रकाशित पुस्तकों पर 5 पुरस्कार रु.30,000/- प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है), दो पुरस्कार अनूदित मुद्रित पुस्तकों के लिए रु.14,000/- प्रति पुरस्कार (एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है)। योजना के भाग दो में रु.40,000/- के दो पुरस्कार हैं, जिसके लिए निर्धारित विषयों पर रूपरेखाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए **दिए गए विषय पर आवेदक उस विषय पर लिखने वाली पुस्तक में क्या-क्या सामग्री होगी व अध्यायों आदि का उल्लेख करते हुए 7-8 पृष्ठ की एक रूपरेखा को प्रस्तुत करना होगा** तथा महिलाओं के लिए आरक्षित विषय में भी उपरोक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रचनाएँ/रूपरेखाएँ भेजने की अंतिम तिथि सामान्यतः 30 सितंबर होती है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपादक (हिंदी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय), एन.एच.-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 से संपर्क करें।

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु अध्येतावृत्ति योजना

पुलिस विज्ञान तथा अपराध विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 6 अध्येतावृत्तियों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले 2 वर्ष रु.25,000/- तथा तीसरे वर्ष से रु.28,000/- प्रदान किए जाएँगे। विस्तृत जानकारी के लिए अनुसंधान अनुभाग, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in परं भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ आमंत्रित

पु.अनु.वि. ब्यूरो (गृह मंत्रालय) **पुलिस एवं कारागार** से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं को उनके सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए उपनिदेशक (अनु.) एवं सहायक निदेशक (अनु.), एन.एच. 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037 पर संपर्क कर सकते हैं तथा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संपादकीय

'पुलिस विज्ञान' छमाही पत्रिका का जनवरी–जून, 2019 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य सम्बन्धित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य–प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावना से सम्बन्धित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रेस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिसकर्मी के साथ सभी वर्गों के लिए उपयोगी हैं।

इस अंक में इस बार पुलिसकर्मियों के लिए **हिंसात्मक व्यवहार का मनोविज्ञान और सुरक्षा बोध, घरेलू हिंसा रोकने में महिला पुलिस की भूमिका की सार्थकता, वानस्पतिक विष, पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम/सूचना कक्ष, पुलिस–जनता सम्बन्ध : भारतीय परिप्रेक्ष्य, पुलिस की प्रभावशीलता में अभिप्रेरणा का महत्व, आतंकवाद तथा देश की वर्तमान स्थिति, भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम में पुलिस की भूमिका से** सम्बन्धित लेख हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे।

आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

संपादक

लेखकों से निवेदन

यदि 'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशन के लिए आपके पास पुलिस, शांति-व्यवस्था, अपराध न्याय-व्यवस्था आदि पर कोई लेख है या आप लेख लिखने में सक्षम हैं तथा रुचि रखते हों तो अपने लेख यथाशीघ्र भेजें। अच्छे लेखों को प्रकाशित करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेख टाइप किया होना चाहिए तथा इसके सम्बन्ध में फोटो, चार्ट आदि हों तो उन्हें भी साथ भेजना चाहिए। प्रकाशित होने वाले लेखों पर समुचित पारिश्रमिक की व्यवस्था है। आप लेख को ई-मेल satishdabral13@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

यदि आपने 'पुलिस विज्ञान' से सम्बन्धित किसी विषय पर उपयोगी पुस्तक लिखी है और आप पुलिस विज्ञान में उसे कड़ी के रूप में प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो हमें पांडुलिपि भेजें।

यदि आप कर्मियों के कार्य को लेकर या अन्य किसी विधा में लिखने में रुचि रखते हों तो हम ऐसे साहित्य का भी स्वागत करेंगे।

यदि आपने 'पुलिस विज्ञान' से सम्बन्धित किसी हिन्दीतर भाषा के उच्चस्तरीय लेख का अनुवाद किया हो और आपके पास अनुवाद प्रकाशन का कॉपीराइट हो अथवा उनके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख/सामग्री भी प्रकाशनार्थ आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों में समुचित मानदेय देने की व्यवस्था है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित व अप्रकाशित है तथा इस पर कोई मानदेय नहीं लिया गया है। अनूदित लेख के कॉपीराइट के सम्बन्ध में भी सूचित करें।

विषय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए 'पुलिस विज्ञान' की नमूने की प्रति ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संपादक

पुलिस विज्ञान

एन. एच.-8, महिपालपुर,

नई दिल्ली-110 037

वेब साइट-डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.बीपीआरडी.एनआईसी.इन

वर्ष–37 जनवरी–जून, 2019

विषय सूची

सामाग्री	लेखक	पृष्ठ सं.
हिंसात्मक व्यवहार का मनोविज्ञान और सुरक्षा बोध	**डॉ. दिनेश कुमार गुप्त**	1
घरेलू हिंसा रोकने में महिला पुलिस भूमिका की सार्थकता	**डॉ. अर्चना शर्मा**	15
वानस्पतिक विष	**डॉ. बी.डी. माली**	30
पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम/सूचना कक्ष	**श्री इंदराज सिंह**	34
पुलिस–जनता सम्बन्ध : भारतीय परिप्रेक्ष्य	**श्री आर. पी. कोठियाल**	41
पुलिस की प्रभावशीलता में अभिप्रेरणा का महत्व	**डॉ. जोरावर सिंह राणावत**	48
आतंकवाद तथा देश की वर्तमान स्थिति	**श्रीमती नीलमणि शर्मा**	52
भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम में पुलिस की भूमिका	**डॉ. जालम सिंह**	70

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ेड. ख़ान, *नई दिल्ली,* **श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी,** *लखनऊ,* **प्रो. अरुणा भारद्वाज,** *नई दिल्ली,* **प्रो. जे.डी. शर्मा,** *सागर (म.प्र.)* **प्रो. स्नेहलता टण्डन.** *नई दिल्ली,* **प्रो. वी.के. कपूर,** जम्मू, **डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी,** मेरठ, **डॉ. अरविन्द तिवारी,** मुम्बई, **डॉ. उपनीत लल्ली,** चण्डीगढ़, **श्री वी.वी. सरदाना,** फ़रीदाबाद, **श्री सुनील कुमार गुप्ता,** नई दिल्ली

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : जे.के ऑफ़सेट ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी–278, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फ़ेज़–1, नई दिल्ली–110 020

हिंसात्मक व्यवहार का मनोविज्ञान और सुरक्षा बोध

डॉ. दिनेश कुमार गुप्त

सहायक प्रोफ़ेसर

उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश

मानव स्वभावतः आरामपसन्द, आक्रामक, सुरक्षात्मक, सत्ताकांक्षी और उपलब्धि आवश्यकता से युक्त प्राणी होता है। उसके मनः जगत् में कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें वह किसी भी तरह हासिल करना चाहता है, तरीके जायज हों या नाजायज। मानव मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित 'आवश्यकता के पदानुक्रम मॉडल' के अनुसार ही साधारणतः आगे बढ़ता है। व्यक्ति सर्वप्रथम रोटी, कपड़ा और आवास आदि की व्यवस्था में लगा रहता है। इस आवश्यकता की सन्तुष्टि के पश्चात् मानव अगली आवश्यकता की ओर यानी सुरक्षा आवश्यकता की ओर अग्रसर होता है। इसी तरह क्रमशः संबद्धता की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और अन्त में आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहता है।

मैक्सीलैंड ने अपने सिद्धान्त 'उपलब्धि की आवश्यकता' में यह कहा है कि प्रत्येक जीवित प्राणी में अपने से उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है।

इसी तरह मर्रे ने भी शक्ति पर कई प्रयोग करके सिद्ध किया है कि व्यक्ति की यह इच्छा होती है कि उसके पास इतनी शक्ति हो कि वह जो चाहे, जैसा चाहे करने के लिए स्वतंत्र हो। उसके ऊपर किसी अन्य व्यक्ति का कोई दबाव न हो। समग्रतः छोटे शस्त्र व्यक्ति के निर्णयन प्रक्रिया के समय उपमार्ग (By pass) के रूप में चयनित होकर आवश्यकता, उपलब्धि और शक्ति की पूर्ति करने में सहायक होते हैं।

व्यवस्था जन्य असन्तुलन से उत्पन्न कुण्ठात्मक प्रवृत्ति, आक्रामकता एवं आपराधिक व्यवहार के बावजूद मानव मन आराम पसन्द और सुरक्षात्मक जीवन चाहता है। अचेतन मन में व्याप्त 'असुरक्षा की भावना (Sence of Insecurity)' जो उसके 'दैनिक व्यवहार ढाँचे (Daily Patterns of Behaviours)' चेतन मन को संकेत प्रदत्त करने के साथ ही साथ सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की चेतावनी व्यक्त करती रहती है। 'सुरक्षा बोध' की यह मानवीय भावना निर्णय विकल्प के रूप में लघु शस्त्रों के उपयोग हेतु सदैव आकृष्ट करती रहती है। फलस्वरूप, मानव सुविधानुसार हथियारों का रणनीतिक उपयोग आत्मरक्षार्थ की दलील देकर करता रहता है। हाल के दिनों में अपराधजन्य प्रवृत्ति पर्याप्त सुदृढ़ हुई है। प्रत्येक पल व्यक्ति की अस्मिता, आत्मा और अमन चैन दाँव पर लगी हुई होती है। अन्ततः मानव चेतन रूप से विवश होकर अन्याय, असुरक्षा और उत्पीड़न के विरुद्ध लघु शस्त्रों के धारण और उपयोग हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर आकृष्ट होता है। चूंकि शक्ति की यर्थाथवादी अवधारणा कुछ इन्हीं विचारों पर आधारित है जो मानव को शस्त्रों की होड़ की ओर आकर्षित करती है।

आक्रामकता तथा हिंसा एक वैश्विक समस्या है। यह समस्या भारतीय समाज के साथ-साथ सभी देशों में गम्भीर तथा जटिल बनती जा रही है।

आरनोल्ड बस (1961) के अनुसार, ''आक्रामकता का अर्थ वह व्यवहार है, जिससे दूसरे को नुकसान या कष्ट पहुँचता है।''

बरकोविट्ज (1975) के शब्दों में, आक्रामकता का तात्पर्य दूसरों के प्रति साभिप्राय क्षति या हानि से है।

डोनार्ड, डब, मिलर, मावरर एवं सीयर्स (1939) ने आक्रामकता को एक प्रतिक्रिया बताया है, जिसका लक्ष्य किसी जीवित प्राणी को चोट पहुँचाना होता है।

आक्रामकता किसी वस्तु के प्रति निदृष्टि एक व्यवहार है जिसका मूल उद्देश्य चोट पहुँचाना होता है। (वेइस 1969)

चैप्लिन (1975) के अनुसार, मनुष्य के अभिप्राय को निश्चित तथा निर्धारित करना कठिन है। कारण, यह एक काल्पनिक संकल्पना है। अतः चैप्लिन ने आक्रामकता की क्रियात्मक परिभाषा पर बल दिया है – आक्रामकता का तात्पर्य दूसरों के प्रति प्रहार करना या क्षति पहुँचाना है। अनादर, नुकसान, उपहास या आरोप करना, दण्ड देना, परपीड़क व्यवहारों में संलग्न रहना है।

इसी प्रकार कूपर तथा वरशेल (1979) ने कहा है, ''किसी लक्ष्य विशेष के प्रति हानि पहुँचाने के उद्देश्य से किए गए व्यवहारों को आक्रामकता कहते हैं।''

इसी विचार का समर्थन करते हुए रेबर (1995) ने व्यक्त किया है, ''आक्रामकता एक अत्यधिक सामान्य पद है, जिसका व्यवहार विभिन्न ऐसे व्यवहारों के लिए किया जाता है, जिनमें धावा, वैर भाव आदि निहित होते है।''

बेरान एवं वायनर्न (1977, 1981) के शब्दों में, ''आक्रामकता व्यवहार का वह प्रकार होता है, जिसका लक्ष्य उस जीवित प्राणी को क्षति अथवा चोट पहुँचाना होता है, जो इस व्यवहार का परिहार करने के लिए प्रेरित रहता है।''

उक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से आक्रामकता में सन्निहित विशेषताएँ निम्नवत् हैं –

- आक्रामकता एक व्यवहार है।
- आक्रामकता वह व्यवहार है, जो जान–बूझकर दूसरों को हानि, क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया जाता है।
- आक्रामकता या हिंसक व्यवहार जीव या प्राणी की ओर निर्देशित होता है।
- हिंसा में पीड़ित आक्रामक व्यवहार से बचने के लिए प्रयत्नशील होता है। यदि पीड़ित आक्रामकता या हिंसा से बचने की प्रेरणा नहीं रखता हो, तो इस तरह के व्यवहार को हिंसात्मक नहीं कहा जाएगा।

यद्यपि 'हिंसा' अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, जो राष्ट्रों के मध्य विभिन्न हितपरक व्यवहारों के परिप्रेक्ष्य में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसे में जब अन्तर्राष्ट्रीय हिंसा को संचालित, आयोजित एवं प्रायोजित करने के लिहाज से व्यवस्थित, सुनियोजित, कार्यक्रमबद्ध, समयबद्ध एवं अवसरबद्ध व्यापक स्तर पर 'अन्तर्राष्ट्रीय हिंसा संजाल' राष्ट्रीय एवं अराष्ट्रीय तत्वों द्वारा छद्म, स्वार्थपरक हितों के रक्षार्थ पंक्तिबद्ध हो तो समस्या की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रों के दीर्घकालीन हितों के मद्देनजर 'हिंसात्मक व्यवहार' कभी भी किसी रूप में अनुकरणीय नहीं हो सकता। जबकि 'अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्निर्भरता' को केन्द्र में रखकर आर्थिक नीतियों को लागू करना स्वाभाविक होता जा रहा है। एक समय था, जब राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्धों की दशा व दिशा को निर्धारित करते थे जबकि तेजी से बदलती हुई सामायिक परिस्थितियाँ आर्थिक सम्बन्धों को प्राथमिकता देती हैं जो राजनीतिक, रणनीतिक सम्बन्धों हेतु आधार स्तम्भ का कार्य करता है। समग्रताः हिंसात्मक व्यवहारों के नियमन हेतु प्रभावी कदमों को उक्त आलोक में देखा

जाना चाहिए। शेष अन्य घटक स्वमेव हल हो जाने की कूव्वत रखते हैं।

हिंसात्मक व्यवहार के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को क्षति पहुँचाई जाती है। हिंसा का स्वरूप वाचिक अथवा भौतिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। भौतिक आक्रामकता से तात्पर्य क्रोध के शिकार व्यक्ति के शारीरिक क्षति से है, अर्थात् उस व्यक्ति को हाथ अथवा हथियार से पहुँचाई गई क्षति। अपमानित अथवा भयभीत वाचिक आक्रामकता के दायरे में आता है। इस तरह सक्रिय और निष्क्रिय रूप में भी आक्रामकता को पारिभाषित किया जा सकता है। जब आक्रामक व्यक्ति अपने लक्ष्य व्यक्ति पर आक्रमण कर उसे भौतिक अथवा शारीरिक रूप से चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, तब उसे 'सक्रिय आक्रामकता' की संज्ञा दी जाती है जबकि निष्क्रिय आक्रामकता के अन्तर्गत आक्रामक व्यक्ति अपने लक्ष्य व्यक्ति की सामान्य दिनचर्या में अवरोध अथवा अड़चनें उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है।

हिंसात्मक व्यवहार के इस तरह के प्रदर्शन को व्यक्ति समूह व्यवहार में लाते हैं। वैयक्तिक एवं सामूहिक स्तर पर उत्पन्न हिंसात्मक व्यवहार प्रायः आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, अलगाववादी संगठन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के कारणों से व्यवहार में लाते रहते हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा तथा विधि एवं व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं।

व्यक्ति आक्रामक व्यवहार क्यों करता है? हिंसा के आधारभूत तत्व क्या है? इस सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख फेल्डमैन (1985) ने अपनी पुस्तक 'सोशल साइकोलॉजी' में किया है –

- **मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त** – आक्रामकता तथा हिंसा के कारण के बारे में दो तरह के मूल प्रवृत्ति सिद्धान्त मिलते हैं। **एक सिद्धान्त का प्रतिपादन फ्रॉयड ने किया जो मनोविश्लेषण पर आधारित है।** प्रत्येक व्यक्ति में दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं – जीवन मूल प्रवृत्ति (Life Instinct) तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति (Death Instinct)। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज (Eros) तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोज (Thanatos) कहा गया है। पहली मूल प्रवृत्ति रचनात्मक तथा स्नेहपूर्ण व्यवहारों का स्रोत है, जबकि दूसरी मूल प्रवृत्ति ध्वंसात्मक एवं घृणापूर्ण व्यवहारों का। अतः इस सिद्धान्त के अनुसार, हिंसा का आधार मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। इस मूल प्रवृत्ति की आत्मगत अभिव्यक्ति (Subjactive catharsis) के कारण व्यक्ति अपने आपको पीड़ा पहुँचाता है और कभी-कभी आत्महत्या कर लेता है। दूसरी ओर, वस्तुगत अभिव्यक्ति (Objective catharsis) के कारण वह दूसरों को पीड़ा पहुँचाता है और हत्या कर देता है। अतः फ्रॉयड के अनुसार आक्रामकता या हिंसा का कारण मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। हिंसा मानव प्रकृति का अभिन्न अंग है जिस पर वास्तव में व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता। **दूसरे सिद्धान्त का प्रतिपादन लारेंज (1966, 1974) ने किया।** फ्रॉयड ने आक्रामकता को ध्वंसात्मक माना है, जबकि लारेंज ने पशुओं का अध्ययन किया और कहा कि वे अपने आक्रमणकारी व्यवहारों के माध्यम से अनेक आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करके समायोजन या अनुकूलन स्थापित करते हैं। पशुओं पर किए गए अध्ययनों के आधार पर उन्होंने मानव व्यवहारों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने मुख्य रूप से दो बातों को समझने की कोशिश की है –

- **एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या क्यों करता है?** इस समस्या की व्याख्या करते हुए लारेंज ने बताया कि आक्रमण के समय खतरे के प्रति दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं–लड़ना (Fight) और भागना (Flight)। कमजोर पशु भाग खड़े होते हैं और सबल पशु भिड़ जाते हैं। मनुष्य के पास एक सुविधा यह है कि उसके पास लड़ने के लिए प्रभावशाली हथियार हैं। इसलिए दूसरी जातियों से भिन्न एक मानव दूसरे मानव की जान ले लेता है।

- मूल प्रवृत्ति आक्रमणशील कैसे बनती है? इस समस्या के सम्बन्ध में लारेंज ने बताया कि हिंसात्मक शक्ति बनती रहती है और जमा होती रहती है। जब वातावरण में कोई प्रतिकूल उत्तेजना उपस्थित हो जाती है तो वह संचित शक्ति सक्रिय हो जाती है और व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार करने लगता है। हिंसा की मात्रा संचित शक्ति की मात्रा पर निर्भर करती है।

- हिंसा के सम्बन्ध में यह विचार व्यक्त किया जाता है कि यह जानबूझकर किया गया कार्य है, जिसका उद्देश्य हानि या पीड़ा पहुँचाना होता है। एरोन्सन एवं उनके सहयोगियों के अनुसार, आक्रामकता दो तरह की होती है[1] –

- **उग्र आक्रामकता (Hostile Aggression)**

- **उपकरणीय आक्रामकता (Instrumental Aggression)**

उग्र आक्रामकता क्रोध के परिणामस्वरूप होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पीड़ा पहुँचाना होता है जबकि उपकरणीय आक्रामकता में दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाने का उद्देश्य तो होता है, परन्तु यह एक किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन होता है।

आक्रामकता क्यों होती है? समाज मनोवैज्ञानिक मायर्स ने निम्नवत् तीन आधार बताए हैं[2] –

(1) जन्मजात आक्रामकता प्रेरक शक्ति होती है।

(2) आक्रामकता प्राकृतिक प्रत्युतर विफलता का होता है।

(3) आक्रामक व्यवहार दूसरे सामाजिक व्यवहारों की तरह सीखा हुआ होता है।

अनेक सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने आक्रामकता को सीखा हुआ सामाजिक व्यवहार माना है। इनके अनुसार, आक्रामकता अपने प्राथमिक रूप में एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक व्यवहार है जो उसी प्रकार अर्जित किया जाता है और बनाए रखा जाता है जैसे अन्य बहुत–सी सामाजिक क्रियाएँ। बरकोविट्ज (1974)[3], ए.एच. बस (1971)[4], और ए.बैण्डुरा (1973)[5] ने विभिन्न अध्ययनों द्वारा पुष्ट किया है।

उलरिच और उनके सहयोगियों (1963) ने चूहों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार सीख लेते हैं, वे ऐसे अनुभव हैं जिनमें वे आक्रमणकारी व्यवहार के लिए प्रत्यक्ष रूप से पुरस्कृत होते है[6]

उक्त अध्ययन मानव के उन हिंसात्मक व्यवहारों को मान्यता प्रदान करता है, जिनको पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिष्ठा, पद और पुरस्कार की प्राप्ति होती है।

हिंसक व्यवहार को वैज्ञानिक ढंग से समझने हेतु एण्डरसन और उनके सहयोगियों (1996, 97) ने 'सामान्य प्रभावकारी आक्रामक मॉडल' (General Affective Aggression Model-GAAM) प्रस्तुत किया। GAAM के अनुसार, तीन मूल प्रक्रियाएँ हैं –

(1) **उत्तेजना** – शारीरिक उत्तेजना तथा आवेश में वृद्धि।

(2) **भावात्मक दशाएँ** – शत्रुतापूर्ण भावनाओं को जाग्रत कर इसके सम्बन्धी चिन्हों को प्रकट करना, जैसे–क्रोधित मुख मण्डल।

(3) **संज्ञान** – व्यक्तियों को शत्रुतापूर्ण विचारों के चिन्तन के लिए प्रेरणा प्रदत्तीकरण अथवा शत्रुतापूर्ण क्षणों का स्मरण।[7]

जैसा यहाँ दर्शाया गया है–सामान्य प्रभाविक आक्रामक मॉडल बताता है कि मानव आक्रामकता कई विभिन्न कारणों से प्रकट होती है।[8]

हिंसक व्यवहार कभी भी शून्य में नहीं होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाएँ, जो शोषणपरक होती हैं, अन्ततः आक्रामक व्यवहार के प्रदर्शन का पथ प्रशस्त कर देती हैं। प्रायः आक्रमण उत्पन्नकारी दशाओं की प्रकृति बिल्कुल स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति दूसरे पर इसलिए आक्रमण करता है क्योंकि उसका अपमान उसने पहले कभी किया होता है।

आधुनिक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि व्यक्ति जब विफल हो जाते हैं तो सदैव आक्रामकता का प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। इसके स्थान पर वे अनेक विभिन्न प्रतिक्रियाएँ करते हैं जो उदासी, निराशा इत्यादि से लेकर सीधा प्रयास विफलता के स्रोत पर विजय प्राप्त करने का हो सकता है। सब प्रकार की आक्रामकता विफलता के कारण नहीं होती। व्यक्ति विभिन्न कारणों से आक्रमण करते हैं।

(Geen, 1968, Geen and Berkowitz, 1967; Pastore, 1952; Zill mann and Cantor; 1976) इत्यादि के अध्ययनों से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि ''यथार्थताः कुण्ठा हिंसात्मक व्यवहार की सहायिका और सारथी हो गए।''[9]

बर्कोविट्स (1989) द्वारा प्रस्तुत कुण्ठा–आक्रामकता सिद्धान्त के अनुसार, कुण्ठा द्वारा उत्पन्न क्रोध की उपस्थिति में आक्रमणशील व्यवहार करने की तत्परता उत्पन्न होती है। व्यक्ति हिंसात्मक व्यवहार करेगा या नहीं, यह सब आक्रमणशील संकेतों पर निर्भर करता है। आक्रमणशील संकेत वे उत्तेजनाएँ हैं जो अतीत में क्रोध, आक्रमण या आक्रामक उत्तेजकों से सम्बन्धित रही हों[10]

अन्याय और वंचन हिंसात्मक व्यवहार को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप कुण्ठा का तेजी से विकास होता है, जो हिंसात्मक व्यवहार का शक्तिशाली निर्धारक के रूप में उभर कर आता है।

फोल्गर और बेरोन (1996) में अपने अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष दिया है कि जब व्यक्ति को आशा, श्रम और लगन के अनुरूप न्याय नहीं प्राप्त होता, तब व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, शत्रुता अनुभव करता है और कुण्ठा महसूस करता है। फलतः व्यक्ति विधि और व्यवस्था के विरुद्ध हो जाता है।[11]

चरमैक, बर्मन एवं टेलर (1997) के अनुसार, हिंसात्मक व्यवहार शारीरिक अथवा मौखिक रूप से किसी व्यक्ति के उकसाने के कारण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है तो पहला व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। यह हमला विशेष रूप से उस समय अधिक होता है, जब सम्बन्धित व्यक्ति हानि पहुँचाना चाहता हो[12]

हिंसात्मक व्यवहार : आक्रामक संकेतों की भूमिका

सामान्यतया जब आक्रामकता पर अवरोध उच्च स्तरीय होते हैं अथवा हम जब निम्न स्तरीय क्रोध अथवा कुण्ठा की दशा में होते हैं, तब हमारे आक्रामक होने की संभावना पर्याप्त रूप से क्षीण हो जाती है, किन्तु समाज मनोवैज्ञानिकों ने इन परिस्थितियों में भी

आक्रामकता के घटित होने की संभावना से इंकार नहीं किया है। ऐसी ही परिस्थितियों में वातावरण में उपस्थित आक्रामकता के संकेत आक्रामकता को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आक्रामकता के संकेत बाह्य प्रकार के उद्दीपक होते हैं, जो किसी प्रकार से आक्रामकता से सम्बद्ध होते हैं। वातावरण में ऐसे संकेतों की उपस्थिति किसी व्यक्ति के द्वारा आक्रामक व्यवहार को प्रदर्शित किए जाने की सम्भाव्यता में वृद्धि कर देता है।

आक्रामक संकेत उन व्यक्तियों में जो क्रोधित किए जा चुके हैं अथवा जो आक्रमण के लिए तैयार किए जा चुके हैं, उनमें आक्रमण की प्रतिक्रिया को उभार देते हैं। ऐसे संकेत जितने अधिक उस स्थिति में होंगे उतने ही उच्च स्तर की आक्रामकता प्रदर्शित होगी, जैसे बन्दूक के ढेर अथवा पैने चाकू ऐसे संकेत हैं जो कि आक्रमण करने की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित कर देते हैं। ये संकेत बार-बार आक्रमणकारी क्रियाओं के साथ सम्बन्धित हो चुके होते हैं और धीरे-धीरे इनमें वह क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि वे जब सामने पड़ जाते हैं तो आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को उभार देते हैं।

प्रभावकारी रूप से आक्रामक होने के लिए प्राय: व्यक्ति अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश आपराधिक घटनाओं में बन्दूकों का उपयोग किया जाता है। आक्रामकता अथवा हिंसक व्यवहार से सम्बन्धित अनुसंधानकारों ने संकेतों के रूप में हथियारों के प्रभाव का अध्ययन किया है। छोटे शस्त्र यदि हिंसा का महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो इसकी अनुपस्थिति आक्रामकता की मात्रा को कम कर सकती है।

डायनर एवं क्रैण्डल (1979) के अनुसार, ''कैसे बारूद वाले हथियारों को रखने पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के कारण आक्रामकता की घटनाओं की आवृत्ति में न्यूनता उत्पन्न हुई है। सन् 1974 में जमैका देश की सरकार ने बारूद वाले हथियारों को रखने, दूरदर्शन एवं चलचित्रों द्वारा इन हथियारों के उपयोग के प्रदर्शन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगा दिया। प्राप्त निष्कर्ष में वर्ष भर के अन्दर की हत्या की घटनाओं में 14%, बलात्कार की घटनाओं में 32%, डकैती की घटनाओं में 25% और अकारण बन्दूक दागने की घटनाओं में 37% की कमी आई। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि अपराध की घटनाओं में आई उपर्युक्त प्रकार की न्यूनता अनेक अवरोध विरोधी उपायों का परिणाम थी, परन्तु हथियारों के उपयोग की न्यूनता ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।''[13]

निश्चित रूप से छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों के प्रसार में, आक्रामक संकेतों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।

इसी तरह बर्कोविट्स तथा लीपेज (1967) ने भी प्रयोग करके पता लगाया कि केवल हथियारों के होने पर बाह्य हिंसा की घटना में सुविधा हो गई है। हथियार इत्यादि वस्तुएँ तीव्र आक्रमण संकेत मूल्य प्राप्त कर लेती हैं क्योंकि इनका बार-बार और नियमित ढंग से सम्बन्ध आक्रामकता से रहा होता है। हथियार आक्रामकता से इतने घनिष्ठ रूप से आज हमारे समाज में संबंधित हैं कि वे आक्रामकता के सुनिश्चित संकेतों के रूप में घटित होने लगे हैं। हथियारों की उपस्थिति मात्र अन्य तटस्थ वस्तुओं की उपस्थिति की अपेक्षा आक्रामकता की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि कर सकता है।[14]

फ्रोडी (1975) ने भी अपने अध्ययन के आधार पर उक्त विचार को पुष्ट किया है। 15 विभिन्न समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधानों के

परिणामों से यह स्पष्ट हुआ है कि न केवल हथियार ही आक्रामकता के संकेत के रूप में प्रभावकारी होते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी आक्रामक व्यवहार के लिए संकेत के रूप में प्रभावकारी होते हैं जो आक्रामकता से किसी-न-किसी रूप में सम्बन्धित होते हैं। इस प्रकार व्यक्ति के दो प्रकार के व्यवहार प्रतिमान का वर्णन किया जा सकता है -

- **टाइप 'क' व्यवहार प्रतिमान**
- **टाइप 'ख' व्यवहार प्रतिमान**

टाइप 'क' व्यवहार प्रतिमान उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा सदैव शीघ्र और शत्रुता से मिलकर निर्मित हुआ है जबकि टाइप 'ख' में इन सबकी अनुपस्थिति है।

टाइप 'ख' की तुलना में टाइप 'क' व्यवहार प्रतिमान वाले व्यक्ति अधिक शत्रुतापूर्ण आक्रामक होंगे। टाइप 'क' व्यवहार प्रतिमान वाले व्यक्ति न केवल दूसरों के ऊपर इसलिए ही आक्रमण करते हैं कि यह एक लाभदायक साधन है, अपना उद्देश्य प्राप्त करने या अपने प्रतिद्वन्द्वियों से आगे बढ़ जाना है, वरन् वे टाइप 'ख' की तुलना में अधिक शत्रुतापूर्ण आक्रमण करते हैं। इनके हिंसा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि किसी प्रकार की हानि पीड़ित को पहुँचाएँ[16]

उक्त अध्ययनों के आलोक में यह कहा जा सकता है कि मानव व्यवहारों के हिंसात्मक होने हेतु छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों की उपस्थिति जहाँ एक ओर उत्प्रेरक का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर मानव अपने शत्रुतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से हथियारों के प्रसार को भी प्रोत्साहित करता है। हथियार भौतिक साधन का कार्य करते हैं जबकि अपमान, अन्याय और अनदेखी भावात्मक रूप से व्यक्तित्व विघटन करते हैं, जो आक्रामक व्यवहार की ओर उन्मुख होता है जिसका उद्देश्य मात्र लाभ अर्जित करना या प्रतिद्वन्द्वियों को प्रत्युत्तर देना रह जाता है। प्रतिकार की भावना समय-समय पर उपस्थित होती रहती है, जो व्यापक स्तर हिंसा का रूप ग्रहण कर लेती है जिसके फलस्वरूप अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अन्ततः विधि एवं व्यवस्था हेतु घातक सिद्ध होती है।

क्यों होती है हिंसा ?

एल. रॉबर्ट सडोफ ने अपनी पुस्तक 'वॉयलेन्स एण्ड रिसपान्सिबिलिटी (1978)' में हिंसा के कारणों को दो भागों में वर्गीकृत किया है -

- वैयक्तिक (Individual)
- सामाजिक-आर्थिक (Socio-Economic)
- वैयक्तिककरण को पुनर्विभाजित किया गया है, जो अग्रांकित है -
- जैविकीय
- मनोवैज्ञानिकी

जैविकीय कारक (Biological Causes)

जैविकीय कारक के अन्तर्गत हिंसात्मक व्यवहार का कारण मस्तिष्कीय रोग, अनुवांशिक एवं हारमोनल तत्व और एल्कोहल के फलस्वरूप मस्तिष्कीय दुष्क्रिया है। मस्तिष्कीय रोग फॉन्टल अथवा टेम्पोरल लोब में ट्यूमर, टेम्पोरल लोब विकृति और कुछ मनोगतिकीय क्षति के कारण होता है जो अन्ततः हिंसा को उभारता है। ''हिंसा के अनुवांशिक कारकों के अनुसार वैसे पुरुष अधिक आक्रामकता दिखलाते हैं जिनमें एक अतिरिक्त 'y' क्रोमोसोम (xyy) होता है।''[17] हिंसा में नशीली दवाएँ एक महत्वपूर्ण कारक है। नशीली दवाइयाँ मानव व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। शराब का नशा बहुधा हिंसा में वृद्धि करने वाला समझा जाता है। चरस, भांग, गांजे का नशा इसके विपरीत हिंसा में कमी ला देता है।

ड्रग्स की भूमिका हिंसा हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि विभिन्न ड्रग्स मस्तिष्कीय क्रिया को प्रभावित करती हैं। इस सन्दर्भ में एल्कोहल एक मुख्य ड्रग है, जो फॉन्टल लोब प्रक्रिया को प्रभावित करती है, साथ ही व्यक्ति अर्जित सामाजिक नियंत्रण खो बैठता है, जो सामान्यतया हिंसात्मक कार्यों को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है।

टेलर ओर उनके सहयोगियों (1975, 1976) के अध्ययनों में पाया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा जब शराब कम मात्रा में पी गई तो उसने आक्रामकता को रोका, परन्तु जब अधिक मात्रा में पी गई तो हिंसात्मक व्यवहार तीव्र हो गया। ऐसा उस अवस्था की तुलना में हुआ जबकि कोई भी नशा नहीं किया गया था। यह भी पाया गया कि अधिक मात्रा में शराब पीने पर भी हिंसा में उस समय तक वृद्धि नहीं हुई, जब तक कि नशा करने वाले व्यक्ति को उत्तेजित न किया गया या उसे किसी न किसी रूप में चेतावनी नहीं दी गई।[18] तात्पर्य यह है कि कम मात्रा में पी गई शराब तो व्यक्तियों को कुछ प्रसन्न मुद्रा में ला देती है और आक्रमण करने की सम्भावनाएँ कम हो जाती हैं, परन्तु इसके विपरीत अधिक नशा आत्मावरोधों में ढिलाई ला देता है और आक्रमणकारी प्रवृत्तियाँ उभरने की अधिक सम्भावना हो जाती है।

अनुसंधानों में यह भी पाया गया है कि उन व्यक्तियों में, जिनमें आक्रामक व्यवहार करने की दृढ़ प्रवृत्ति होती है, वे वास्तव में अधिक आक्रामक हो जाते हैं। जब दो प्रकार के व्यक्ति नशे में भी नहीं होते हैं, किन्तु ये विभेद शराब पीने पर गायब हो जाते हैं। अधिक आक्रामक व्यक्ति जब नशे में होते हैं तो थोड़े–से कम आक्रामक हो जाते हैं जबकि कम आक्रामक व्यक्ति अधिक आक्रामक हो जाते हैं।

जेण्टर एवं टेलर (1992) यह सुझाव देते हैं, ''शराब वास्तव में एक स्थिति परक तत्व है, जो अति आक्रामक की घटना में योगदान देती है एवं इस प्रकार के प्रभाव विशेषकर उनमें अधिक दृढ़ पाए जाते हैं, जो सामान्यतया आक्रामक नहीं होते।''[19]

उक्त अध्ययनों में यह भी पाया गया कि भांग या गांजे का नशा सीमित मात्रा में हो तो हिंसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनका बड़ी मात्रा में सेवन करने पर इसमें अवरोध हो जाता है। साथ ही, अधिक मात्र में नशा करने से बाह्य हिंसा में कमी आ जाती है।

हिंसा को कारित करने में अहम् आधार व्यापक स्तर पर ड्रग तस्करी है। ड्रग के अवैध व्यापार से अकूत अवैध धन की प्राप्ति होती है। इस अवैध धन के बड़े हिस्से से हिंसा, आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, छायायुद्ध व निम्न तीव्रता संघर्ष इत्यादि को संचालित करने की नीयत से बड़ी मात्रा में छोटे शस्त्रों एवं हल्के हथियारों की खरीददारी की जाती है, जिससे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा के माध्यम से कथित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों द्वारा राजनीतिक एवं रणनीतिक मंसूबों को साकार करने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों के आय का मुख्य जरिया ड्रग्स का व्यापार हिंसात्मक गतिविधियों के संचालन के क्रम में संजीवनी सिद्ध होता है। व्यापार की सुरक्षा व हिंसा कारित करने के लिहाज से छोटे शस्त्रों का प्रसार स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि अध्ययन में जहाँ–जहाँ हिंसात्मक घटनाएँ देखी गई वहाँ वित्त की बेहतर व्यवस्था का स्रोत ड्रग तस्करी व छोटे हथियारों की उपलब्धता अहम् रही।

अवैध ड्रग्स का व्यापार हिंसा के एक बहुत बड़े कारण के रूप में उभरा है। अवैध ड्रग्स से अकूत धन की प्राप्ति होती है, जो असामाजिक व्यवहार व हिंसा के वर्धन में सहायक होती है। ड्रग एक ऐसा संसाधन है, जो सामयिक सुकून तो प्रदत्त

करता है, परन्तु दीर्घकालिक रूप से अभ्यस्त हो जाने के कारण आत्म-अवरोधक के सम्पूर्ण घटक ढीले पड़ जाते हैं या अनियंत्रित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आक्रामक प्रवृत्तियों को उकसाकर या बढ़ाकर अनचाहे ढंग से व्यक्ति को हिंसात्मक गतिविधियों में सम्मिलित किया जा सकता है, जो शान्ति एवं सुरक्षा को समय-समय पर चुनौती प्रस्तुत कर समग्र रूप से हिंसा को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।

मनोवैज्ञानिक कारक :

वैयक्तिक/सामूहिक हिंसा का प्राणियों के विकास में मनोवैज्ञानिकीय कारकों की भूमिका को अदृश्य नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक हिंसा के प्रधान कारक के रूप में हिंसा शत्रुतापूर्ण व्यवहारों की उत्पत्ति, कुण्ठा की भावना, अस्वीकरण, अमान्यता, असम्बन्धीकरण इत्यादि अनुभवों के सतत् एवं दीर्घकालीन तक बने रहने के फलस्वरूप होती है। शत्रुतापूर्ण भावना और हिंसात्मक व्यवहारों के विकास का एक मुख्य कारण 'भय की भावना' (Feeling of Fear) द्वारा होना आधुनिक समाज में देखा जा रहा है। विध्वंसात्मक व्यवहारों का एक निर्धारक उबाऊपन भी है। किशोर गुटों में प्रभावी रुचि की कमी होने के कारण एक अन्य कारक के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि किशोरों के आरंभिक दौर में गुट का सदस्य होने के कारण आपसी जुड़ाव बहुत मजबूत होता है। इस प्रक्रिया को 'निर्वेक्तीकरण' कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपना आत्मबोध खो देता है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं रह जाती। वह समूह में ही सोच पाता है और उसकी पहचान खत्म हो जाती है। इसी वजह से वह जो कुछ करता है, वह समूह में करता है और समूह न हो तो वह कुछ नहीं कर पाता है।

हाल के वर्षो में साधन हिंसा जीविका के रूप में विकसित हो रही है। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध और जनसंहार में तकनीकी विकास व्यक्ति/समूह को हिंसात्मक व्यवहार का विकल्प चुनने में सहायक हो रहा है।

फ्रॉयड ने मन के गत्यात्मक पक्ष उपाहं (id), अहं (Ego) और पराहं (Super Ego) के परस्पर टकराहट को हिंसात्मक व्यवहार का जनक माना है। उपाहं (id) व्यक्तित्व का जन्मजात उपतंत्र है, जो आनन्द के नियम (Pleasure Principle) द्वारा निर्देशित होता है। इसमें दो परस्पर विरोधी मूल प्रवृत्तियाँ (जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति) पाई जाती हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रणोद को उत्पादित करती हैं। अहं (Ego) मूलतः चेतन होता है, जो वास्तविकता के सिद्धान्त (Reality Principle) पर कार्य करता है। यह वास्तविक माँग तथा उपाहं (Super ego) के तात्कालिक तुष्टि के मध्य मध्यस्थता करते हुए निर्णय लेता है। पराहं (Super ego) नैतिकता के नियम (Morality Principle) द्वारा निर्देशित होता है, जो सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता के आलोक में सही तथा गलत का निर्णय लेता है।

फ्रॉयड का यह मत है कि उपाहं (id), अहं (Ego) और पराहं (Super ego) जब अलग-अलग लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्तः क्रिया करते हैं, तो इससे व्यक्ति में आन्तरिक संघर्ष (Inner conflict) उत्पन्न होता है, जिसे अंतः मानसिक संघर्ष (Intra psychic confilict) कहा जाता है। अगर व्यक्ति अपने अंतः मानसिक संघर्ष का समाधान करने में असफल रहता है, तो इससे मानसिक विकृति उत्पन्न होती है, जो अन्ततः हिंसात्मक व्यवहार को जन्म देती है।

कार्ल रोजर्स के अनुसार, 'व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार एक ही प्रेरणा से नियंत्रित होता है जिसे 'वास्तविक प्रवृत्ति' (Actualizing Tendency) कहा जाता है। वास्तविक प्रवृत्ति से तात्पर्य प्राणी में सभी तरह की क्षमताओं को विकसित करने की

जन्मजात प्रवृत्ति से होता है, जो व्यक्ति को उन्नत बनाने तथा प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। इसके एक स्तर पर व्यक्ति जहाँ सिर्फ अपने आपको जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवित रखता है, वहीं इसके उच्च स्तर पर अपनी इच्छा एवं आवश्यकताओं की जाँच करने तथा अपनी क्षमता एवं अन्तः शक्ति पूरा करने की प्रवृत्ति भी दिखलाता है। व्यक्ति द्वारा अपने अन्तः शक्ति को जाँचने तथा उसे पूरा करने की प्रक्रिया 'आत्मसिद्धि' (Self actualization) कहलाती है। अगर व्यक्ति के बचपन की अनुभूतियों का स्वरूप कुछ इस तरह का होता है, जिससे उसकी आत्मसिद्धि के मार्ग में बाधा पहुँचती है और व्यक्ति वास्तविकता से अलग हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति से व्यक्ति में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है जो असामाजिक और आक्रामक व्यवहारों की उत्पत्ति करती है।

रोलों में के शब्दों में, जिन्दगी के तथ्य का सात्विक संदर्भ (ontological context) के बाहर कोई अर्थ नहीं होता है। सात्विक संदर्भ से तात्पर्य व्यक्ति के वर्तमान जिन्दा आत्मन (Living self) तथा आत्मन के चेतन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने अस्तित्व के लिए एक स्थायी आधार (Stable Foundation) के एक केन्द्र को सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है और जब इस केन्द्र को बाह्य बलों से धमकी मिलती है, तो व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सक्रिय या निष्क्रिय आक्रामक रुख अपना लेता है।

रोलों में के 'स्थायी आधार' को यदि आर्थिक आवश्यकता व सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो मानव आर्थिक रूप से सुदृढ़ व सुरक्षित होना चाहता है। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की विकासपरक नीतियाँ, जो मानव के विकास में सहभागी बनती हैं, तब तक तो ठीक अन्यथा मानव व्यग्र हो उठता है, जिसका परिणाम अन्ततः हिंसात्मक व्यवहार उन्मुखी हो जाता है, जिसे सिर्फ समय, संदर्भ और सुविधा की दरकार सदैव रहती है।

विक्टर फ्रैंकल ने एक विशेष आयाम, जिसे 'आध्यात्मिक जिन्दगी' (spritual life) कहा है, को पर्याप्त महत्वपूर्ण माना है। इनके अनुसार, व्यक्ति के व्यवहार का सबसे प्रमुख प्रेरक अर्थ की इच्छा (will-to-Meaning) है, न कि आनन्द की इच्छा (will-to-pleasure) और न ही शक्ति की इच्छा। (will-To-Power) अर्थ की इच्छा से तात्पर्य अपने कुण्ठित, जटिल एवं सीमित अस्तित्व के लिए कुछ उचित कारण ढूँढ़ने से होता है। व्यक्ति इस ढंग के अर्थ को तभी समझ पाता है, जब उसे मूल्य (value) का अनुभव हुआ हो। व्यक्ति के मूल्य का विकास स्वकार्यों, अन्य लोगों के स्नेह तथा प्रेम एवं तकलीफ या दुःखों का सामना करने से होता है। फ्रैंकल के अनुसार, जब व्यक्ति के इस मूल्य अर्जन क्रिया (Value Acquiring Process) में बाधा होती है तो उसमें 'मानसिक उपद्रव' उत्पन्न होता है। समग्रतः व्यक्ति अर्थ की खोज में रचनात्मक या विध्वंसात्मक कार्यों में से एक का चयन कर लेता है। विध्वंसात्मक कार्य का चयन हिंसात्मक एवं शत्रुतापूर्ण व्यवहार को जन्म देता है। फलतः व्यक्ति विध्वंसात्मक संगठन में 'स्व' को सम्मिलित कर एक नए जीवन का प्रारम्भ कर देता है। इस दिशा में छोटे शस्त्र एवं हल्के हथियार 'साधन हिंसा' का पथ प्रशस्त कर हिंसात्मक व्यवहारों को अभ्यास में परिणति कर आतंक को बढ़ावा देने में अहम साबित होते हैं।

रे.एस. क्लाइन का 'मॉडल आफ पॉवर मेजरमेंट' भी व्यक्ति या राष्ट्र के इच्छाशक्ति को विभिन्न उद्देश्यों के प्राप्ति के क्रम में अहमियत प्रदत्त करता

है। इन्होंने एक समीकरण के द्वारा शक्ति एवं इच्छाशक्ति के सहसम्बन्ध को प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित है –

Pp = [c+e+m] x [s x w]
जहाँ,
Pp = Perceived Power (आंकी हुई शक्ति)
P = Critical Mass (क्रान्तिक द्रव्यमान)
(जनसंख्या + भूगोल)
E = Economic Capability (आर्थिक क्षमता)
M = Military Capability (सैन्य क्षमता)
S = Strategic Purpose (स्त्रातेजिक उद्देश्य)
W= Will to Pursue (स्त्रातेजिक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु इच्छाशक्ति)

शक्ति चाहे व्यक्ति की हो या राष्ट्र की, इच्छाशक्ति ही व्यक्ति/राष्ट्र को रचनात्मक या विध्वंसात्मक कार्यो की ओर अग्रसारित करने में अहम् भूमिका को सम्पादित करती है। व्यक्ति/राष्ट्र यदि विध्वंसात्मक कार्यो का चयन करता है तो स्वाभाविक रूप से हिंसात्मक एवं शत्रुतापूर्ण कार्यों की ओर उन्मुखता होगी। फलतः शक्ति के दुरुपयोग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहाँ छोटे हथियार 'हिंसात्मक उपकरण' के तौर पर हिंसात्मक व्यवहार के वर्द्धन के क्रम में अहम् होंगे।

चूंकि [c+e+m] दीर्घकालीन परिवर्तन के द्योतक हैं, जबकि [s+w] अल्पकालीन परिवर्तन को धारण करते हैं। अतः Pp प्रधानतः [s + w] पर ही निर्भर करता है। स्त्रातेजिक उद्देश्य और इच्छाशक्ति ऐसे तत्व हैं, जो किसी भी तरह कि कार्यवाही, कार्यक्रम व योजना के क्रियान्वयन के क्रम में प्राथमिक तौर पर अहम् होते है। इसी वजह से व्यक्ति या राष्ट्र का रुख इन तत्वों से गहराई से प्रभावित होता है, जो कालान्तर में किसी भी व्यवस्था के प्रति मानदण्ड व मापदण्ड के मानिंद हमारे सम्मुख मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। साथ ही, विभिन्न खतरों/परिस्थितियों के प्रत्यक्षण के उपरान्त दशा व दिशा के निर्धारण के क्रम में अहम् होता है।

इसी तरह आर.डी. लांपिंग ने प्रतिपादित किया है, ''व्यक्ति के अस्तित्व का महत्वपूर्ण तथ्य उसके व्यक्तिगत सम्बन्ध (Personal Relationship) में होता है। इनके अनुसार, शत्रुतापूर्ण व्यवहार व्यक्ति में नहीं बल्कि उसका अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध से विकसित होता है। समाज, विद्यालय या परिवार व्यक्ति को गलत आत्मन (False Self) विकसित करने के लिय विवश करता है क्योंकि समाज अर्थहीन लक्ष्यों (Meaningless Goal) को प्राप्त करने के लिए करता है तथा दोहरे किस्म की सूचनाओं (Double Message) को देकर व्यक्ति के मन में तथ्यपूर्ण व्यवहार (Authentic Behaviour) के प्रति उदासीनता पैदा कर देता है। इन सबका संयुक्त परिणाम यह होता है कि व्यक्ति का गलत आत्मन (False self) सत्य आत्मन (True Self) को ढक लेता है, जो अन्ततः व्यक्ति के व्यवहार को अवांछित बनाकर आक्रामक व्यवहार के अभ्यास हेतु प्रेरित करने में सक्षम हो जाता है।

लघु शस्त्रों के प्रसार हेतु ये सभी मनोवैज्ञानिक कारक अहम् सिद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में विभिन्न विध्वंसात्मक कार्यो में संलग्न संगठन एवं हथियार उत्पादक औद्योगिक घराने मानवीय कमजोरियों का कूटनीतीकरण का लाभ उठा रहे हैं। व्यावसायिक विवशता और वैयक्तिक विफलता के फलस्वरूप व्यक्ति एवं राष्ट्र और अन्तर्राज्यीय कार्यकर्ता का यह संयुक्त गठबंधन स्वहित में 'मानव के मानसिक कारक' को नकद करने में कोई कसर नहीं छोड़ पा रहे हैं। समग्रतः ये सभी कारक हिंसात्मक व्यवहारों को उकसाकर और लघु शस्त्रों का विकल्प अपनाकर अवांछित ध्येय की पूर्ति में संलग्न हैं।

सामाजिक आर्थिक कारक

वैयक्तिक मनोगत्यात्मक कारक, हिंसात्मक व्यवहारों की उत्पत्ति हेतु सामाजिक, आर्थिक कारकों के साथ सकारात्मक रूप से सहसम्बन्धित हैं। सामाजिक-आर्थिक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण निर्धनता है। ऐतिहासिक रूप से यह सर्व स्वीकार्य सत्य है कि निर्धनता और सामाजिक वर्गों के अपराध और हिंसात्मक घटनाओं का एक मान्य सहसम्बन्ध है।

विभिन्न समूहों के मध्य नृजातीय संघर्ष, निर्धनता, निम्नता, अस्वीकरण, बेरोजगारी और कुण्ठा हिंसा के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरे हैं।

इसके अतिरिक्त जनमाध्यम, विचारधाराओं में संघर्ष, वंचना, समाज का विभेदीकरण मानवीय हिंसा का कारण सिद्ध हो रहे हैं।

हाल के वर्षो में युवाओं में बढ़ती शैक्षिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप माता-पिता पर लम्बे समय तक निर्भरता बढ़ती जा रही है। यद्यपि उपाधि प्राप्ति के पश्चात् नौकरी का आश्वासन नहीं होता, फलतः बेरोजगारी बढ़ती है और संस्कृति विरोधी मानसिकता विकसित होकर अन्ततः युवाओं में हिंसा का आधार-बीज पनपने लगता है। वैश्विक स्तर पर हिंसा का संस्थानीकरण, सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचों को नष्ट कर युवाओं के आक्रामक व्यवहारों का मार्गदर्शन कर रहा है। मूलभूत आवश्यकताएँ, यथा-खाद्य, आवास, सुरक्षा एवं विचारधाराओं के संघर्ष मानवीय हिंसा बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं।

जहाँ राज्य शक्ति के द्वारा न केवल अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करता है, वहीं मनुष्य भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास करता है। चूंकि राज्य की नीति का उद्देश्य युद्ध/संघर्ष के उपयोग में सन्निहित रहता है।

क्लाज विट्ज के अनुसार, युद्ध का उद्देश्य अधिकतम हिंसा के द्वारा युद्ध के फलन को प्राप्त करना है। हिंसा द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा तभी विजय सुनिश्चित होगी। हिंसा की पराकाष्ठा ही व्यक्ति को विभिन्न समस्याओं के निदान, नियमन एवं नियंत्रण हेतु प्रोत्साहित करती है, जो अभाव, अन्याय, उत्पीड़न एवं महत्वाकांक्षा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होकर राष्ट्र को प्रेरित करती है। राज्य की नीति युद्ध/व्यक्तिगत संघर्ष सभी में हिंसा को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि हिंसा एवं राज्य के मध्य अटूट सम्बन्ध होता है, राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास में शक्ति का उपयोग करता है। चूंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, साथ ही राष्ट्र की एक इकाई भी। युद्ध/संघर्ष की समाप्ति होगी, परन्तु हिंसात्मक प्रवृत्ति का अंत होगा, यह जरूरी नहीं है। चूंकि प्रवृत्ति का निर्माण एक दिन में नहीं होता अपितु सतत् व्यवहार, प्रशिक्षण के फलस्वरूप जीवन पद्धति में समाहित हो जाता है। इसलिए मनुष्य आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में जब किसी तरह की बाधा महसूस करता है, तब-तब अपने स्तर से शक्ति के उपयोग के द्वारा बाधाओं को अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करता है। यह प्रयास हिंसात्मक भी हो सकता है और अहिंसात्मक भी। यह सब पूर्व प्रशिक्षण, प्रथा, अनुवांशिक प्रवृत्ति एवं परिवेश पर निर्भर करता है।

इसी तरह सुन्तजु भी अपनी पुस्तक 'दि आर्ट ऑफ वॉर' में युद्ध को राज्य के वृहद् कार्य के रूप में प्रत्यक्षण करता है। साथ ही, राज्य को अपने नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में जहाँ जिस तरह की हिंसा की जरूरत की वकालत भी करता है। अस्तित्व के अनुरक्षण हेतु राज्य को आवश्यकतानुसार शक्ति के उपयोग से परहेज नहीं करना चाहिए।

कौटिल्य भी राज्य की रक्षा, अस्तित्व, अस्मिता व अमन के अनुरक्षण हेतु शक्ति के उपयोग को जायज ठहराता है। राज्य के अस्तित्व को बचाने के क्रम में हिंसा का कोई भी रूप अपनाया जा सकता है। विष कन्या का उपयोग भी हिंसा का एक प्रकार कहा जा सकता है। दूसरी तरफ मनुष्य भी अन्याय, उत्पीड़न, अभाव से बचाव व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में हिंसात्मक पथ को तरजीह देता है। इस तरह राज्य व मनुष्य विभिन्न उद्देश्यों के मद्देनजर हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार कर हिंसात्मक व्यवहारों को प्रोत्साहित करते हैं, जो कालान्तर में घरेलू अशांति को जन्म देते है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम् सिद्धान्त, सम्प्रभुता व रक्षा को गहरी चोट पहुँचती है। वस्तुतः यह क्रम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर को ग्रहण कर लेता है। चूंकि घरेलू अशांति आंतरिक अस्थिरता को जन्म देती है, परिणास्वरूप शांति एवं सुरक्षा व विधि एवं व्यवस्था को सम्रगतः आघात पहुँचता है।

वंचित और सम्पन्न (have and have not) के मध्य दूरियाँ आक्रामक व्यवहारों के पनपने का अहम् उपकरण के रूप में निर्मित हैं। समग्रतः उक्त सभी कारक हिंसात्मक व्यवहारों को निर्देशित करते हैं। सम्मिलित रूप से समाज में व्याप्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कारक हिंसा का संस्थानीकरण कर जीविका के रूप में (as a job) अपनाने हेतु विभिन्न तरह के हिंसा सहयोगी विधियों की खोज निर्बाध रूप से जारी है, जो लघु शस्त्रों के प्रसार हेतु महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर इन विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारकों को भुनाकर असामाजिक तत्व विधि एवं व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा को सतत् आघात पहुँचाने में अभ्यासरत हैं।

सारांशतः यह कहा जा सकता है कि हिंसा विशेषकर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वैयक्तिक क्रोध जब परिस्थिति विशेष में सामूहिक रूप से प्रस्फुटित होता है, जो हिंसा का कारण बनता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके अनेक तत्वों को प्रतिपादित किया है, जैसे 'प्रबल संवेगात्मक', जिसका कारण सुरक्षा भावना, प्रतिष्ठा, रंग, जाति के भेदभाव, स्वार्थ, छल, कपट इत्यादि कुछ भी हो सकता है। 'पूर्ववर्ती परिस्थितियों', जैसे-मनमुटाव, वर्ग द्वेष, आन्दोलन इत्यादि इस क्रोध को भड़काते हैं। निम्न आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के कारण व्यक्ति विवेक से अधिक संवेग से, तर्क के स्थान पर 'अनुकरण' से एवं अपनी चेतना की जगह 'सुझाव से कार्य करता है'। मिथ्या दोषारोपण, भाषण, प्रचार, भय, घृणा, लोभ आदि का माध्यम लेकर 'नेतृत्व' करने वाला 'सामूहिक तनाव' को जन्म देता है। विनाश, संहार तथा विस्फोटक मार्ग दिखाकर तथा हिंसा के औचित्य का एक धार्मिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य बताकर सम्बन्धित नेतृत्व हिंसा प्रवृत्त लोगों का 'ध्रुवीकरण' करता है और उनकी 'दिशा' निर्धारित कर देता है। साम, दाम, दण्ड, भेद के उपाय 'उद्दीपक' का कार्य करते हैं। इसलिए किम्बल यंग के अनुसार, लोग 'कुछ' करने को तैयार हो जाते हैं। चूँकि उद्देश्य को छिपाए रखा जाता है या जान-बूझकर स्पष्ट नहीं किया जाता, फलस्वरूप 'उत्तेजना' प्रबल हो जाती है और अन्ततः नेतृत्व के इशारे की ओर व्यक्ति हिंसा हेतु जूझ पड़ते हैं।

मनोवैज्ञानिक ली बां, मार्टिन और मैकडूगल, सभी सहमत हैं कि भीड़ या समूह में मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। व्यक्ति बहुत शक्तिशाली तथा अविवेकी बन जाता है। व्यक्ति के इन्हीं मनोवैज्ञानिक कमजोरियों को नेतृत्व भुनाता है। फलतः उचित एवं जोशपूर्ण नेतृत्व तथा उत्साहवर्द्धक 'उद्दीपक' (साम, दाम, दण्ड, भेद), सामाजिक प्रोत्साहन, पूर्वाग्रहों, अभिवृत्तियों तथा विश्वासों का एक स्थान पर केन्द्रित हो जाना इत्यादि अनेक कारण व्यक्ति के भय को निर्मूल कर देते हैं। जीवन की

लालसा कम हो जाती है एवं मानव मूल्य द्वितीयक हो जाते हैं। साधारण–सा दिखने वाला व्यक्ति एक 'शक्तिशाली समूह' सी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में, 'मौत' को सहज स्वीकारने में सक्षम हो जाता है। इतनी लम्बी मनोवैज्ञानिक यात्रा के पश्चात् ही 'टकराव' का जन्म होता है, जिसे साधारणतया 'हिंसा' की संज्ञा दी जाती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. E.Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Social Psychology, 2nd Ed., Longman. New York, 1997, Peg.-437
2. Myers, D.G., Social Psychology, Mc Graw Hill, New York, 1993
3. Berkowitz, L., "Some Determinants of ImpulsiveAggresion : Role of Mediated Associations with Reinforcement for Aggression", Psychological Review, 1974, 81, Peg. – 165-176
4. Buss,A.H. "Aggression Pays" in the Control of Aggression And Violence, Editied by J.L. Singer, New York. Academic Press, 1971
5. Bandura,A. "Aggression :A social Learing Analysis, Englewood Chiffs, N.J. Prentice – Hall, 1973
6. Ulrich, R.E. and Associate, 'Ther operant Conditioning of Fighting Behaviour in Rats.' Psychological Record, 1963, 13 Peg. – 465-470
7. Deadly Assault : Empiricaltest of the Heat Hypothesis'. Jr. or Pers.And Soc, Psy., 73, 1997. Peg.-1213-1223
8. बैरन ए. रॉबर्ट और बायर्स, डॉन 'सामाजिक मनोविज्ञान', हिन्दी संस्करण, पीयरसन एजुकेशन लिमिटेड, प्रथम भारतीय प्रिण्ट 2004, पृष्ठ– 385.
9. Geen; R.G. 'Effects of Frustration, Attack and Prior Training in Aggressiveness upon Aggresive Behaviour.' Journal of Personality And Social Psychology, 1968, 9 Peg. – 316-321 Geen And Berkowitz 'Some Conditions Facilitating the Occurrence of Aggression After the observation of Violence', Journal of Personality 1967, 35, Peg. – 666-67
10. Barkowitz, L. 'Frustruation Aggression Hypothesis : Examination and Reformation'. Psychollogical Bulletin, 106, 1989, Peg. – 59-83.
11. Folger, F.; Baron, R.A. 'Violence And Hostility At Work :A Model of Reaction to Perceived Injustice'. 1996American Psychological Association, Washington, D.C. Peg. – 51-85 (Violent Behaviour : Role of Aggressive Cues)
12. Chermack, S.T.; Berman, M; Toylor, S.P. 'Effects of Provocation on Emotions And Aggression in Males', Aggressive Behaviour 23, 1997, Peg. – 1-10
13. त्रिपाठी, एल.बी., आधुनिक सामाजिक मनोविज्ञान, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2008 द्वितीय संस्करण, पृष्ठ–343.
14. Berkowitz. L, And page, A. Le; 'Weapons As Aggression Eliciting Stimuli', Journal of Personality And Social Psychology, 1967, 7 Peg. – 202-20
15. Frodi A. 'The Effect of Exposure to Weapans on Aggresive Behaviour from Across Culcural Perspective', International Journal of Psychology, 1975 10 Peg. – 283-292.
16. Baron, R.A.; Russell, G.W.Arms, R.I.; 'Negative IonsAnd Behaviour : Impact on Mood Memory And Aggression Among Type-A and Type-B Persons', Journal of Personality And Social Psychology, 1985, 48, Peg. – 746-754.

    Berman, M; Gladue, B; Taylour, S. 'The Effects of Harmons Type-A Behaviour Pattern And Provocation on Aggression in Men', MotivationAnd Emotion, 1993, 17 peg. – 125-138, 182-199
17. Sadoff, L. Robert; "Psychological Roots of Violence And Responsibility" Spectrum Publications, Inc. Jamaica, New York, 1978 Ed. Peg. - 12
18. Taylour , S.P.And Gammon, C.B. 'Effects of Type of Dose of Alcohol on Human Physical Aggression', Journal of Personality And Social Psychology., 32, 1975, Peg – 169-175

    Taylour. S.P., Gammon, C.B.And Capasso, O, 'Aggression As A Function of the Intereaction of Alcohol And Threat. ' Journal of Personality And Social Psychology. 34, 1976. Peg -938-941.
19. Ganter.A.B., Taylour, S.P. 'Human Physical Aggression As A function of Alcohol And Threat of Harm'. Aggressive Behaviour 1992, 18 Peg. – 29&36

❑

घरेलू हिंसा रोकने में महिला पुलिस की भूमिका की सार्थकता

डॉ. अर्चना शर्मा

उप प्राचार्या,

रींगस (सीकर) राज

देश की आधी आबादी का भविष्य विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश में संकटग्रस्त स्थिति में दिखाई दे रहा है। महिलाएँ घर की चार दीवारी में भी असुरक्षित महसूस करें, इससे अधिक लाचारी व विवशता क्या होगी? जब स्वतंत्र राष्ट्र में महिलाएँ अपने परिवार, सगे सम्बन्धियों, ईश्वर कहे जाने वाले पति परमेश्वर व अपने पिता के घर में भी अत्याचार, दुर्व्यवहार, हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि का शिकार होती हैं, क्या इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति गौण, निम्न, पीड़िता, शोषण, अत्याचारों व गुलामों की ही रहेगी? क्या हमारी शासन-व्यवस्था के सभी आधार स्तम्भ व्यवस्थापिका, सरकार, न्यायपालिका व मीडिया मौन व चुप्पी लगाकर कठपुतली बना तमाशा देखता रहेगा? क्या कानून-व्यवस्था, अपराधियों की खोजबीन व उन्हें सजा दिलाने वाली पुलिस इस दिशा में लाचार व विवश ही बनी रहेगी? शक्ति स्वरूपा नारी की समाज में यह दुर्दशा कब तक होती रहेगी? 'यत्र नार्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' जैसी कहावत वर्तमान समाज में क्षीण होती जा रही है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार, शोषण, यौन उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाएँ वर्तमान समाज में बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा देने जैसी प्रवृतियों के कारण उत्पीड़न व शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। यहां तक कि परिवार के निकट के रिश्तेदार माता, पिता, बहन, भाई, सास, ससुर, ननद, भाभी आदि सदस्यों द्वारा महिलाओं के साथ हिंसात्मक व्यवहार होता है तथा उत्पीड़न से महिलाओं को शारीरिक व मानसिक आघात पहुंचता है। दहेज की आग में आज भी महिलाओं को धकेल दिया जाता है। दहेज व्यापार की मंडी में आज भी उनकी खरीद-फरोख्त होती है। यह अत्याचार शहरी-ग्रामीण, शिक्षित-अशिक्षित, व्यावसायिक-अव्यावसायिक, गृहणी - नौकरीपेशा, बच्ची एवं अधेड़, सभी वर्गो में बढ़ रहा है। महिलाएँ घर की चार-दीवारी में भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें अपनों द्वारा ही प्रताड़ित होना पड़ता है व व्यंग्य बाणों से छेदा जाता है। उनकी अस्मिता, शुचिता पर आक्रमण किया जाता है। जब विषादपूर्ण स्थिति में उनका हृदय तार-तार हो जाता है तब भी उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं होता। पति और सास-ससुर की गालियां, अपशब्द, दुश्चरित्र की संज्ञा, उपेक्षा व मानसिक प्रताड़ना से बेबस और लाचार होकर वह मौन रहकर सब कुछ सहती है। घरेलू हिंसा व प्रताड़ना से त्रस्त महिलाएँ परिवार, बच्चों और समाज के लिए अपना समस्त जीवन दांव पर लगा देती है। **कवयित्री महादेवी वर्मा की ये पक्तियाँ कि** 'संसार परिवर्तनशील है, यहां बड़े-बड़े साम्राज्य बह गए, संस्कृतियाँ लुप्त हो गई, जातियाँ मिट गई, रीति-रिवाज बदल गए, रूढ़ियाँ टूट गई, सबकुछ बदल गया, पर स्त्रियों की दशा नहीं बदलती है। इस कथन के द्वारा यह आकलन किया जा सकता है कि महिला सशक्तीकरण के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

घरेलू हिंसा के कारण

घरेलू हिंसा एवं महिलाओं के साथ घटित अपराधों के लिए पुरुष प्रधान मानसिकता के साथ-साथ सामाजिक परम्पराएँ, बंधन, रूढ़ियाँ जिम्मेदार हैं। महिलाएँ वर्तमान सभ्य, सुसंस्कृत और आधुनिक समाज में भी पुरुष वर्ग द्वारा शासित व संचालित हैं। पुरुष वर्ग ने महिलाओं पर सदैव अपना शिकंजा कसा है। समाज में महिलाओं पर अपना वर्चस्व

कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कारण महिलाएँ विविध रूपों और विविध प्रकार के शोषणों का दंश झेलती हैं। तिरस्कार, उपेक्षा, शोषण, अपमान और अवमानना का विष पीती हैं और मूक पशु की भांति दिखाई देती हैं।

- समाज में पुरुषों की प्रधानता एवं महिलाओं को दोयम दर्जा देने की परम्परा
- लैंगिक असमानता और भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक, कानूनी प्रावधानों को सामाजिक स्वीकृति न मिलना।
- महिलाओं को हिंसा से बचाने हेतु बनाए गए कानूनी प्रावधानों का जमीनी स्तर पर लागू न होना।
- संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को निर्मित और लागू करने वाली सरकारी एजेंसियों में कार्यरत् व्यक्तियों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी।
- सार्वजनिक जीवन में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की कम उपस्थिति।
- बाजारीकरण ने प्यार व यौन सम्बन्धों को यौन वासना में बदल दिया है।
- स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता
- महिला साक्षरता प्रतिशत कम होना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव।
- सामाजिक कुप्रथाएँ- बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, आदि
- पारिवारिक झगड़े और तनाव
- घटते जीवन आदर्श या नैतिक मूल्यों का ह्रास

महिला हिंसा के बढ़ते अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित दर्ज मामले

क्र.सं.	अपराध की प्रकृति	वर्ष				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	बलात्कार	24206	24923	33707	36735	36651
2	बलात्कार का प्रयास	---	----	----	4232	4434
3	महिला अपरहरण	35565	38262	51881	57311	59277
4	दहेज हत्या	8618	82533	8083	8455	7634
5	महिलाओं के शील भंग करने के लिए उन पर किए गए हमले	42968	45351	70739	82235	82422
6	महिलाओं को लज्जित करना	8570	9173	12589	9735	8685
7	पति एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा लज्जित करना	99135	106527	118866	122877	113403
8	विदेशी महिलाओं का अपहरण	80	59	31	13	06
9	महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाना	---	---	---	3734	4060
अ	भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज कुल मुकदमे	219142	232528	295896	325327	314575
10	सती रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामले	0	0	0	0	0
11	महिलाओं के साथ अशोभनीय व्यवहार/प्रदर्शन	453	141	362	47	40

12	दहेज रोकथाम अधिनियम में दर्ज मामले	6619	9038	10709	10050	9894
13	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले	---	---	---	426	461
14	महिलाओं के विरुद्ध अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले	2436	2563	2579	2070	2424
15	महिलाओं के विरुद्ध कुल एस.एल.एल. अपराध	9508	11742	13650	12593	12819
	कुल योग (अ़ब)	228650	244270	309546	337922	327994

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, पिछले दस वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में दुगुनी वृद्धि हुई है। इन दस वर्षो में 22.4 लाख घटनाएँ दर्ज हैं। आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक एक घंटे में महिलाओं के प्रति अपराध की 26 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की गई। वर्ष 2015 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले चार वर्षो में महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महिलाओं के प्रति क्रूर व जघन्य अपराधों में बलात्कार प्रमुख रहा है।

वर्ष 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल बलात्कार की घटनाएँ 34,651 में से 33,098 घटनाएँ अर्थात् 95 प्रतिशत घटनाएँ सगे-संबंधियों और पड़ोसियों द्वारा अंजाम दी गई। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के आंकड़े वास्तविक जीवन में महिलाओं के साथ होनेवाली हिंसा का बहुत छोटा-सा हिस्सा हैं। सच्चाई यह है कि भारतीय समाज में महिलाएँ अपने प्रति होने वाले अपराध या अत्याचारों की रिपोर्ट को पारिवारिक दबाव व सामाजिक प्रतिष्ठा के भय से दर्ज नहीं कराती हैं, साथ ही कानूनी प्रक्रिया की अनभिज्ञता और सामाजिक साहस के अभाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाती हैं जबकि स्वीडन में विश्व मे सबसे ज्यादा अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होती है। इसी प्रकार से भारत में दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराधों के सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इसका कारण महिला समाज में चेतना का स्तर अधिक होना और राज्य मशीनरी की तत्परता है, परन्तु यह तथ्य भी सही है कि महिलाओं की प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है और पूरा समाज इस परिघटना से चिंतित है। महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने क्रिमिनल लॉ कानून में संशोधन करते हुए वर्ष 2018 में इसे मंजूरी दी। इसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है, पर इसके बावजूद हिंसा थमने का नाम नही ले रही। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और ऑनर किलिंग जैसे गंभीर अपराधों में महिलाओं की व्यापक संलिप्तता पाई गई है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने 8 अक्टूबर 2016 को निर्णय देते हुए घरेलू हिंसा कानून 2005 में संशोधन करते हुए यह निर्णय दिया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा कानून में केवल वयस्क पुरुषों के खिलाफ आरोप दाखिल करने की जगह महिला और अल्प वयस्क पुरुष के खिलाफ भी कानून के अनुसार आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

महिलाओं के प्रति हिंसा के कारणों के विवेचन, विश्लेषण और समाधानों के उपायों को महिला-पुरुष वर्ग से जोड़कर या केवल कानून-व्यवस्था की

समस्या के रूप में देखने की बजाय उसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में भी देखना होगा, जिसके अन्तर्गत पुरुष प्रधान मूल्यों और संस्कृति का विकास होता है और परम्परागत मूल्यों व रूढ़ियों की सतह में महिलाएँ हिंसा का विरोध नहीं कर सकती हैं।

घरेलू हिंसा से जुडे मुद्दे-

महिलाएँ प्राचीन काल से ही अत्याचार, शोषण व उत्पीड़न का दंश झेलती रही हैं। 'वृदहारण्यक', 'उपनिषद्', 'अथर्ववेद' एवं 'मनुस्मृति' में महिलाओं पर की जा रही हिंसाओं का उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में स्त्रियों पर अत्याचारों मे उत्तरोतर वृद्धि होती गई। महिलाएँ पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह एवं वेश्यावृत्ति जैसे बंधनों में जकड़ती गई। इसके कारण महिलाओं के लिए विकास के द्वार बंद हो गए।

तसलीमा नसरीन की पुस्तक 'औरत होने का दर्द' में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को रेखांकित किया गया है। महिला घर में अकेले विलम्ब से लौटती है तो उसे तर्कपूर्ण कारणों को स्पष्ट करना होता है। यदि वह गैर मर्दो के साथ देखी जाती है तो उसके चरित्र पर सन्देह होता है। वर्तमान में महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण व मारपीट जैसी घिनौनी हरकतें बढ़ती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या कोष और महिलाओं पर अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सात राज्यों में 9,205 पुरुषों से की गई बातचीत के आधार पर लिखी गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर 10 में से 6 पुरुष अपनी पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार करते हैं। यह हिंसा भावनात्मक, शारीरिक, यौन सम्बन्धी और आर्थिक होती है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट में भी देश में घरेलू हिंसा की व्यापकता की ओर संकेत किया है कि भारत में 14-49 वर्ष की 70 प्रतिशत महिलाएँ किसी-न-किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह उभरकर आया है कि देश में 25 वर्ष से कम उम्र की पत्नियाँ पति के उत्पीड़न का अधिक शिकार होती हैं। शिक्षित पत्नियों की अपेक्षा अशिक्षित पत्नियाँ घरेलू हिंसा का अधिक शिकार होती हैं। ऐसा भी अनुमान है कि हर 5 में से 2 विवाहित महिलाओं को घरेलू हिंसा के विष का घूंट पीना पड़ता है। पुरुष वर्ग की नशाखोरी, जुआखोरी व कुत्सित प्रवृत्तियों के कारण भी महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है। यही नहीं, आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी महिलाएँ विविध प्रकार से घरेलू हिंसा का जहर पीने को बाध्य हैं।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के अनुसार, घरेलू हिंसा से मिली शारीरिक चोटों से लेकर दीर्घकालीन अवसाद यानी डिप्रेशन तक स्वास्थ्य समस्याओं की सूची लंबी हो रही है, खासकर गर्भावस्था के दौरान घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप कम वजन के शिशुओं का जन्म हो रहा है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएँ अपने परिवार, अपने बच्चों की देखभाल, संरक्षण व विकास सक्षम व सुचारू रूप से सम्पादित नहीं कर पातीं। बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है तथा परिवार जैसी महत्वपूर्ण इकाई के विघटन की तलवार लटक जाती है। ऐसे परिवारों के विकास का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है ऐसे परिवार के बच्चों में हीनभावना, अवसाद, शंकालू, कमजोर मनोबल जैसी प्रवृतियाँ पनपने से समाज का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है व बच्चों के गैर कानूनी व सामाजिक अपराध के भंवर में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। घरेलू हिंसा का जहर परिवार के साथ-साथ पड़ोस, समाज व देश को भी झेलना पड़ता है पारिवारिक विघटन होने पर सामाजिक व्यवस्था चरमराने लगती है।

कन्या भ्रूण हत्या- शक्ति ज्ञान व सम्पत्ति की प्रतीक नारी को देवी तो मानते हैं, पर फिर उसे दुनिया में नहीं आने देते। अल्ट्रासाउंड तकनीक का विकास गर्भ में बीमारियों का पता लगाने के लिए किया गया था। यह तकनीक आज बच्चे के लिंग जांच कर कन्या भ्रूण हत्या का अचूक नुस्खे के रूप में इख्तियार की जा रही है। वर्ष 2011 के जनगणना सर्वे के अनुसार, 0-6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में प्रति एक हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या 914 रह गई। सन् 1991 में लड़कियों की संख्या प्रति हजार 933 तथा 2001 में 927 थी। सर्वेक्षण के मुताबिक, देश के बड़े शहरों - महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदि में 914 से भी कम प्रतिशत रहा। पंजाब व हरियाणा में यह आंकड़ा क्रमशः 846 तथा 830 रहा। सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के सर्वेक्षण से ये तथ्य सामने आते हैं कि भारत में वर्ष 1986 से लेकर 2006 में एक करोड़ बच्चियों को गर्भ में ही मार डाला गया। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति के अनुसार एशियाई देशों , विशेषकर भारत व चीन में 11 करोड़ 70 लाख कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई। भारत में प्रतिवर्ष 1 करोड़ 12 लाख गर्भपात होते हैं, जिनमें 67 लाख स्वाभाविक न होकर प्रेरित होते हैं, जो बालिका भ्रूण हत्या के निमित्त बनते हैं। देश में 1 करोड़ बालिकाओं की कोख में ही हत्या कर दी जाती है। इसे रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम 1994 के अन्तर्गत इस तरह गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करने वाले डॉक्टर को 50 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड के साथ तीन वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। सितम्बर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों से इस दिशा में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। ये आदेश वॉलेंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब की याचिका की सुनवाई पर दिए गए। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (पी.एन.डी.टी.) ऐक्ट के क्रियान्वयन पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि केन्द्र व राज्य सरकारें अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कड़ी नजर नही रखतीं। इसके कारण महिला लिंगानुपात की स्थिति बिगड़ रही है। राज्य सरकार द्वारा हेल्पलाइन टॉल फ्री नम्बर पर किसी व्यक्ति द्वारा (पी.सी.पी.एन.डी.टी.ए) के उल्लघंन तथा कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शिकायत सही पाए जाने पर मुखबिर को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

बाल विवाह- भारत में बाल विवाह जैसी समस्या सदियों से चली आ रही है। वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 47 प्रतिशत बालिकाओं का नाबालिग रहते हुए ही विवाह कर दिया जाता है। यद्यपि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर महाराष्ट्र में गर्भवती स्त्रियाँ पहले ही तय कर लेती है कि उनमें एक लड़का व दूसरी के लड़की हुई तो वे विवाह कर देंगी। राजस्थान में आज भी आखातीज के अवसर पर दूध पीते बच्चों को गोद में बिठाकर विवाह कर दिया जाता है। कम आयु में विवाह तथा सन्तानें होने व पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है। वे बीमार बनी रहती हैं। फलस्वरूप, मृत्यु दर बढ़ जाती है। औसत जीवन अवधि घट जाती है और सन्तानें दुर्बल पैदा होती हैं। सन् 1929 में पहली बार बाल विवाह रोकने के लिए अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष 1978 में इसे व्यापक रूप दिया गया है। सन् 2006 में निर्मित बाल विवाह अवरोध अधिनियम को 10 जनवरी 2007 से लागू किया गया। इस अधिनियम में बाल विवाह रोकने के लिए सशक्त कदम उठाए गए। इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वालो को दो वर्ष की सजा एवं एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। धारा-10 के तहत बाल विवाह सम्पन्न कराने वाले,

दुष्प्रेरित करने वाले को भी दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। नए अधिनियम की धारा-15 के तहत इसे दण्डनीय अपराध मानते हुए कठोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बाल विवाह की सूचना कोई भी जानकार थाने में जाकर दे सकता है। ऐसे में उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस पूछताछ कर दंडाधि कारी के पास रिपोर्ट भेजती है। इसके आधार पर बाल विवाह में लिप्त अपराधियों को सजा दी जाएगी। बाल विवाह करवाने वालो को 3 माह की कैद व 1000 रु. जुर्माना या कैद व जुर्माना, दोनों हो सकते है। पुलिस मौके पर पहुंचकर ऐसे विवाह को रुकवाने की कार्यवाही भी कर सकती है।

विधवा पुनर्विवाह निषेध विधवाओं को पति की मृत्यु के बाद नारकीय जीवन जीना पड़ता है। इससे सती प्रथा का प्रचलन हुआ, समाज में अनैतिकता व व्याभिचार में वृद्धि हुई। आर्थिक संकटों व पारिवारिक संघर्षों से तंग आकर ज्यादातर विधवाएँ वेश्यावृत्ति का पेशा अपना लेती हैं। विधवा विवाह निषेध होने से हिन्दू समाज की लाखों विधवाओं को दुखी जीवन जीना पड़ता है। उन्हें डायन, अनिष्टकारी जैसी संज्ञा दी जाती है। परिवार के नजदीकी रिश्तेदार एवं असामाजिक तत्व उसकी अस्मिता लूटने का प्रयास करते हैं। यदि वह जाल में फंस गई तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाता है।

सती प्रथा - प्राचीन समय से चली आ रही इस परम्परा में किसी महिला के पति की मौत होने पर उसकी पत्नी को अपने पति की चिता के साथ जीवित जला दिया जाता था, जो कि मानवाधिकारों के विरुद्ध था। सन् 1988 में भारत सरकार ने सती निषेध अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अन्तर्गत ऐसा करने के लिए उकसाने, दुष्प्रेरित करने पर मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास तथा आर्थिक रूप से दण्डित किया जाएगा। साथ ही, जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर को सती कर्म को रोकने इससे सम्बन्धित सम्पत्ति जब्त करने तथा सती पूजा-अर्चना के स्थानों को हटाने के अधिकार दिए गए हैं। यदि उनके इन कर्मो में कोई बाधा पहुंचाता है तो दण्ड व जुर्माने का भी प्रावधान है। इस आरोप में दोषी सिद्ध व्यक्ति को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जनप्रतिनिधित्व हेतु अयोग्य माना गया है।

दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या

गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1987 से लेकर 1991 तक दहेज के कारण हत्याओं में 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में देश में दहेज प्रताड़ना में 99,135 मामले, 2012 में 1,06,527 मामले व 2013 में 1,97,762 मामले दाखिल हुए। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2011 में 47,746 महिलाओं ने व 2012 में 46,992 महिलाओं ने आत्महत्या की। छोटे-छोटे घरेलू विवाद दहेज प्रताड़ना में तब्दील हो रहे है। कई बार वधू और उनके परिवार वाले अन्य मामलों में विवाद का बदला लेने के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। देश में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5,000 हत्याएँ दहेज से सम्बन्धित होती हैं। राजस्थान में वर्ष 2009 और 2010 में प्रति एक लाख महिलाओं पर 5 महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है। वर्ष 2012 में 8,233 महिलाओं की हत्या दहेज के कारण हुई।

घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय

पिछले एक दशक में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों व हिंसा का ग्राफ निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यद्यपि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अनवरत् कानून बनाकर महिलाओं को संवैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इनमें 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम

2005' इस दिशा में सबसे प्रभावी एवं व्यावहारिक कदम है, पर इसके बावजूद भी घरेलू हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। **महिलाओं में हिंसा के 38 प्रतिशत मामले घरेलू हिंसा का ही परिणाम होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की शीघ्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए पर दुनिया के अधिकांश हिस्सों में पुलिस ऐसी शिकायतों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। यहां तक कि बहुत ही कम देश ऐसे हैं जहां पर्याप्त महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाने और सुधारने के लिए शिक्षा, जागरूकता, प्रत्यायन आचार, सार्वजनिक प्रभाव और सामुदायिक कार्यों द्वारा ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना होगा। मोदी सरकार की प्राथमिकताओं की सूची में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च स्तर पर रही है, क्योंकि उन्होंने हर घर में शौचालय बनाने की बात रखी तो उसका सम्बन्ध नारी अस्मिता और शौच के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं से जोड़ा गया, जिसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है। गांव और कस्बों में रात के अँधेरे में जब महिलाएँ शौच के लिए निकलती थीं तब उनके साथ छेड़खानी या बलात्कार जैसी कितनी ही हिंसक घटनाएँ होती थीं। शौचालय बनने से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगी है।**

भारत में फास्ट ट्रैक अदालतों की सूची वर्ष 2011 की रिपोर्ट के अनुसार-

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2000	वर्ष 2005	वर्ष 2011
1	उत्तरप्रदेश	242	242	153
2	महाराष्ट्र	187	187	51
3	बिहार	183	150	179
4	गुजरात	166	166	61
5	पश्चिम बंगाल	152	119	109
6	राजस्थान	83	83	83
7	कर्नाटक	93	93	87
8	मध्यप्रदेश	85	66	84
9	आंध्रप्रदेश	86	87	108
10	ओडिशा	72	41	35
कुल		**1,734**	**1,562**	**1,192**

भारत में राज्यवार कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों की सूची (31.10.2014 को जारी)

क्र.सं.	राज्य	पारिवारिक न्यायालयों की संख्या
1	बिहार	33
2	मध्यप्रदेश	31
3	केरल	28
4	राजस्थान	28
5	आंध्रप्रदेश तेलंगाना	27
6	महाराष्ट्र	25
7	ओडिशा	17
8	गुजरात	17
9	दिल्ली	15
10	**कुल**	**410**

अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय व पंजाब में कोई पारिवारिक न्यायालय नहीं है।

राज्य व राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार

आयोग, महिला पुलिस, अधिकारियों व महिला पुलिस थाने, फास्ट ट्रैक अदालतें, पारिवारिक न्यायालय जैसे अनेक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की गई हैं, परन्तु महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कुछ मूलभूत प्रश्नों की ओर हमें अभी भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदासीनता पर समाज को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

विश्व में 125 से भी अधिक देशों में घरेलू हिंसा को गैर कानूनी घोषित किया गया है। भारत में घरेलू हिंसा को रोकने हेतु अनवरत् प्रयास किए गए। विभिन्न अधिनियम पारित करके महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया। इनमें –

1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम– 1929

2 हिन्दू महिलाओं के सम्पत्ति के अधिकार अधिनियम –1937

3 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम– 1954

4 हिन्दू विवाह अधिनियम– 1955

5 प्रसव लाभ अधिनियम –1961

6 दहेज प्रतिबंध अधिनियम –1961

7 गर्भवती उपचार अधिनियम– 1971

8 समान पारिश्रमिक अधिनियम –1976

9 बाल विवाह निषेध अधिनियम– 1976

10 स्त्री अपशिष्ट निरूपण अधिनियम –1986

11 सती निषेध अधिनियम– 1987

12 प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम –1994

13 भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम 2001

14 घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम –2005

15 उत्तराधिकार संशोधन कानून– 2005

16 महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध निवारण विधेयक– 2012

17 महिलाओं के खिलाफ जघन्य यौन अपराध विधेयक– 2013

घरेलू हिंसा अधिनियम– 2005 के तहत किए गए प्रावधान

नि:संदेह महिला सशक्तीकरण की दिशा में ठोस, व्यावहारिक व प्रभावी कदम साबित होगा। इस कानून के माध्यम से घरेलू महिलाओं को हिंसा, अत्याचार व उत्पीड़न से सुरक्षा मिलेगी। इस कानून के तहत शारीरिक, भावनात्मक व आर्थिक शोषण, धमकी, गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, अपमान करना, बच्चा नहीं होने पर या दहेज के लिए प्रताड़ित करना आदि घरेलू हिंसा की परिधि में समावेशित किए गए हैं। इस कानून के द्वारा ऐसी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान की गई है जो बिना विवाह बंधन के किसी पुरुष के साथ रह रही हैं। इस कानून के तहत महिलाओं से ऊंची आवाज में बोलने, ताने मारने, व्यंग्य करने तक को अपराध की श्रेणी में माना गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को गैर जमानती अपराध मानते हुए 1 वर्ष की सजा या 20 हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजाओं का प्रावधान रखा गया है। महिलाओं की आर्थिक व वित्तीय आवश्यकताओं की परिपूर्ति नहीं करना भी घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी भी हालत में घरेलू महिला को घर से निष्कासित नहीं किया जा सकता। यह अधिनियम महिलाओं को अत्याचार व प्रताड़ना के विरुद्ध सशक्त संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम को लागू करने से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है।

इस कानून को 5 भागों में बांटा गया है।

- प्रथम अध्याय में मुख्य बातों को पारिभाषित किया गया है।
- द्वितीय अध्याय में घरेलू हिंसा सम्बन्धी विशेष वर्णन व इससे सम्बन्धित विविध पहलुओं की व्यवस्था की गई है।
- तीसरे अध्याय में सुरक्षा अधिकारियों व सेवा प्रदाताओं के अधिकारों व कर्तव्यों का उल्लेख है।
- चतुर्थ अध्याय में प्रक्रियाओं व कार्रवाहियों की विस्तृत व्याख्या की गई है।
- पंचम में दण्ड अपराध व सुरक्षाकर्मियों व सेवा प्रदाताओं की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।

यही नहीं, इस कानून के अन्तर्गत सेवा प्रदाता (धारा–10) का भी प्रावधान किया गया है, जो कोई भी स्वैच्छिक संस्था या गैर सरकारी संगठन हो सकती है, जो चिकित्सा कानूनी व वित्तीय सहायता जैसे तरीके द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित हो तथा संस्था व कम्पनी राज्य सरकार के पास पंजीकृत हो।

26 अक्टूबर, 2006 से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू करके अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी–न–किसी रिश्ते में बँधी स्त्री शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की स्थिति में अदालत की शरण लेती है तो पुलिस मनमानेपन और भ्रष्टाचार से मुक्ति पा सकती है। यह कानून एक विधवा स्त्री के जीवन की सुरक्षा की गारंटी देता है। इस कानून के सहारे महिलाएँ कुछ सशक्त हुई हैं। अब उन्हें पारिवारिक औरत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन फरवरी 2013 में भा.दं.सं. के अन्तर्गत अलग अपराधी श्रेणी 326–ए और 326–बी में रखा गया है। इसके तहत पीड़िता को अपनी रक्षा के अधिकार के तहत हमलावर को जान से मारने का भी अधिकार दिया गया है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में बलात्कार जैसे अपराधों में अधिक कठोर दंड का प्रावधान किया गया है ताकि महिलाओं के प्रति अपराधों मे कमी आए, मगर कहीं–न–कहीं समन्वय और तालमेल की कमी से अक्सर अपराधी छूट जातें है।

घरेलू हिंसा को रोकने में पुलिस की भूमिका

घरेलू हिंसा से संबंधित घटनाओं में अधिकांशत: यह देखा गया है कि पीड़िताएँ अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचारों की रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करवाती हैं, जिसके कारण सामाजिक भय तथा पुलिस का डर रहता है। इसके अलावा वे पुलिस को पूरा सहयोग भी नहीं कर पाती हैं। वे घटित घटना के बारे में सही बयान तथा पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का जबाव सही रूप में नही देतीं। इससे पुलिस को अपराधी के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती और अन्वेषण में भी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि सारा केस पीड़ित के बयान पर ही आधारित होता है। यदि पीड़िता ही बार–बार बयान बदलती है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को बचने के अधिक अवसर मिल जाते हैं। यह भी देखा गया है कि महिलाएँ मायका या ससुराल पक्ष की सलाह या दबाव के कारण ही मुकदमे दर्ज करवाती हैं। अधिकांशत: पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसका व्यवहार उपेक्षापूर्ण और नकारात्मक दृष्टिकोण का होता है। वह केस की तहकीकात ठीक ढंग से नहीं करती या इसमें अधिक समय लगाती है। पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार ही अन्वेषण और अनुसंधान कार्रवाही करनी होती है। कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ आती हैं कि

पुलिस स्टाफ कम होने के या आपातकालीन स्थिति होने पर पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस ड्यूटी में बदलाव करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार कार्रवाही में विलम्ब भी हो जाता है। कई बार पीड़िता को मुकदमा दर्ज करवाने के बाद धमकियां, समझौता, प्रलोभन और दबाव से भी पुलिस को अवगत नहीं करवाया जाता। जब तक पीड़िता स्वयं पुलिस का सहयोग नहीं करेगी, पुलिस उचित कार्रवाही नहीं कर सकती है।

पीड़िताओं को क्यों पुलिस व अदालत की गैर जरूरी व लंबी कार्रवाही से होकर गुजरना पड़ता है। जबकि उनकी कोई गलती नहीं, सिवाय इसके कि वे औरतें हैं। रिपोर्ट लिखवाने के लिए जुल्म, अत्याचार की शिकार महिला को पुलिस थानों में घंटों बैठना पड़ता है। वहां यह नहीं देखा जाता कि पीड़िता पर क्या गुजर रही है? उसे पुलिस की पूछताछ व मेडिकल जांच से गुजरना पड़ता है। सालों पुरानी इसी प्रक्रिया के कारण महिलाएँ शोषण, यातना, अत्याचार सहने के बावजूद रिपोर्ट नहीं लिखवाती हैं। मेडिकल जांच किस बेरहमी व अमानवीय तरीके से की जाती है, यह बात भी किसी सबूत की मोहताज नहीं है। बलात्कार, हिंसक लूट, छेड़खानी, अत्याचार इन सभी की शिकार महिलाओं को रिपोर्ट लिखवाने के लिए घंटों बैठना पड़ता है। यह उनकी मानसिक यंत्रणाओं को बढ़ाने वाली बात है।

देश में पहली बार 14 दिसम्बर 2017 को हरियाणा सरकार द्वारा महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत 1,000 महिला पुलिस स्वयंसेवी नियुक्त की गई है ताकि पुलिस और समुदाय के मध्य एक समन्वय बनाते हुए हर ग्राम पंचायत पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए।

देशभर में आज भी पुरुषों के मुकाबले महिला पुलिस फोर्स में 7 प्रतिशत महिलाएँ ही कार्यरत् हैं। ऐसे में अक्सर महिलाएँ अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत करने में संकोच और लाज महसूस करती हैं। निःसंदेह यह एक व्यावहारिक समस्या भी है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में अलवर सामूहिक बलात्कार के मामले के बाद 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इसमें महिलाओं के अपराधों के लिए अलग से डीएसपी की नियुक्ति करना और महिलाओं की एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए प्रत्येक जिले में एस.पी. की व्यवस्था की गई है। यदि थाना प्रभारी एफ.आई.आर. लिखने से मना कर दे तो एस.पी. स्तर पर एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी और थाना प्रभारी से इस सम्बन्ध में जबाव तलब भी किया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में सकारात्मक पहल करते हुए राज्य सरकारों को पुलिस बलों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया। केन्द्र शासित प्रदेशों में सरकार यह कदम पहले ही उठा चुकी है। नीति आयोग ने भी कम-से-कम 30 प्रतिशत पदों पर सरकार से महिला पुलिसकर्मी की भर्ती की सिफारिश की है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में अच्छा प्रयास भी किया है। घरेलू हिंसा हो या दुष्कर्म का मामला, पीड़िता को इंसाफ के लिए भटकना न पड़े, इस हेतु वन स्टॉप सेंटर में पीड़िता की काउंसिलिंग, रिपोर्ट दर्ज कराने, कानूनी सलाह समेत रहने-खाने की व्यवस्था हेतु 1 अप्रैल 2015 से यह स्कीम कार्यान्वित की गई है। पहले चरण में प्रति राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में एक सेंटर स्वीकृत किया गया, साथ ही वर्ष 2016-2017 में दूसरे चरण में 150 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की गई। आधी आबादी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर 2017 को 'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार

दिवस' की थीम महिलाओं के प्रति हिंसा उन्मूलन रखी गई। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, तकनीक, स्वयंसेवी महिला पुलिस और समाज की इच्छा शक्ति, जो बदलाव लाना चाहती है, वह मात्र कागजों, भाषणों, चुनावी घोषणाओं और कानून बना देने मात्र से नहीं होगा बल्कि वास्तविकता के धरातल पर भी इसे लागू करना होगा।

महिला पुलिस की भूमिका

जनवरी 2011 को जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में महिला पुलिस थाने

क्र.सं.	राज्य	महिला पुलिस थाने (संख्या)
1	तमिलनाडु	196
2	उत्तरप्रदेश	71
3	आंध्रप्रदेश	32
4	गुजरात	31
5	राजस्थान	24
6	झारखण्ड	22
7	मध्यप्रदेश	09
8	पंजाब	05
9	छत्तीसगढ	04
10	हरियाणा	02

देश में डी.जी.पी., स्पेशल डी.जी.पी., ए.डी.जी.पी., आई.जी.पी., डी.आई.जी. स्तर की कुल 76 महिला अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं। अधिकारी से लेकर हेड कांस्टेबल तक में महिलाओं की संख्या 71,756 है। गृह मंत्रालय के अनुसार, मिलिट्री फोर्स में महिलाएँ मात्र 2.4 प्रतिशत है जबकि सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., आई.टी.बी.टी., सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल व असम राइफल्स की कुल संख्या बल 9.8 लाख है। इनमें महिलाएँ मात्र 5.33 प्रतिशत हैं।

देश का प्रथम राज्य अरुणाचल प्रदेश व हरियाणा दूसरा होगा, जहां सभी जिलों में महिला थाने हैं। हरियाणा में सभी 21 जिलों में एक-एक महिला थाने की शुरुआत 28 अगस्त 2015 रक्षाबंधन के अवसर पर की गई। महिलाओं से जुड़े विशेष अपराधों की जांच केवल महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी करेंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना व पुलिस प्रताड़ना व अत्याचारों से बचाना है।

हरियाणा सिविल सचिवालय के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल ने बताया कि महानिरीक्षकों व अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए महिला थाने स्थापित कर तैयारी की समीक्षा की गई। उन्होंने महिला पुलिस थानों में परामर्श केन्द्र खोलने के भी निर्देश दिए, ताकि पारिवारिक झगड़ों को अदालतों में ले जाने के बजाय उन्हें आपसी सुलह से निपटाने के प्रयास किए जा सकें। उन्होंने सी.एम. विंडो पर आने वाली हर तरह की शिकायतों पर कार्रवाही करने के निर्देश दिए।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों में बाल विवाह, दहेज हिंसा, महिला उत्पीड़न, विधवाओं पर अत्याचार आदि में एफ.आई.आर. से लेकर समस्त पुलिस कार्रवाही महिला पुलिस के द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि महिला पुलिस पीड़िता का दर्द व यातनाओं को ज्यादा भलींभांति समझ सकती है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष पुलिस का व्यवहार पीड़िता के प्रति अमानवीय व असंवेदनशील रहता है व सारे मामले का उत्तरदायी महिलाओं को ठहराते हैं और समझौता करने, समझाने-बुझाने के लिए उन पर दबाव बनाते हैं। महिला पुलिस थाने, महिला पुलिस अधिकारी व महिला न्यायाधीशों के द्वारा महिला हिंसा सम्बन्धी मामलों की जांच-पड़ताल व सुनवाई हो ताकि पीड़िता का समय पर व सही न्याय मिल सके।

अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए और आरोपों की समय रहते जांच की जाए ताकि निर्दोषों को ज्यादा दिन तक आरोपों का कलंक न ढोना पड़े। सरकार की नाकामयाबी को नकारा नहीं जा सकता भारत में बालिका यौन उत्पीड़न को न केवल पुलिस वाले अविश्वास की नजर से देखते हैं बल्कि मेडिकल परीक्षण के दौरान भी उन्हें अपमानित होना पड़ता है। हमारे देश में यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रशासन तंत्र उपयुक्त नहीं है। पुलिस मीडिया मेडिकल स्टाफ प्रशासनिक अधिकारी मुकदमों को खारिज करने में रहते हैं। ऐसे बुरे वक्त से बच्चे गुजरते हैं तो उन्हें परिवार की मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। पुलिस के पीड़िता के प्रति संवेदनशील व मददगार बनने से सम्बन्धित आवश्यक सुधार करने चाहिए। आज पूरी दुनिया के समक्ष बाल यौन उत्पीड़न एक बड़ी चुनौती है। जरूरत है कि अभिभावक बच्चों के साथ संवाद बनाए रखें।

इसे रोकने के लिए प्रत्येक जिले मे महिला सुरक्षा क्राइम प्रोटेक्शन सेंटर बनाए जाने चाहिए। यह सुविधा केवल राजधानी और बड़े शहरों मे ही है। शहरों मे महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ लेती हैं, पर गांवों में अधिकतर महिलाएँ शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी कई बार सोचती हैं। अतः गांवों तक महिला थानों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

महिला पुलिस की आवश्यकता से सम्बन्धित तर्क

- घरेलू हिंसा को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती। धारा-498 (ए) के तहत काफी अधिकार प्राप्त हैं, पर पुलिस की संवेदनशीलता व मानसिकता में बदलाव नहीं आया है।
- अभी भी घरेलू हिंसा के कई मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होती बल्कि रोजनामचे मे ही लिख लिया जाता है। आंकड़े बढ़ जाएँगे, अतः केस दर्ज नहीं होते हैं। गांव की औरतों को एफ.आई.आर. की प्रति भी नहीं दी जाती है।
- पति द्वारा मारपीट, मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस गंभीर मुद्दा नहीं मानती। उनके अनुसार, पति या ससुराल में मारा-पीटा गया तो क्या बात है? उन्हें शारीरिक चोट भी गंभीर समस्या नहीं लगती।
- पुलिस 498(ए) के मामलों में बिना प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है। पुलिस वाले पैसे लेकर औरतों को समझौते के लिए मजबूर करते है ताकि केस कमजोर बन जाए। समझौते में न तो घटना का विवरण होता है और न ही ऐसी बाध्यता कि पति भविष्य में उसे प्रताड़ित नहीं करेगा।
- डायन प्रथा, नाता, विधवाओं पर अत्याचार आदि मानसिक यंत्रणाओं के मुद्दे पर पुलिस तंत्र असंवेदनशील है। पुलिस इसे सामाजिक मुद्दा बताकर अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेती है।
- वर्तमान में हर पुलिस थाने पर कम-से-कम एक या दो महिला पुलिस अधिकारी लगाए तो गए हैं, पर अधिकांशतः पुरुष पुलिस का ही बहुमत होने से उनकी आवाज दब जाती है। वह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की अधिक मदद नहीं कर पाती है।
- कई बार महिला पुलिस का भी शोषण होता है।
- पुलिस का मानना है कि घरेलू हिंसा के काफी मामले झूठे होते है।

सुझाव:– घरेलू हिंसा विधेयक महिलाओं के प्रति होने वाले शोषण, यातना, दुर्व्यवहार, भेदभाव, क्रूरता को रोकने में तभी सफल व सार्थक भूमिका निभा सकता है, जब महिलाएँ घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत जुटा सकें। वे अपनी सिसकियों व चीखों की बजाय स्वयंसिद्धा के रूप में कानून व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सकें। यदि महिलाएँ घरेलू हिंसा को मूकदर्शक बनकर सहती रहेंगी तो हिंसा का यह कहर बढ़ता ही जाएगा। शीना बोरा हत्याकाण्ड, नैना साहनी तंदूर काण्ड, शिवानी भटनागर यौन शोषण काण्ड, जयपुर का जे.सी बोस छात्रावास काण्ड, अंजना मिश्रा काण्ड, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में घटित बलात्कार काण्ड, तेजाब काण्ड, महिला को डायन बताना, मारना जैसी घटनाएँ महिला उत्पीड़न व हिंसा के ज्वलंत उदाहरण हैं, जिसे रोकने के लिए महिला को खुद कमर कसकर 'घरेलू हिंसा अधिनियम' के तहत दोषी पक्ष को कठोर सजा दिलवाने का प्रयास करना है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

देश के सर्वांगीण व तीव्र विकास करने हेतु आवश्यक है कि समाज के निम्न वर्ग को प्रताड़ित करने के स्थान पर उन्हे प्रोत्साहित, संरक्षित किया जाए ताकि विकास प्रक्रिया में उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

1 महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच, मनोभाव व मानसिकता मे परिर्वतन किया जाना चाहिए। पुरुष वर्ग महिलाओं को अपना प्रतिद्वंदी न समझकर सहयोगी समझते हुए विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

2 पारिवारिक न्यायालयों को सुदृढ़ व अधिक प्रभावी बनाकर विवादों का शीघ्र निपटारा किया जाए ताकि हिंसा को रोका जा सके।

3 महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों व कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी समाचार पत्रों, संचार व प्रचार के माध्यमों से दी जाए ताकि वे घरेलू हिंसा के अभिशाप से मुक्त हो सकें।

4 महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए क्योंकि जब वे अपने पैरों पर खड़ी होंगी तभी महिला हिंसा को कम किया जा सकेगा।

5 घरेलू हिंसा अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए।

6 स्थानीय स्तर पर स्वयंसेवी संगठन भी प्रभावी भूमिका निभाकर पीड़ित महिला की सहायता कर सकते हैं।

7 कई पीड़ित महिलाएँ धनाभाव के कारण कानून की शरण नहीं ले पातीं। उन्हें नि:शुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान अनिवार्य रूप से किया जाए।

8 पुलिस व प्रशासन में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करे। न्यायालयों में महिला न्यायधीशों द्वारा मुकदमों की सुनवाई की जाए।

घरेलू हिंसा को रोकने के लिए शैक्षणिक स्तर पर लागू किए जाने वाले उपाय

- विद्यार्थियों के साथ घरेलू हिंसा (घर में होने वाले भेदभाव) आदि विषयों पर स्कूल, कॉलेजों में व्यवस्थित तरीके से बातचीत शुरू की जानी चाहिए। इसके लिए काउंसिलिंग सेल होने चाहिए ताकि इस उम्र की लड़कियों के साथ हो रही घरेलू हिंसा पर बातचीत करके समाधान खोजा जा सके।
- 14 वर्ष से कम उम्र के लड़के–लड़कियों से काम

करवाने पर रोक लगाने हेतु बाल अपराध घोषित करते हुए भारत सरकार द्वारा महिलाओं के हितों की रक्षार्थ विशाखा गाइडलाइंस बनाई गई हैं। घर में या बाहर, छोटी-छोटी बालिकाओं का यौन शोषण होता है। इसके लिए सशक्त कानून बनाया जाए।

- 86वें संविधान संशोधन में 6-14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों में आत्मविश्वास भी पैदा किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य सशक्त महिला का निर्माण करना होना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास पैदा करना और अन्याय का मुकाबला करने की ताकत देना, शिक्षा नीति व शिक्षक का दायित्व होना चाहिए।

- लड़कियों को हर हालत में स्वावलंबी बनने का प्रशिक्षण देना जरूरी है। अभी तक सोच केवल लड़कियों के विवाह करने तक ही सीमित है, इसे बदलना होगा और लड़कियों को भी इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक जैसे दायित्वों की तरफ मोडना होगा। भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद- 23 के अनुसार नारी की गरिमा की रक्षा करते हुए उन्हें शोषण मुक्त जीवन जीने का अधिकार दिया गया है तथा वेश्यावृत्ति, भीख मांगने, ट्रैफिकिंग आदि के लिए मजबूर करने को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

- सम्पत्ति में लड़कियों का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसके लिए घर के वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। वर्ष 2005 में उत्तराधिकार कानून में संशोधन करके बेटों के समान बेटियों को भी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्रदान किया गया है।

- वर्ष 2004-2005 से लिंग आधारित बजट का शुभारंभ करके बजट में लैंगिक भेद को दूर किया गया है। वर्तमान समय में 56 मंत्रालयों और विभागों में लिंग आधारित बजट इकाइयों का शुभारंभ किया गया है।

- अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975-1985) के दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा, बलात्कार, यौन शोषण, दहेज हत्या जैसे मामलों में बढ़ोत्तरी हुई, जिनके खिलाफ महिला संगठनों ने एकजुट होकर आंदोलन किया। नारी कल्याण हेतु स्वावलम्बन योजना, स्वाधार योजना, कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास आदि शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। स्वाधार-गृह योजना कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए तथा उनके जीवनयापन एवं पुनर्वास में मदद करने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना का लाभ वे महिलाएँ एक वर्ष तक उठा सकती हैं जिन्हें घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव अथवा विवाद स्थिति में या निवर्हन के लिए कोई साधन दिए बिना घर से निकाल दिया हो और 55 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएँ अधिकतम 5 वर्ष तक उठा सकती हैं। इसके बाद उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है।

- पुरुषों के साथ-साथ लड़कों में भी काम करने की आदत विकसित की जाए, उनका पालन पोषण अलग तरीके से न हो, ताकि घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को वे गंभीरता से समझ सकें।

सामुदायिक स्तर पर : -घरेलू हिंसा का निवारण सामुदायिक स्तर पर भी होना चाहिए। महिला समूहों या संगठनों को मजबूत बनाया जाए। गांव की औरतें बैठक बुलाकर इस तरह की समस्याओं के समाधान खोजें। समुदाय और पंचायतों को वैधानिक अधिकार दिए जाएँ। गंभीर मामले ही कोर्ट, पुलिस आदि तक पहुंचें।

जिला सहायता समितियों के माध्यम से:- इन समितियों में पुलिस अधिकारी एवं महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन होने चाहिए। महिला आयोग इनकी समय-समय पर समीक्षा करे कि काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं।

पुलिस की भूमिका को काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इनके प्रशिक्षण मे घरेलू हिंसा व महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाए।

प्रत्येक थाने पर 'समस्या समाधान शिविर' हर महीने आयोजित किया जाए और इनकी जानकारी के लिए प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इनका दिन, समय और स्थान अखबार, रेडियो या दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाए।

थाना स्तर पर परामर्शदाता हों। खासतौर पर घरेलू हिंसा के मामलों में जब पुलिस समझौता कराती है, तो प्रशिक्षित परामर्शदाता की मदद ली जाए।

महिला आयोग को महिला हिंसा के सम्बन्ध में संदेश समय पर मिलने चाहिए ताकि वह अपने निर्णयों को सरकार से दबाव पूर्वक मनवा सके।

अन्य सुझाव

1. अल्पवास गृह जगह-जगह होने चाहिए, जिनसे मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक सेवाएँ जुड़ी हों।
2. पंचायतों में पांच स्टेण्डिंग कमेटियों का प्रावधान है। ये कमेटियाँ घरेलू हिंसा के मामलों व महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर विचार करे।
3. कोर्ट के फैसले नियत समय पर होने चाहिए।
4. घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में जगह-जगह जन अदालतें लगनी चाहिए।
5. घरेलू हिंसा पर न्यायिक फैसलों का सरल भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है।
6. हर महीने थाने पर ऐसा दिन निश्चित हो, जब कोई भी, किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके।

निष्कर्ष

• समाज, सरकार, प्रशाासन, पुलिस, संसद और मीडिया के माध्यम से जन-जन तक हमारी आवाज पहुंचे। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जनजागरूकता व सजगता आए, यही हमारा प्रयास है। इससे एक सार्थक, ठोस, व्यावहारिक व नीतिगत दिशा प्रदान करना व समाज में प्रचलित रूढ़िवादी प्रथाओं, अंधविश्वास, नकारात्मक सोच को बदलकर महिला वर्ग को पुरुष के समान बराबरी का दर्जा, उनको अधिकार और न्याय दिलवाना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, विधवाओं पर अत्याचार, तलाक और घरेलू हिंसा जैसे अन्य अमानवीय कृत्यों को रुकवाकर महिलाओं के लिए उन्नति व विकास का मार्ग प्रशस्त करना। घरों में होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिलाएँ इस तरह की ज्यादतियों की पीड़ा किसी को नहीं बतातीं। बता भी दें तो कोई सकारात्मक नतीजा नहीं होता। समाज व सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को अत्याचारी परिवार के चंगुल से बचाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत में नारियों की धर्म, परम्परा और कुल प्रतिष्ठा को इज्जत का प्रतीक माना जाता है। जटिल भारतीय सामाजिक व्यवस्था से लड़कर स्त्री सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयासरत् तभी बन सकती है जब समाज, परिवार, प्रशासन व शासन का सहयोग निरन्तर रूप से प्राप्त होगा।

❑

वानस्पतिक विष

डॉ. बी.डी. माली

सहायक निदेशक (से. नि.)

औरंगाबाद, महाराष्ट्र

विष विज्ञान, (Toxicology) वैद्यकशास्त्र की एक शाखा है, जो विष के लक्षण, उपचार और क्रियाविधि की विवेचना करती है। आज के विज्ञान युग में इसका महत्व सारे विश्व में बहुत बढ़ गया है। भारत में ऋषि-मुनियों ने कई वनस्पतियों का अध्ययन किया। इनमें कुछ वनस्पतियाँ, जो मानव शरीर स्वास्थ्य सुधारने में काम आई, उनका संचय किया गया, लेकिन कुछ वनस्पतियों का सेवन करने से मानव शरीर या प्राणी पर विपरीत प्रभाव देखने को मिला। ऐसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वनस्पतियों का वर्गीकरण विषैली वनस्पतियों (Poisonous Plants) में किया गया।

औषधि (Medicine) या विष (Poison) में सीमारेखा नही है। एक औषधि अधिक मात्रा (Dose) में विष है और एक विष कम मात्रा में जीवन रक्षक औषधि (Life saving drug) हो सकती है। प्रकृति में कई वनस्पतियाँ कम-ज्यादा मात्रा में विषैली हैं। कुछ वनस्पतियाँ विषैली न होते हुए भी विशिष्ट परिस्थितियों में विषैली बनती हैं, जैसे कि आलू को कई दिन रखने के बाद उसमें जो अंकुर आते हैं, उनसे सोलानीन अल्कलाइड तैयार होता है। ज्वार (सोरघम एस.) उगते समय उसके अंदर के भाग में हायड्रोसायनिक अम्ल रहता है। जंगली मटर (लेथरस सेटीवस) और चेरी प्रुनास सेरासस की पत्तियों और बीजों में एमीगडेलिन होता है, जो सायनोजेनिक ग्लायकोसाइड है। क्लोवर नामक घास में डायकुमारल तैयार होता है। बाजरा और राई पर बारिश के मौसम में एर्गोट (Argot) फंगस उगता है, जिससे उनके दानों का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। एर्गोट में एर्गोटॉक्सीन, इरगोटमाइन और एर्गोटोमेट्रीन आदि प्रमुख विष द्रव रहते हैं। जंगली मटर, यूकेलिप्टस एस.(नीलगिरि), लिन्सिड, बांबू, कॅसावा, कड़वा बादाम और ज्वार वनस्पति के अंदर के भागों में हायड्रोसायनिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। यह अम्ल ग्लायकोसाइड एमिगडॅलीन, लिनॅसुअरीन और धुरीन के रूप में रहते है। इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद विघटन से हायड्रोसायनिक अम्ल निकलता है। यह क्रिया देहात में जानवरों में बहुत बार होती है और इससे कई जानवर मर जाते हैं। एंटीप्लेक्स एस., बीटा व्हुल्गारीस, एनचेलिया टोमेटोसा, पालक, कच्चे केले, केले के फूल, बादाम और तिल में ऑक्सालेट ज्यादा मात्रा में होता है। यह वनस्पति या बीज ज्यादा खाने से ऑक्सालिक अम्ल का जहरीलापन बढ़ जाता है और जानवर मर जाते हैं।

भारत में स्वास्थ्य सुधारने हेतु वनस्पति का उपयोग प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन इस वनस्पति के पत्तों, फूलों और फलों में रहे रासायनिक तत्वों की संरचना का अध्ययन उन्नीसवीं सदी के मध्य में शुरू हुआ। यूरोप में वर्ष 1814 में ऑरफिलाने विष विज्ञान पर किताब लिखी, जिसमें वानस्पतिक विष सम्बन्ध में लाभदायक जानकारी दी गई। कोलकाता में 1921 में स्थापित स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडीसिन नामक संस्था में वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र और औषधिशास्त्र के संयुक्त अभ्यास से विष विज्ञान की शाखा विकसित हुई। विष पदार्थ में अल्कलाइड, ग्लायकोसाइड, नायट्राइल, फिनॉलिक, टॅनीन और टरपिन आदि रासायनिक घटक रहते हैं। कुछ विषैली वनस्पतियों में एक से ज्यादा भी रासायनिक घटक रहते हैं, जैसे कि अफीम में लगभग 24 अल्कलाइड है और उसमे फेनोलिक ग्रुप भी है।

अफीम, धतूरा (धतूरा फॅस्टयुओसा), ॲट्रोपा बेलाडोना, गांजा (कैनाबिस इंडिका) और

एरिथ्रोक्सिलान कोका (कोकेन), इस वनस्पतिओं को उत्तेजना और प्रसन्नता देनेवाले विष प्रकार में (Deliriant poison) सम्मिलित किया है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पैपेवर सोमनीफेरम है। पोस्त या खसखस के पौधों से अफीम मिलता है। उसके फूल संपुटों में (Capsule) बढ़ जाते हैं। तब उस पर तेज धार वाले चाकू से 3-4 चीरा लगाते हैं। इससे संपुट में से सफेद रस या दूध निकलता है, जो स्कंदित होकर गाढ़ा एवं गहरे भूरे रंग का होता है, अफीम कहलाता है। भारत में मध्यप्रदेश में नीमच और मंदसौर तथा उत्तरप्रदेश में बाराबंकी और बरेली जिलों में अफीम की खेती होती है। मार्फिन और कोडीन, ये दो प्रमुख अल्कलाइड अफीम में रहते हैं। अफीम में मार्फिन की मात्रा 10% तक रहती है। मार्फिन पर एसिटाएलेशन की रासायनिक क्रिया करके हेरोइन या ब्राउन शुगर या स्मैक तैयार की जाती है। यह एक सफेद पाउडर जैसी दिखती है। अफीम के अल्कलाइड केन्द्रीय स्नायु मंडल पर उत्तेजक एवं अवसादक, दोनों प्रभाव डालते हैं। मार्फिन एक तीव्र पीड़ाहारी एवं स्वापक है। इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु भी हो सकती है।

धतूरे के पौधे पर सफेद फूल आते हैं। उसके फल कांटेदार गेंद (Thorn apple) की तरह होते हैं। धतूरे का पौधा विषैला होता है, लेकिन उसके बीज विष के रूप में प्रयोग किए जाते है। बीज में हायोसिन और हयोसायमीन नाम के अल्कलाइड रहते है। हयोसायमीन का रेसिमिक स्वरूप अट्रोपिन कम मात्रा में रहता है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर चोरों द्वारा धतूरे के बीज का प्रयोग खाद्य या पेय पदार्थ में मिलाकर लोगों को बेहोश करके लूटने के लिए किया जाता है। इसलिए धतूरे को 'रोड पॉईजन' कहते है। धतूरे के बीज का प्रयोग आत्महत्या के लिए भी किया जाता है।

हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अट्रोपा बेलाडोना का पौधा पाया जाता है। इस पौधे के सभी भाग विषैले हैं। बेलाडोना में अट्रोपिन प्रमुख विष तत्व होता है। इसे 'डेडली नाईट शेड' कहते है। इसके चूर्ण को भोजन में मिलाकर हत्या का अपराध किया जाता है।

कैनाबीस को भारत में 'कैनाबीस इंडिका' वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। इसी पौधे की पत्ती सुखाकर (Yellowish greenish leaves) भांग बनाई जाती है। इस पौधे के फूल और बीजधारित भाग (Flowering tops and seeds) को गांजा कहते हैं। इस बीजधारित भाग से जो रेजिन निकलता है, उसे चरस कहते हैं, जो हरा या भूरे रंग का रहता है। कैनाबिस पौधे के पत्ते, फूल, बीज आदि भागों में कनाबेनॉल, कनाबिडायोल और टेट्राहायड्रो कनाबिनॉल यह क्रियाशील रेजीन रहते है। कैनाबिस रेजिन का प्रमाण चरस में गांजा और भांग से ज्यादा रहता है। अफीम, हीरोइन, मार्फिन, और कैनाबीस यह संवेदनमंदक (Narcotic) पदार्थ स्वायक्त औषधि और मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (NDPS Act) में सम्मेलित है। एरिथ्रोक्जालय कोका लिनॅसी फैमिली की वनस्पति है। इस पेड़ के पत्तों में से कोकेन अल्कलाइड निकालते है। यह स्वाद में कड़वी रहती है। यह आंशिक चेतना शून्य कर देनेवाला (Local anasthetic) और श्रमहारक पदार्थ भी है। इसकी मृत्युकारी मात्रा (Fatal Dose) आधा ग्राम है।

जलन उत्पन्न करने वाले वानस्पतिक विषों में (Irritant plant poisons) ग्लायकोसाइड और फिनोलिक विष तत्व रहते हैं, जिसमें मुख्यत: अरण्डी (रिसिनस कम्युनिस), जमाल गोटा (क्रोटन टिग्लियम, नेपाला), गुंची या रती(अबरूस प्रीकाटोरिअस), कोलोसिंथ या इंद्रायणी (बिटर एपल), भिलावन या

मार्किंग नट (सिमेकारपस एनाकार्डियम), मादार (कॅलोट्रोपिस) आदि सम्मिलित हैं। अरण्डी भारत में सभी भागों में पाया जाता है। इसके बीज प्रायः तेल निकालने के काम आते हैं। तेल निकलने के बाद बचे हुए खूचे (Cake) में रिसिन (Ricin) होती है, जो विष का कार्य करती है। रिसिन का सेवन करने से आदमी का रक्तचाप कम होता है, साथ ही शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। इसके हानिकारक प्रभाव को रोकनेवाली कोई दवाई (Antidote) नहीं है। इसकी औसतम मृत्यूकारी मात्रा (Fatal dose) 200-400 माइक्रोग्राम है। अमेरिका के अध्यक्ष बराक ओबामा को मई 2013 में भेजे गए एक लिफाफे को रिसिन ही लगाया गया था।

जमालगोटे के बीज अरण्डी के बीज से छोटे रहते है। उसके बीज का तेल भूरे रंग का होता है, जिसमे क्रोटीन यह टोक्सएल्बुमिन रहता है जो क्षोभकारक और हानिकारक होता है। गुंची के बीज लाल और उसका सिरा काले रंग का होता है। इसमें एब्रिन नामक टोक्सएल्बुमिन रहता है। एब्रिन को पानी में उबालने से उसका जहरीलापन खत्म हो जाता है। इंद्रायणी– यह वनस्पतिशास्त्र में कुकुरबिटेसी फैमिली में आती है। इस पौधे के फल कों बिटर एपल कहते है, जिसके जूस (Juice) मे कोलोसिंथिन नामक विषैला ग्लायकोसाईड रहता है, जो क्षोभकारक और पेट में दर्द देनेवाला है। भिलावन या मार्किंग नट में जलन उत्पन्न करनेवाले सेमिकारपोल और भीलवनॉल यह फिनॉल रहते हैं। जैसे ही इसका जूस त्वचा पर पड़े तो काला फफोला (Blister) पड़ जाता है। मदार के सफेद या नीले रंग के फूल आते हैं। इस पौधे के पत्ते और तना काटने से सफेद द्रव निकलता है, जिसमे उशचरिन, कॅलोटोक्सिन और कॅलोट्रॉपिन जलन कारक विष तत्व रहता है। कनेर (Oleander) और हेमलॉक (कोनियम मॅक्युएटम) आदि विषैली वनस्पतियाँ मानव के हृदय पर असर करती हैं। कनेर के पेड़ तीन प्रकार के होते है, जैसे की सफेद फूलवाली (नेरियम ओड़ोरम), घंटी के आकार वाले पीले फूल (सर्बेरा थिवेटिया) और सफेद छोटे फूल वाली (सर्बेरा ओडोलम), कनेर का पूरा पेड़ विषैला होता है, जिसमें ग्लायकोसाईड नामक विष होता है। नेरियम ओडोरम में नेरिन और सर्बेरा थिवेटिया और ओड़ोलम में थिवेटिन और सर्बेरिन ग्लायकोसाईड के रूप में रहते हैं। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जीवन नष्ट करता है।

बचनागका (अकोनिटम नेपेलस) पूरा पेड़ जहरीला होता है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में इसका पेड़ पाया जाता है। इसकी जड़ में एकोनिटिन नामक हानिप्रद (Virulent) विष मिलता है। एकोनिटीन की औसतम मृत्युकारी मात्रा 2 से 6 मिलीग्राम है। आदमी कुछ ही घंटों में दिल का दौरा पड़ने से मर जाता है। तम्बाकू का पौधा वनस्पतिशास्त्र के सोलोनेसी फैमिली में आता है। भारत में अधिकांश राज्यों में तम्बाकू उगाइ जाती है। इसके पत्तों मे निकोटिन और निकोटीएनाइन, ऐसे दो अल्कलाइड रहते है। देहातों में हुक्का पीने में तम्बाकू की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल एडल्ट टोबॅको सर्वे के अनुसार, भारत में दस में से एक आदमी तम्बाकू का सेवन करता है। सिगरेट, खैनी, गुटखा, तम्बाकू पान, मशेरी– इनमें निकोटिन की मात्रा ज्यादा होती है। शरीर में निकोटिन की मात्रा ज्यादा होने से साँस लेने की क्रिया बंद होने के कारण मृत्यु हो जाती है। तम्बाकू चबाने की आदत से भारत में हर साल मुँह के कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं।

कोनियम मैक्युलाटम, यह वनस्पति भारत के दक्षिणी भाग के तटीय क्षेत्रों में पाइ जाती है। इसके सभी भागों में कोनिन अल्कलाइड रहता है, जो एक विष द्रव्य है। इसके सेवन से आदमी की रीढ़ की हड्डियों में विकृति आ जाती है। सॉक्रेटिस को

कोनिन पिने को देकर मृत्यु दंड दिया था। कुचला, यह लोग्यानियसी फैमिली का पेड़ है। इस वनस्पति के पत्तों और छाल में ब्रुसिन और लोगानिन नाम का विष रहता है। इसके बीज गोल और बीच में से दबे हुए रहते हैं। ये बहुत कड़वे रहते हैं, क्योंकि उनमें विषैला स्ट्रिकनिन नामक अल्कलाइड रहता है। स्ट्रिकनिन मुख्यत: तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है और रीढ़ की हड्डियों को हानि पहुँचाता है।

आज भी गर्भपात, आत्महत्या, पशुहत्या तथा दुर्भावनापूर्ण मृत्यु आदि अपराधों में विषैले पौधे, बीज व फल इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अपराधों में पता लगाने में चिकित्सीय परीक्षण महत्वपूर्ण होता है। सही शव परीक्षण से पता चल पाता है कि मृत्यु का कारण आत्महत्या था या हत्या। अस्पताल के चिकित्सक मृत शरीर का पोस्टमार्टम करके विसरा रासायनिक परीक्षण के लिए सेंट्रल या स्टेट न्यायालयिक प्रयोगशाला में भेजते हैं, जहाँ आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा रासायनिक परीक्षण होता है। विधि वैज्ञानिक की रिपोर्ट/निष्कर्ष स्पष्ट और संक्षिप्त रहती है। उसमें विषैले पदार्थ और उसका प्रमाण देते हैं। न्यायालय में विधि वैज्ञानिक की रिपोर्ट न्याय प्रकिया में सहायता करती है। मेरा विश्वास है कि पुलिस जांच में हत्या,आत्महत्या के मामलों में रासायनिक परीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है।

उपरोक्त वानस्पतिक विष की जानकारी से कौन सी वनस्पति विषैली है, यह साधारण व्यक्ति अब पहचान सकता है और उससे दूर रहता है। मेरा विश्वास है कि पुलिस अन्वेषण में जो हत्या, आत्महत्या के मामले, जिनमें विभिन्न प्रकार के विष का प्रयोग किया गया होता है, उपरोक्त जानकारी ऐसे मामलों को सुलझाने में सहायक हो सकती है।

❑

पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम/सूचना कक्ष

श्री इंदराज सिंह
उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल
जम्मू

प्रत्येक पुलिस स्टेशन में पुलिस कंट्रोल रूम उपलब्ध होते हैं, जिनको हम एक तरह से रिपोर्टिंग रूम भी कह सकते हैं। वैसे कंट्रोल रूम जनपद स्तर पर ज्यादा आवश्यक माना जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन पुलिस की सक्रिय और अहम इकाई है, जिसका कार्य एक निश्चित सीमा क्षेत्र में अपराधों की जानकारी हासिल करके उनको रोकने की कार्रवाही और अपराध के बाद की सारी कानूनी प्रक्रिया कर अपने प्रभार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। अगर जनपद के सारे थानों के प्रभार के क्षेत्र में कानून व्यवस्था ठीक है तो जनपद में अवश्य ही शान्ति बनी रहेगी। जनपद के कंट्रोल रूम के अंदर आवश्यकतानुसार काफी जरूरी सूचनाएँ रखी जाती हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाही हेतु प्रयोग में लाया जा सके। जनपद कंट्रोल रूम में होने वाले अपराधों या पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटियों के बारे में सूचना या आदेश दिये जाते हैं तथा समय-समय पर ऊँचे अधिकारी को स्थिति की रिपोर्ट दी जाती है। सभी थानाध्यक्ष भी अपने-अपने इलाके के बारे में स्थिति रिपोर्ट भेजते हैं।

पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम को आधुनिक और उपयुक्त बनाने के लिए अनेक प्रकार की सूचनाएँ रखी जाती हैं तथा इन सूचनाओं को जरूरत के हिसाब से प्रयोग करने के लिए और अन्य उचित उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनका आज के पुलिस स्टेशन में मौजूद होना अति आवश्यक है। ऐसे उपकरणों की मदद से अचानक कानून व्यवस्था बिगड़ने पर सुनियोजित तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। एक पुलिस स्टेशन के कंट्रोल रूम में निम्नलिखित उपकरणों और सूचनाओं का होना अति आवश्यक है। -

1. उचित संचार पद्धति

"Communication is the back bone of Any operation" अंग्रेजों का यह वाक्य शायद बहुत सटीक और सही है, क्योंकि संचार के माध्यम के न होने से कोई भी टीम अपने कार्य को सही अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती क्योंकि संचार के माध्यम से ही कानून व्यवस्था की स्थिति समय-समय पर ली जाती है और उसी के आधार पर पुलिस के दस्तों को कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता है। एक स्टेशन पर लगे रेडियो सेट, जिसकी कार्य की शक्ति वॉट में होती है, कुछ ज्यादा होती है, जिस कारण से थाने के क्षेत्र के छोटे-छोटे रेडियो सेट्स के द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर (ATC), जो सारे वायुयानों की जानकारी समय रहते हुए समय-समय पर जरूरी मैसेज भेजते हैं, जिससे हवाई जहाज का पायलेट, एयरपोर्ट पर जहाज को उतारता है या एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। अगर ऐसे स्थान पर उपयुक्त संचार प्रणाली की सुविधा न हो तो शायद एयरपोर्ट पर अनेक दुर्घटनाएँ घट सकती हैं। इतना ही नहीं, आप रेलवे नेटवर्क का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो एक उचित विश्वसनीय संचार पद्धति पर कायम है।

अक्सर देखने में आता है कि आवश्यकता पड़ने पर रेडियो सेट के कार्य न कर पाने के कारण हम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। इसके कई मुख्य कारण हैं, जैसे -

(क) रेडियो सेट पर बात करने का तरीका न आना।
(ख) रेडियो सेट की बैटरी को हमेशा चार्ज करके न रखना तथा समय आने पर बैटरी डिस्चार्ज हो जाना।

(ग) थाने के प्रत्येक क्षेत्र या इमारतों से घिरे क्षेत्र में जाकर रेडियो संचारण की आम पैट्रोलिंग के दौरान जांच करना।

अत: यह आवश्यक है कि पुलिस थाने के प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को रेडियो सेट द्वारा सही तरह से बातचीत करने का तरीका आना अति आवश्यक है, जिसके लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को पुलिस स्टेशन स्तर पर समय-समय पर उचित प्रशिक्षण/जानकारी देने की आवश्यकता है। आवश्यकता पड़ने पर जमीन पर कार्य कर रहे कर्मचारी आसानी से अपने उच्च जिला पदाधिकारी से संपर्क कर उचित निर्देश समय पर ले सकते हैं, जिससे पुलिस के कार्य में कोई कोताही नहीं होगी।

पुलिस कंट्रोल रूम में उचित संचार व्यवस्था पुलिस अधिकारियों को समय पर उचित कदम लेने तथा अपराधों को और दंगों को नियंत्रण करने या ज्यादा न फैलने में अवश्य ही अहम भूमिका निभा पाएगी।

2. लैंड लाइन तथा मोबाइल फोन

अगर हम 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का विश्लेषण करें तो शायद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस के कार्य के लिए गोपनीय तथा विश्वसनीय संचार के साधनों का होना अति आवश्यक है क्योंकि आतंकवादी हमले के दौरान ज्यादातर मोबाइल फोन नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई भी देशद्रोही या आतंकवादी मोबाइल द्वारा किसी प्रकार की खबरों का आदान-प्रदान न कर सके। अगर ऐसी स्थिति में आतंकवादियों द्वारा किसी दूसरे मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे नेटवर्क का आसानी से पता लगाया जा सकता है, जिससे आतंकवादियों की योजना तथा उनके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त हो सकती है जो आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। मोबाइल फोन आने के कारण लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल कम किया जाता है जो कि पुलिस विभाग के कार्य के हिसाब से संचार का एक विश्वसनीय और उचित साधन है। लैंड लाइन द्वारा ऑपरेशन में व्यस्त जवानों को आदेश साफ और स्पष्ट निर्देश आसानी से भेजे जा सकते हैं। लैंड लाइन फोन की महत्ता तब मालूम होती है जब मोबाइल फोन के नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है या ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच से छोटे सेट कंट्रोल रूम में अपना संदेश भेज पाने में असमर्थ रहते हैं। ऑपरेशन में कार्य कर रही पुलिस टीम को आपस में संचार करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। किसी विशेष ऑपरेशन के दौरान थाने में दिए गए वाहनों में लगे रेडियो सेट को कार्रवाही के इलाके में रखकर एक संचार के रिपीटर के तौर पर भी उचित इस्तेमाल किया जा सकता है। अत: पुलिस कंट्रोल रूम में लैंड लाइन फोन, रेडियो सेट और मोबाइल फोन का होना अति आवश्यक है। एक पुलिस स्टेशन में कम-से-कम दो से तीन रेडियो सेट्स, मोबाइल रेडियो सेट (VHF) तथा 20 नंबर (कम से कम) छोटे सेटों (Hand Held) का होना अति आवश्यक है।

3. टेलीविजन, डी.टी.एच. की सुविधा

आधुनिक युग में मीडिया ने काफी तरक्की की है। देश के किसी भी कोने में अप्रिय घटना की खबर पूरे देश तथा अन्य देशों में भी पलभर में ही पहुंच जाती है। ज्यादातर देखा गया है कि किसी विशेष कार्यक्रम की जीवंत गतिविधि को मुख्य स्थान से प्रसारण करने में सक्षम है। पुलिसकर्मियों को अपने कार्यक्षेत्र में हुए अपराध की जानकारी तथा जनता की गतिविधियों तथा पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी स्थानीय टीवी नेटवर्क तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से आसानी

से मालूम हो जाती है। ऐसी खबरें समय से प्रसारित होने पर पुलिस थाने में लगे टेलिविजन सेट के द्वारा पुलिस कर्मचारियों को आसानी से पता चल जाती हैं जिससे समय रहते पुलिस अपने कार्य शैली में बदलाव कर समय से कार्रवाही कर सकती है।

मुंबई आतंकवादी हमले की पूरी प्रक्रिया को टीवी चैनल के द्वारा जीवंत अवस्था में दिखाया गया था, जिससे मुंबई पुलिस के अधिकारी उचित समय पर उचित रणनीति के साथ कार्रवाही करने में सफल रहे, लेकिन इस प्रकरण को दूसरे पड़ोसी देश भी देख रहे थे जो भारतीय स्पेशल फोर्स के द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाही के ऊपर पूरी नजर रखे हुए थे। पुलिस कर्मचारी पुलिस थानों में समय की कमी तथा ड्यूटी का समय अधिक होने के कारण मनोरंजन के लिए कम समय निकाल पाते हैं, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन में सही जगह पर टेलीविजन सेट को लगाया जाए तो पुलिसकर्मी समय निकाल कर अपना मनोरंजन कर सकते हैं जो पुलिसकर्मियों के तनाव को कम करने में तथा समाज में आधुनिक विकास की जानकारी को हासिल करने में सहायक हो सकेगा।

अत: थाने के कंट्रोल रूम में एक टेलीविजन डी.टी.एच. तथा लोकल स्थानीय नेटवर्क केबल अवश्य होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर अवश्य ही लाभकारी होगा।

4. इलाके का स्केच

प्रत्येक थाने में अपने-अपने कार्यक्षेत्र का स्केच लगा होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य पुलिस थाने के कार्यक्षेत्र की सीमा को इंगित करना है। स्केच पर बीट्स का बँटवारा, मुख्य सड़क, गांव, नदी-नाले आदि स्थान भी चिन्हित कर लिए जाते हैं। इसके अलावा थाने के प्रभार क्षेत्र में उपलब्ध होटल, स्कूल तथा मुख्य इमारतों का स्थान भी चिन्हित होता है, लेकिन एक कंट्रोल रूम में इलाके का पूरा स्केच तथा मुख्य इमारतों के अंदर का विस्तार का ब्लू प्रिंट भी होना अति आवश्यक है। थाने के कंट्रोल रूम में मुख्य बिल्डिंगों का स्केच या ब्लू प्रिंट उपलब्ध होने से उसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। अगर हम फिर 26/11 हमले की बात करें तो विशेष सेना को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए होटल की मंजिल की योजना की आवश्यकता पड़ी, जिसके आधार पर होटल में आने-जाने के रास्ते, बचकर भागने के रास्ते तथा संभावित आतंकवादी या अपराधियों के छिपने की जगह इत्यादि शामिल होती हैं। ऐसे ब्लू प्रिंट और स्केच उपलब्ध होने से स्थिति के अनुसार योजना में बदलाव जल्दी और सही समय पर किया जा सकता है, जिससे होने वाले नुकसान पर समय से पहले काबू कर लिया जाता है। कंट्रोल रूम में निम्नलिखित स्केच उपलब्ध होने चाहिए

(क) इलाके के क्षेत्र का पूर्ण स्केच, जिसमें सड़क, नदी, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल इत्यादि पूर्ण रूप से अंकित हों।

(ख) बहुमंजिल इमारतें, जैसे होटल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि का मंजिल वार ब्लू प्रिंट लगा होना चाहिए। प्रत्येक ब्लू प्रिंट की दो कॉपियाँ अकस्मात हालात में हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।

(ग) संभावित दंगों से प्रभावित मोहल्लों या गांवों के बारे में पुरानी घटनाओं की पूरी खबर उपलब्ध होनी चाहिए। दंगा नियंत्रण के लिए पूर्व में योजना बनाकर रख लेनी चाहिए। सेना के आने-जाने वाले रास्ते तथा यातायात को दूसरे रास्ते पर मोड़ना इत्यादि दंगा नियंत्रण ऑपरेशन को सफल बना सकते हैं।

(घ) स्कूल तथा अन्य सरकारी ऑफिस, जहाँ पर पुलिस का आना-जाना ज्यादा होता है, की पूर्ण जानकारी और उस भवन का ब्लू प्रिंट और पैमाने का विस्तार भी कंट्रोल रूम में हाना चाहिए।

(ड़) थाने के क्षेत्र में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन तथा बस अड्डों का भी ब्लू प्रिंट लगा होना चाहिए।

5. अपराधियों/आतंकवादियों की सूची

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जिसमें भिन्न-भिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। भारत की जनसंख्या तथा बेरोजगारी, दोनों अधिक होने के कारण कुछ युवा पथभ्रष्ट हो कर आपराधिक रास्तों को अपना लेते हैं। धीरे-धीरे एक-दो अपराध करने के बाद वे जाने-माने अपराधी की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। कुछ अपराधियों की खबर देने या पकड़े जाने पर तो पुलिस की तरफ से कुछ इनाम भी घोषित कर दिए जाते हैं। कुछ युवा अलग-अलग संगठनों के सम्पर्क में आकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिनको बाद में सीमा पार से हर प्रकार की मदद देकर भारतीय नागरिकों को ही भारत के खिलाफ प्रयोग में लाया जाता हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसे अपराधियों या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का पूरा विवरण मौजूद होता है, लेकिन थाने के कंट्रोल रूम में निम्नलिखित सूचियों का होना आवश्यक है-

(क) मुख्य अपराधियों की सूची।

(ख) प्रभार इलाके में से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या आतंकवाद संगठनों में शामिल और संपर्क रखने वाले व्यक्तियों की सूची तैयार करना।

(ग) कार्यक्षेत्र में मुख्य अस्पतालों तथा सभी डॉक्टरों के सम्पर्क नंबरों की सूची।

(घ) कार्यक्षेत्र में मॉल्स तथा होटलों के सुरक्षा अधिकारियों तथा मैनेजरों के नाम और टेलीफोन नंबर की सूची।

6. सी.सी.टी.वी. कैमरे का कनेक्शन

आजकल तकनीक का उपयोग पुलिस के कार्य में ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। अधिक अपराध वाले क्षेत्रों के मुख्य चौराहों तथा तिराहे पर सी.सी. टी.वी. कैमरे लगाए जा रहे हैं। कुछ सी.सी.टी.वी. कैमरे पुलिस स्टेशन से तो जुड़े होते हैं, लेकिन सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं। यदि संदिग्ध इलाकों में लगे सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे पुलिस स्टेशन से जुड़े हों तो ऐसे इलाकों को कैमरे के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है तथा पुलिस को सूचित करने में आसानी रहती है। थाने के क्षेत्र में पड़ने वाले होटलों के अंदर भी सी.सी.टी.वी. कैमरों का लगाया जाना अति आवश्यक है। होटल में एक अलग जगह बनाकर और उसे कंट्रोल रूम के रूप में प्रयोग किये जाने से आने-जाने वालों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकती है तथा समय पड़ने पर होटल के अन्दर हुई आतंकवादी/आपराधिक हमले की गतिविधियों के बारे में जानकारी सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा हासिल की जा सकती है। ज्यादातर आतंकवादी भीड़-भाड़ वाले इलाके, जैसे शॉपिंग मॉल्स, हाट तथा मेलों के स्थानों को ही निशाना बनाते हैं। इनकी सुरक्षा प्राइवेट एजेन्सी द्वारा की जाती है जो ज्यादातर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखती है, लेकिन अगर कोई हथियारबंद अपराधी या आतंकवादी ऐसे स्थानों के बीच हथियार का इस्तेमाल करे तो शायद प्राइवेट गार्ड इनका प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होते। अत: इनकी सुरक्षा या आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को ही कार्रवाही करनी पड़ेगी। इनकी सुरक्षा के लिए और आवश्यकतानुसार अपराधी/आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाई करने के लिए शॉपिंग मॉल्स के

बारे में पूरी जानकारी की जरूरत पड़ती है। इन मॉल्स में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगे होने चाहिए तथा एक कंट्रोल/सर्वर रूम में होना चाहिए जिसका निकास मॉल से बाहर की तरफ होना अति आवश्यक है, जिससे पुलिस के द्वारा कंट्रोल रूम में सी.सी.टी.वी. के द्वारा मॉल के अन्दर की गतिविधियों पर नजर रख कर उचित कार्रवाही की जा सके। अतः ऐसी महत्वपूर्ण इमारतों की पूरी जानकारी कंट्रोल रूम में अति आवश्यक है तथा इमारतों, होटलों तथा शॉपिंग मॉल्स जैसे व्यस्त स्थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे का इस्तेमाल उचित प्रकार सें किया जाना चाहिए।

7. फोर्स डिप्लॉयमेंट की योजना

ऐसी योजनाएँ गुप्त रखी जाती हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर फोर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम-से-कम समय में भेजा जा सके। इनमें वे सभी चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे समय रहते पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके। एक बार मुझे किसी राज्य के एक जिले में दंगों पर नियंत्रण करने के लिए भेजा गया। दंगों पर नियंत्रण की योजना बनाना जिला अधिकारी और जिला पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। योजना के हिसाब से सी.आर. पी.एफ के जवान लगा दिए गए। मैं जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था और सारी कार्रवाई ध्यान से देख रहा था, लेकिन उस समय मुझे मालूम हुआ कि न तो फोर्स को इलाके में लगाने की कोई योजना थी और न ही संदिग्ध इलाके की पुख्ता जानकारी थी। जिधर से भी कोई खबर आती थी, पुलिस तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलों को इधर-उधर दौड़ाते रहे और स्थिति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। मैं यहाँ पर यही बताना चाहूंगा कि कंट्रोल रूम में निम्न योजनाएँ तैयार होनी चाहिए-

(क) दंगे संवेदनशील इलाके की पूर्ण जानकारी तथा उस पर नियंत्रण के लिए पुलिस या केन्द्रीय बल को नियुक्त करने के लिए पहले से निश्चित स्थान।

(ख) जिले के किस इलाके से कितनी फोर्स या बराबर के उपविभाग से तथा केन्द्रीय बल इत्यादि की पूरी जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में होनी चाहिए।

(ग) बाहर से आ रही पुलिस फोर्स के रहने की अलग-अलग जगहें नियुक्त होनी चाहिए तथा समय-समय पर ऐसी इमारतों के मालिक या प्रबन्धनों से बातचीत करके जरूरी सुविधाएँ उचित हालत में होने चाहिए। अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उन्हें ठीक करवाने का दबाव बनाकर सही हालत में रखना चाहिए क्योंकि पुलिस कर्मचारी भी एक मनुष्य है जिसे आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है ताकि पुलिस कर्मचारी पूरे जोश से अपना कार्य कुशलता पूर्वक कर सके।

(घ) अगर जिले में केन्द्रीय बल तैनात हुए हैं तो उनका कंट्रोल रूम पुलिस कंट्रोल रूम के पास ही होना चाहिए। ऐसा न होने से समन्वय स्थापित करने में परेशानी होती है।

8. यातायात की दिशा परिवर्तित करने की योजना

अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में किसी भी विवाद पर स्थानीय व्यक्ति सीमित सड़क होने के कारण रास्ता रोककर या धरने पर बैठकर प्रशासन को चुनौती देते रहते हैं, जिससे प्रशासन उनकी मांगों को मान ले। शहरों में भी कभी-कभी

ऐसी स्थिति बन जाती है। मुख्य राष्ट्रमार्गों पर धरना-प्रदर्शन आम बात हो गई है। ऐसी समस्या से निपटना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है जिससे दूसरे व्यक्तियों या यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी समस्या के समाधान के लिए स्थानीय व्यक्तियों या यात्रियों को अपने आप निर्णय लेकर मुख्य सड़क से अन्दर जाकर फिर से मुख्य सड़क पर आने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसे रास्ते या सड़कें ज्यादा अच्छी हालत में न होने के कारण वहां गाड़ियाँ या अन्य वाहन फंस जाते हैं। साथ ही, बहुत से लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में यातायात दिशा परिवर्तन की योजना अपनाई जाती है, जिसमें यातायात को मुख्य सड़कों से छोटी सड़कों की तरफ मोड़ दिया जाता है। इसके लिए स्केच के ऊपर पूर्ण रूप से योजना चिन्हित होना अति आवश्यक है ताकि यातायात पुलिस के कर्मचारियों की तैनाती द्वारा दूसरे रास्तो के द्वारा आने-जाने वाली गाड़ियों को सही तरह से मोड़ा जा सके जो अवश्य ही यातायात को सही तरह से चलाने में या व्यवस्थित करने में मददगार साबित होगा। कंट्रोल रूम में इसकी विस्तृत योजना अति आवश्यक है।

9. पुलिस कर्मचारियों के नाम, पता तथा सम्पर्क के नंबरों की सूची

हमारे देश के किसी राज्य की पुलिस ज्यादा सक्षम है तो किसी राज्य की पुलिस कम सक्षम। इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाती, बल्कि पुलिस कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण, पुलिस कर्मचारियों की कम संख्या, वाहन तथा थाने का विस्तृत इलाका मुख्य कारण है। अगर भारत में भी पुलिस जनसंख्या अमेरिका के अनुपात में कर दी जाए तो भारत में भी अपराधों की संख्या में गिरावट आएगी। आज अमेरिका की पुलिस जनसंख्या का अनुपात 222 पुलिस कर्मचारी प्रति लाख है, जबकि भारत में राष्ट्रीय पुलिस जनसंख्या अनुपात 176 पुलिस कर्मचारी प्रति लाख जनसंख्या है। अलग-अलग राज्य का यह अनुपात अलग-अलग है तथा कुछ राज्यों में पुलिस जनसंख्या का अनुपात अमेरिका से भी अधिक है। लेकिन हमारे थाने में जितने भी पुलिस कर्मचारी नियुक्त हैं, जरूरत के समय में हम उनसे ही कार्य ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपने थाने के पुलिसकर्मियों को बुलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी का पता, टेलीफोन नं. होने से जरूरत के समय कार्य को योजना के अनुसार लागू कर सकते हैं। अतः कंट्रोल रूम में इस सूची का होना अति आवश्यक है। कंट्रोल रूम में इसके अलावा उच्च अधिकारियों के तथा आस-पास के लगे थानों या जिलों के अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र का होना भी अति आवश्यक है।

10. वी.आई.पी. दौरा तथा पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी की योजना

मीडिया की तेजी तथा जनता की जानकारी ने बड़े अफसरों तथा प्रशासनिक तंत्र से जुड़े राजनेताओं को अपने-अपने इलाके में घूमने तथा विकास के लिए बाध्य कर दिया है जिससे पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी में अवश्य ही बढ़ोत्तरी हुई है। कोई भी छोटी सी घटना या दंगा उग्र रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में पुलिस की जनता की और तंत्र से संबंधित व्यक्तियों और अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में तुरन्त योजना बनाकर पूर्ण रूप से सुरक्षित करना संभव नहीं होता तथा समय रहते अगर ऐसी स्थितियों के लिए योजना पहले से ही

बना ली जाए तो पुलिस कर्मचारी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कर पाएँगे, जैसे – कुछ मुख्य चौराहे, मकान की छतों पर नियुक्त किए गए कुछ स्थान, यातायात को दूसरे रास्ते से मोड़ने, रोड पर सुरक्षा तैनात करना तथा संदिग्ध इलाकों पर नजर रखना इत्यादि शामिल है। ऐसी योजना पहले से उपलब्ध रहने से जरूरत के समय में पुलिस के कार्य को सफलता मिलेगी।

11. धार्मिक स्थलों, स्कूलों की सूची

अक्सर देखा गया है कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों में अप्रिय घटना होने पर जुलूस या धरना इत्यादि होते रहते हैं, जिनको सही समय पर नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। कभी–कभी मुख्य धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए स्थाई सुरक्षा गार्ड भी तैनात करने पड़ते हैं। अत: एक पुलिस थाने के अंतर्गत उपलब्ध धर्मस्थलों तथा स्कूलों की सूची बनाकर रखना चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर फोर्स की जरूरत तथा फोर्स द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। धार्मिक स्थलों के संचालकों तथा स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का सम्पर्क नम्बर भी कंट्रोल रूम में रखना उचित होगा।

12. संदिग्ध इलाके और भूतकाल में हुए दंगों/घटनाओं की पूर्ण जानकारी

पुलिस अधिकारी किसी–न–किसी कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी–जल्दी स्थानांतरित होते रहते हैं। यह सही है कि जाने वाले अधिकारी आने वाले पुलिस अधिकारी को इलाके के बारे में सूचनाओं का सही तरीके से आदान–प्रदान नहीं कर पाते और बताते समय महत्वपूर्ण सूचनाएँ छूट जाती हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि एक पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई भूतकाल की घटनाओं, भविष्य में होने वाली घटनाओं और संदिग्ध इलाके की पूर्ण जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद होना अति आवश्यक है। ऐसी सूचना मौजूदा पुलिस अधिकारी को ऑपरेशन गतिविधि को सुचारू रूप से सफल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है।

आज के आधुनिक जीवन की आवश्यकता के अनुसार हमें अपने पुलिस स्टेशनों को अति आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने से कम पुलिस बल के रहते हुए भी अच्छी कार्रवाई करते हुए इलाके में शांति–व्यवस्था बनाए रखने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। अत: एक पुलिस स्टेशन का कंट्रोल रूम अति आधुनिक होना अति आवश्यक है। ❑

पुलिस-जनता सम्बन्धः भारतीय परिप्रेक्ष्य

श्री आर. पी. कोठियाल

पुलिस उप अधीक्षक

दिल्ली

पुलिस सही और गलत के चौराहे पर खड़ा ऐसा व्यक्ति है, जिसका दायित्व सही की रक्षा करना और गलत को पकड़ना है। अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका में वह अपने आप में ही एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक, एक कार्यकर्ता तथा व्यवस्था एवं अधिकार का प्रतीक है।

जब से सभ्य समाज का उदय हुआ है तभी से पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही पुलिस समाज का अभिन्न अंग रही है। यद्यपि इसका स्वरूप, कर्तव्य और अधिकार इत्यादि देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहे हैं। पुलिस की उपस्थिति एक ऐतिहासिक तथ्य ही नहीं वरन् एक सामाजिक आवश्यकता भी है। मानवता के विकास के साथ ही समाज में जटिलता पैदा होने लगी और एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना प्रभाव डालने लगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए एक विशिष्ट कानून-व्यवस्था का विकास हुआ, जिसका पुलिस एक अभिन्न अंग है। वर्तमान समय में तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। आज के संदर्भ में यह कहा जाए कि बिना पुलिस के समाज का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा, तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं लगती।

पुलिस समाज का एक ऐसा प्रमुख संस्थान है, जो समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ उसकी सुरक्षा के लिए ढाल एवं तलवार का कार्य करता है। समाज सामाजिक सम्बन्धों की एक व्यवस्था है। संगठित समाज में ये सामाजिक सम्बन्ध संगठित रहते हैं तथा एक विघटित समाज में ये सामाजिक सम्बन्ध अस्त-व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार सामाजिक सम्बन्धों की अव्यवस्था की प्रक्रिया को ही 'सामाजिक विघटन' कहा जाता है। सामाजिक विघटन की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कार्य नहीं कर पाते, जिससे सामाजिक संस्थाएँ एवं संगठनों में अव्यवस्था का प्रसार होता है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक नियमों का नियंत्रण कम होने लगता है और संपूर्ण सामाजिक संरचना अस्त-व्यस्त होने लगती है। चूंकि समाज को 'सामाजिक सम्बन्धों का जाल' (**Web of Social Relationship**) कहा जाता है अतः सामाजिक सम्बन्धों के अस्त-व्यस्त होने पर संपूर्ण समाज को विघटन से बचाने के लिए तथा मानव जाति के व्यवहार को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए ही पुलिस की परिकल्पना की गई है।

राज्य एवं समाज में पुलिस की भूमिका

पुलिस एक गतिविधि के रूप में उतनी ही पुरानी है जितना कि मानवीय समाज। यह एक यथार्थ है कि प्रत्येक समाज एवं सभ्यता के प्रारंभ से ही अपराधों की उपस्थिति एवं उनकी रोकथाम के प्रबंध किए जाते रहे है। प्रत्येक समाज अपने स्थायित्व एवं संगठन को बनाए रखने तथा अपने सदस्यों के बीच सद्भाव कायम करने के लिए किसी-न-किसी तंत्र का विकास अवश्य करता है। पुलिस जन-नियंत्रण का एक ऐसा ही संस्थाबद्ध तंत्र है। प्रत्येक समाज में एक वैध उपकरण के रूप में पुलिस को शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मान्यता प्राप्त होती है। समाज में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व चूंकि राज्य का होता है, अतः यह कर्तव्य राज्य का होता है कि वह ऐसे संगठन का निर्माण करे, जो राज्य के इस दायित्व का निर्वहन भली-भांति कर सके। इसीलिए राज्य द्वारा पुलिस संगठन का

निर्माण किया गया। हालांकि पहले यह दायित्व सेना द्वारा निभाया जाता था जो एक ओर बाहरी आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करती थी तथा दूसरी आंतरिक शांति और व्यवस्था भी बनाए रखती थी। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे जटिलताएँ बढ़ती गई, कानून एवं व्यवस्था के कार्य को सेना से पृथक करके पुलिस को सौंप दिया गया। किसी भी समाज में पुलिस की वैधता राज्य पर निर्भर करती है अर्थात् पुलिस अपनी सत्ता राज्य की सत्ता से प्राप्त करती है। उसकी भूमिका तथा कार्य राज्य की सत्ता की प्रकृति से तय होते हैं। कल्याणकारी राज्य में पुलिस की भूमिका एक समाजसेवी संगठन की होती है। उसे कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम करने वाली बुनियादी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। सामाजिक नियंत्रण में पुलिस की भूमिका कानून के एक अभिकरण के रूप में होती है। उसे समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए कानून द्वारा समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसलिए उसे कानून को लागू करते समय समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है।

पुलिस सरकार की कार्यपालक भुजा के रूप में कार्य करती है तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना, अपराधों की खोज एवं रोकथाम तथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उत्तरदायी संस्था है। पुलिस को विशेष एवं स्थानीय अधिनियमों तथा सामाजिक कानूनों को लागू करने वाला प्रभावी तंत्र माना गया है। इन्हें जासूसी करने, सूचनाएँ एकत्र करने, सार्वजनिक समारोहों के निर्वहन में कर्तव्यशील तथा अतिविशिष्ट व्यक्तियों की रक्षा तथा प्रशासनिक एवं नियमबद्ध कार्यों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। पुलिस को देश में कानूनों को लागू करने के लिए ही संगठित किया जाता है। पुलिसजन के कार्यकारी अस्तित्व का आधारभूत सिद्धांत यही है।

पुलिस के समाज के साथ गहरे सम्बन्ध पाए जाते हैं तथा ये सम्बन्ध सार्वभौमिक संस्था के रूप में कार्य करने वाले राज्य की प्रकृति में परिवर्तन आने से और अधिक सुदृढ़ हुए हैं। सरकार मात्र एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था नहीं है जो अपने वर्तमान सामाजिक आदर्शों को बनाए रखने तथा बचाए रखने में जुटी रहे वरन् वह एक ऐसे अंग के रूप में भी उभरी है जो ऐसी योजनाएँ एवं कार्यक्रम भी बनाती है जिनसे समाज में प्रगति, विकास तथा बदलाव के कार्य चलते रहते हैं। अपनी इस नई भूमिका को निभाने के लिए राज्य तथा सरकार दोनों को ही अपने नागरिकों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी सहायता से ही वे राज्य शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं। इसलिए पुलिस तथा अन्य सरकारी इकाइयों को भी समाज पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उनकी सत्ता की वैधता भी सामाजिक सहमति पर ही निर्भर करती है और वह समाज पर निर्भर करती है। वे समाज की आकांक्षाओं की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए फातिमा बीबी का यह मानना है कि समाज एवं प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के कार्यकलाप में संपूर्ण रूप से एवं मानवीय ढंग से परिवर्तन लाया जाना चाहिए। इस प्रकार पुलिस जीवंत रूप से समाज तथा राज्य, दोनों से ही जुड़ी हुई होती है तथा वह दोनों के बीच एक कामकाजी पुल की भूमिका निभाती है। इसलिए पुलिस की भूमिका तथा प्रकृति एक ओर तो राजनीतिक विकास के दबावों तथा तनावों से तय होती है तथा दूसरी ओर वह उभरती हुई सामाजिक प्रक्रियाओं तथा प्रतिमानों से निर्धारित होती है। वस्तुतः किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज में शांति एवं व्यवस्था बिना पुलिस सहयोग के स्थापित नहीं की जा सकती। इसीलिए पुलिस का कार्य समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है ताकि अराजकता को समाप्त किया जा सके। पुलिस के महत्व की ओर इंगित करते हुए पेट्रिक कलकोहन

ने लिखा है कि एक अच्छे समाज के अंदर एक अच्छी पुलिस एक दूसरी ईश्वर प्रदत्त कृपा होती है। पुलिस एक नियंत्रणकारी प्रशासन तंत्र के रूप में कार्य करती है तथा प्रत्येक समाज में विधि एवं व्यवस्था की कड़ी होती है जो हर वक्त अपराधियों एवं सामाजिक कंटकों से मुकाबला करने को सन्नद्ध रहती है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाज, राज्य एवं पुलिस, तीनों अपने अस्तित्व के लिए एक-दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौते के परिणामस्वरूप राज्य का उदय हुआ और यह कहा जा सकता है कि ये तीनों परस्पर अन्योन्याश्रित हैं।

पुलिस-जनता सम्बन्ध : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

पृथ्वी पर मानव जाति के आविर्भाव काल से ही अस्तित्व रक्षा एवं सामुदायिक सुरक्षा का भाव रहा है, जिसका परिणाम 'पुलिस' नामक संस्था का उदय रहा है जिसका कर्तव्य यह निर्धारित किया गया है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भली-भांति कर सके तथा जन सामान्य अपनी राज-व्यवस्था का संवर्धन कर सके, इसके लिए समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखे। इसे स्पष्ट करते हुए छेविगिंग पोल ने लिखा है, "यह शासन की ऐसी क्षमता है जोकि उसके वैधानिक बल के एकाधिकार से प्राप्त होती है, जिसके अंतर्गत वह स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं संवर्धन, सामुदायिक कल्याण, आपराधिक व्यवहार, विवाह तथा तलाक से संबद्ध विधियां, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण तथा हस्तांतरण, जल तथा अन्य संसाधनों के वितरण तथा शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक कार्य भी 'पुलिस शक्ति' के अंतर्गत ही करता है।" पुलिस-जनता सम्बन्धों को समझाने के लिए उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया जा रहा है।

भारत में आधुनिक पुलिस बल की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई। यद्यपि इससे पूर्व भी प्राचीन काल एवं मध्यकाल में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के समान ही संस्थाओं की स्थापना की गई, लेकिन वे ब्रिटिश पुलिस तंत्र से सर्वथा भिन्न थी, जिसे स्पष्ट करते हुए प्रभा दीक्षित ने लिखा है कि प्राचीन और मध्य युग में पुलिस-व्यवस्था और उसका गठन भारत के अंग्रेज शासकों द्वारा रचे गए पुलिस तंत्र से भिन्न था। अंग्रेजों के पहले पुलिस के एक विशाल तंत्र का अभाव था। भारतीय शासकों के लिए प्रजा उनकी शत्रु नहीं थी, जिसकी शत्रुता से अपने को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पुलिस के रूप में अर्द्ध सैनिक बल का जाल हर दिशा में फैलाना होता था। उनका प्राथमिक उद्देश्य साम्राज्यवादी हितों की सम्पूर्ति करने के साथ ही उनकी पुलिस का उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना था। प्रजा के हित अनेक प्रकार के थे। इसलिए भारतीय शासकों की पुलिस का एकमात्र दायित्व अपराधी तत्वों पर नियंत्रण और उनका दमन करना नहीं, बल्कि उन्हें अन्य सामाजिक प्रशासनिक कार्यों का भी भार वहन करना पड़ता था, जो आज के युग में नगर पालिकाएँ, आबकारी विभाग आदि करते हैं। कई मामलों में पुलिस की चौकी अदालत का काम भी करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मालगुजारी की वसूली तथा सुरक्षा के लिए पुलिस की अनिवार्यता को महसूस किया गया। वारेन हेस्टिंग्ज, जोकि उस समय कंपनी शासन का प्रमुख था, ने भारत में पुलिस-व्यवस्था का सूत्रपात करने का प्रयोग किया। उसने कर वसूली करने तथा पुलिस प्रशासन लागू कर संगीन अपराधों के दबाने के लिए मुगल फौजदारों की प्रणाली को पुनर्स्थापित किया था, परंतु यह प्रयोग असफल रहा। संगठित एवं

सशक्त पुलिस बल के रूप में भारतवर्ष में सर्वप्रथम 'रॉयल आयरिश कांस्टेबुलरी' की स्थापना सन् 1843 में चार्ल्स नेपियर ने की।

इसके पश्चात् पुलिस-व्यवस्था में समय-समय पर अनेकानेक सुधार किए गए तथा सन् 1860 में 37 सर्कुलरों को मिलाकर **भारतीय पुलिस अधिनियम (Indian Police Act] 1861)** बनाया गया, जो 22 मार्च, 1861 से पूरे भारत में लागू हो गया। आज भी भारतीय पुलिस सन् 1861 के पुलिस अधिनियम (सन् 1861 का अधिनियम संख्या 5) से शासित होती है। इसकी मुख्य बातें निम्न थीं

1. भारतीय पुलिस का नियंत्रण नागरिक शासन के अंतर्गत होगा और उसके कर्तव्य भी नागरिक होंगे, फौजी नहीं।

2. पुलिस बल का गठन और अनुशासन भारतीय फौज के समान किया जाएगा और वह कार्यकारी शासन के हाथ में केंद्रित रहेगा।

3. बल की आंतरिक अर्थव्यवस्था पुलिस अधिकारियों के हाथ में होगी।

इस ऐक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रदेशों में पुलिस बल का गठन किया गया। जिनका संचालन प्रदेश सरकारों के अधीन पुलिस महानिरीक्षकों के द्वारा किया जाता रहा। इस ऐक्ट के अनुसार, जिला स्तर पर पुलिस बल का प्रशासन जिला दंडाधिकारी के सामान्य नियंत्रण तथा निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक के हाथ में रखा गया। प्रादेशिक विभाजन के अनुसार, पुलिस बल का प्रदेश स्तर पर गठन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर एक पुलिस बल का गठन नहीं किया गया। सन् 1860 के पुलिस आयोग के समक्ष लोक कल्याण एवं प्रजातंत्र जैसे उच्च आदर्श नहीं थे। तत्पश्चात् लॉर्ड एल्गिन के समय में पुलिस अधिकारियों की सुविधा के लिए ठगी और डकैती विभाग का पुनर्गठन किया गया। लॉर्ड लिटन ने इसे एक बार फिर पुनर्गठित करते हुए इसे केंद्रीय खुफिया एजेंसी का स्वरूप प्रदान किया। लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस-व्यवस्था की जांच हेतु फ्रेजर आयोग का गठन किया गया। इसके द्वारा की गई वे अनुशंसाएँ, जिनको सरकार द्वारा लागू किया गया, निम्न हैं।

1. पदोन्नति के स्थान पर प्रत्येक पद पर सीधी नियुक्ति की जानी चाहिए।

2. पुलिस में ग्रामीण व्यक्तियों को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

3. प्रांतीय पुलिस में वृद्धि की जानी चाहिए।

4. सामान्य सिपाही को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए।

5. प्रशिक्षणालयों की स्थापना की जानी चाहिए, तथा

6. प्रत्येक प्रांत में गुप्तचर पुलिस की स्थापना की जानी चाहिए।

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश शासन द्वारा एक सुदृढ़ एवं सुगठित पुलिस प्रशासन तंत्र की स्थापना की जा चुकी थी। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान यह विनिश्चय किया गया कि पुलिस प्रशासन को यथावत् रखा जाए। भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.)को अखिल भारतीय सेवाओं में स्थान दिया गया। तथा पुलिस विषय को राज्य सूची में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो संगठनात्मक प्रणालियाँ विदेशी शासकों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए विकसित की थीं, वे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ज्यों की त्यों अपना ली गईं। यद्यपि शासन के उद्देश्य बदल गए, परंतु संविधान निर्माताओं ने तारतम्य एवं स्थायित्व बनाए रखने के लिए पुलिस-व्यवस्था को वैसा ही बनाए

रखा। फलतः भारतीय लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में पुलिस की भूमिका गुरुत्तर और विस्तीर्ण होती चली गई, किंतु इसके अनुरूप उसमें परिवर्तन नहीं किया गया जिससे पुलिस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को मूल भावना 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' को क्रियान्वित करने में स्वयं को असहाय महसूस करने लगी है।

वस्तुतः पुलिस-जनता सम्बन्धों की सबसे बड़ी समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की पुलिस-व्यवस्था, उसकी परंपराओं, नीतियों एवं सिद्धांतों को ज्यों का त्यों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिग्रहण किया जाना है। 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान निर्माण के साथ ही नए युग का सूत्रपात हुआ। नए संविधान के अंतर्गत रखा गया है। राज्य की सूची में सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस, जिसमें रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस हैं, शामिल किए गए हैं।

पुलिस-जनता सम्बन्ध : अवधारणात्मक स्वरूप

पुलिस-जनता सम्बन्धों का सुविकसित स्वरूप वह विश्वसनीय उपकरण है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक समाज में पुलिस और जनता के पारस्परिक सम्बन्धों की अन्तःक्रियात्मक सत्यता को समझा जा सकता है। पुलिस-जनता सहसम्बन्धों की बहुआयामी व सर्वग्राही प्रकृति होती है। पुलिस और जनता के बीच मैत्रीपूर्ण एवं स्वैच्छिक सम्बन्ध प्रजातांत्रिक प्रणाली की सफलता के लिए जरूरी हैं। इस बात को समझने की पुलिस को सबसे अधिक जरूरत है, क्योंकि उसे ही जनता की समस्याओं पर निपटना होता है। जनता की समस्याओं को समझने के लिए विशिष्ट संवेदनशीलता की जरूरत है। सामुदायिक बोध इसकी शर्त है। इसके लिए पुलिस व जनता, दोनों को ही ईमानदारी से पारस्परिक सम्बन्धों की स्थापना के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तत्सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु संयुक्त प्रयास करने होंगे। पुलिस तथा जनता के मध्य व्याप्त भ्रांतियों एवं अलगाव की स्थितियों के निराकरण के कार्य सद्भाव एवं समन्वय से ही सफल हो सकेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक बार कहा था, "वर्दी में जनता ही पुलिस है और बिना वर्दी के पुलिस जनता है।" उपरोक्त कथन के अंतर्गत एक बड़ी गूढ़ भावना अंतर्निहित है, जिसका तात्पर्य यह है कि पुलिस एवं नागरिकों को एक दूसरे से भिन्न न समझकर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पर्यायवाची मानना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों में सामुदायिक पुलिस (Community Police) की अवधारणा को भारत में साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वराष्ट्र मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बैठक में कहा था, "हम सबको अच्छी तरह समझना होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार पुलिस राज के आधार पर नहीं चल सकती। यह तभी कार्य कर सकती है जब समग्र रूप से जन सामान्य की स्वेच्छा से सहमति एवं सहयोग प्राप्त हो। अन्य किसी क्षेत्र में जन सामान्य के सहयोग की उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी कि पुलिस के फील्ड कार्य में। भले ही यह कार्य अपराध की रोकथाम या अपराध का पता लगाने का हो अथवा अनियंत्रित भीड़ या उद्दंड व्यक्तियों के जमाव का सामना करने का हो। भारतीय लोग सहज ही विश्वास कर लेते हैं। अतः आपको उनका विश्वास प्राप्त हो जाएगा तो मुझे भरोसा है कि आप उसे बनाए रखेंगे।" यह भारतीय समाज की विडंबना ही है कि पुलिस आज तक जनता का विश्वास प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं हो पाई है।

पुलिस-जनता सम्बन्ध : सुधारात्मक प्रयास

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता की रक्षा करने का दायित्व पुलिस प्रशासन का होता है। पुलिस की स्थापना के समय जो उद्देश्य थे, वे आज परिवर्तित हो गए हैं। पुलिस अधिनियम के अनुसार, पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अपराधों की रोकथाम, आपराधिक सूचनाओं का संग्रहण करना तथा सम्मन वारंट की तामील आदि तक सीमित था, परंतु वर्तमान समय में ये कार्य द्वितीय श्रेणी में आ गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के कार्यों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, जनता की सुरक्षा करना तथा निर्वाचन आदि प्रमुख हो गए हैं। अतः जनता उससे यह अपेक्षा करती है कि वह कानून के रक्षक की भूमिका का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करे एवं समाज के मुखिया का उत्तरदायित्व निभाते हुए समाज के प्रत्येक अंग-उपांग का पालन-पोषण एवं संरक्षण अपने विवेक से करे।

चूंकि भारत विश्व के अन्य लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों की भांति एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, जिसमें संप्रभुता जनता में निहित होती है। अतः जनता के सुख-दुःख एवं उसके कल्याण तथा विकास का दायित्व शासन एवं प्रशासन का होता है। जैसा पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि पुलिस बल राज्य की कार्यपालक भुजा है और इस नाते उसका यह दायित्व बनता है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित किए गए कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करे तथा कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् समाजकंटकों एवं अपराधियों को पकड़े तथा उन्हें न्यायपालिका में प्रस्तुत करे ताकि किए गए अपराध के सम्बन्ध में न्यायपालिका निर्णय ले सके। इस प्रकार पुलिस राज्य का एक ऐसा उपकरण है, जो जनता के साथ सर्वाधिक संपर्क में रहती है और यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुलिस की भूमिका और जनता के साथ उसके सम्बन्धों की प्रकृति से राष्ट्र की प्रगति और भविष्य को सुनिश्चित करने में अहम् भूमिका निभाती है क्योंकि राष्ट्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का महती दायित्व पुलिस का होता है और किसी राष्ट्र की प्रगति तभी संभव है जबकि समाज में शांति एवं व्यवस्था बनी रह सके ताकि जनता अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन कर सके।

यह एक सुस्थापित तथ्य है कि भारतीय पुलिस आज भी सन् 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम से शासित होती है। परिवर्तित समय की मांग के अनुसार उसमें जितने संशोधन किए जाने चाहिए थे, उतनी मात्रा में नहीं किए गए और परिणामतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पांच दशक से भी अधिक का समय बीत जाने के उपरांत भी उसकी कार्यप्रणाली संतुष्टिदायक नहीं कही जा सकती। यही कारण है कि भारतीय पुलिस की छवि जनता में नकारात्मक है। समय-समय पर पुलिस की कार्यप्रणाली, कार्यप्रक्रिया एवं जनता के साथ सम्बन्धों पर प्रश्न चिह्न लगाए जाते रहे हैं।

एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के सेवक की भूमिका का निर्वहन करे और उससे मित्रवत् सम्बन्ध बनाए रखे किंतु यह एक विडंबना ही है कि भारतीय पुलिस अपनी उस ऐतिहासिक विरासत से अपने आपको मुक्त नहीं कर पाई जो उसे ब्रिटिश शासन के दौरन मिली थी। यही कारण है कि उसकी छवि नकारात्मक बनी हुई है। अतएव यहां पर कुछ ऐसे सुझाव दिए जा रहे हैं, जिनको यदि क्रियान्वित किया जाए तो भारत में पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना की जा सकेगी

1. पुलिस एवं जनता के मध्य अच्छे सम्बन्धों की स्थापना के लिए सर्वप्रथम यह अपरिहार्य है कि

शासन द्वारा परिवर्तित समय की मांग के अनुरूप नवीन कानूनों का निर्माण किया जाए जिनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया सरल हो तथा वे पुराने कानून, जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, उन्हें या तो समाप्त किया जाए अथवा उनमें संशोधन किया जाए। पुलिस प्रशासन की वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे अधिकांशत: उन पुराने कानूनों की पहचान करके उन्हें आवश्यकतानुसार समाप्त करना या उनमें संशोधन करना समय की मांग है।

2. पुलिस को समय की मांग को पहचानते हुए अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में पुलिस अत्याचारी या आततायी बन के नहीं रह सकती बल्कि उसे जनता का सेवक बनना होगा। उसे अपने कार्यों से यह सिद्ध करना होगा कि उसका एकमात्र कर्तव्य समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं है बल्कि इसी के साथ-साथ उसका यह भी कर्तव्य है कि वह जनता से मित्रवत सम्बन्ध बनाए ताकि आम जनता उसे अपना संकटमोचक माने और किसी भी समय कोई भी समस्या आने पर उसकी सहायता ले।

3. जनता को भी अपनी भूमिका को पहचानना होगा। उसे यह स्वीकार करना होगा कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस अपने कर्तव्यों का निष्पादन उचित तरीके से नहीं कर पाएगी। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि जनता पुलिस की सहायता करे। अपराध घटित होने पर तत्काल उसकी सूचना न केवल पुलिस को दे बल्कि अपराध के संदर्भ में जो भी जानकारी उसे है, वह पुलिस को बताए। इसी के साथ-साथ यदि उसके आस-पास आपराधिक तत्व सक्रिय हैं अथवा उसे आपराधिक तत्वों के बारे में जानकारी है तो उसकी भी जानकारी पुलिस को दे क्योंकि तभी पुलिस समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रख सकती है।

4. वर्तमान समय में पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर सम्बन्धों के अभाव का एक बहुत बड़ा कारण पुलिसकर्मियों के दिए जाने वाले प्रशिक्षण में छिपा हुआ है। पुलिस को आज प्रशिक्षण उसी पद्धति से दिया जाता है जिस पद्धति से ब्रिटिश शासन काल में दिया जाता था। वर्तमान समय में पुलिस प्रशासन में शारीरिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है अपेक्षाकृत मानसिक अभिवृत्तियों के विकास के। अत: प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

5. पुलिस प्रशासन में कार्मिकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा उन्हें अधिक अच्छी कार्यदशाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिए क्योंकि शासन के अन्य विभागों की अपेक्षा उसके कर्तव्य बहुत अधिक कठोर होते हैं। अत: शासन का यह दायित्व है कि वह पुलिस प्रशासन श्रेष्ठ कार्यदशाएँ उपलब्ध करवाए।

सार रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण एवं उसकी प्रगति में पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और पुलिस एवं जनता के मध्य मधुर सम्बन्धों का विकास ही लोकतांत्रिक समाज के लिए अपरिहार्य शर्त है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस एवं जनता के मध्य सम्बन्धों को मधुर बनाने के लिए दोनों पक्षों को ही आगे बढ़कर एक-दूसरे का न केवल पूर्णरूपेण सहयोग करना होगा बल्कि भारत को तब सहस्त्राब्दि में विश्व महाशक्ति बनाने के लिए प्रयत्न करना होगा।

❑

पुलिस की प्रभावशीलता में अभिप्रेरणा का महत्व

- डॉ. जोरावर सिंह राणावत

अतिथि व्याख्याता

एम.एम. विश्वविद्यालय, उदयपुर

मनुष्य जीवन में कर्म और संघर्ष निरन्तर चलते रहते हैं। इसके लिए मनुष्य को निरन्तर ऊर्जा और प्रेरणा की आवश्यकता रहती है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा या प्रेरणा प्रदान करने का कार्य अभिप्रेरणा करती है। अभिप्रेरणा किसी कार्य की पूर्णता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा। सामान्यत: अभिप्रेरणा का उद्देश्य मनुष्य में कार्य करने की इच्छा शक्ति को जाग्रत करना तथा उसका आत्मविश्वास बढ़ाना है ताकि निश्चित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। दरअसल, अभिप्रेरणा कार्य करने की क्षमता तथा कार्य करने की इच्छा के मध्य पुल का कार्य करती है। प्रशासन में प्रारंभ में आर्थिक कारकों व दण्ड को ही अभिप्रेरणा के तत्वों के रूप में लिया जाता था। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा के संदर्भ में कैरेट एण्ड स्टीक का सिद्धांत का प्रचलन हुआ जिसमें दण्ड और इनाम, दोनों का प्रावधान होता है, परन्तु व्यवहारवादी उपागम के आने के बाद आर्थिक से अभिप्रेरक तत्वों के रूप में भिन्न तत्वों की भी पहचान की गई और इस सम्बन्ध में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया गया।

अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में सुप्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने अभिप्रेरणा के साथ-साथ मनुष्य के वातावरण को भी कार्य को पूर्ण करने में प्रभावी कारक के रूप में पहचाना। हर्ज़बर्ग ने अपने द्विघटक सिद्धांत में बताया कि कार्य-संतोष में संलग्न कारकों का समुच्चय कार्य असंतोष में संलग्न कारकों के समुच्चय से पूरी तरह अलग है। पहले प्रकार के कारकों को इन्होंने 'अभिप्रेरक घटक' नाम दिया, जो कार्य की प्रकृति से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन व प्रयास के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें उपलब्धि, मान्यता, पदोन्नति, विकास की संभावनाएँ आदि शामिल हैं। दूसरे प्रकार के कारकों को इन्होंने 'आरोग्य घटक' नाम दिया, जो चिकित्सकीय आरोग्य कारकों के समान कार्य की प्रकृति से न जुड़े होकर कार्य के परिवेश से जुड़े हुए हैं। ये घटक प्रेरित नहीं करते हैं, परन्तु इनकी उपस्थिति कार्य के प्रति असंतोष को रोकती है। इसमें वेतन, पर्यवेक्षण, कार्य की दशाएँ, वैयक्तिक सम्बनध आदि शामिल हैं। अभिप्रेरणा में अभिप्रेरक घटकों का योगदान 81 प्रतिशत जबकि आरोग्य घटकों का 19 प्रतिशत होता है, वहीं कार्य असंतोष को कम करने में आरोग्य घटकों का योगदान 69 प्रतिशत जबकि अभिप्रेरक घटकों का 31 प्रतिशत होता है।

अन्य संगठनों की तरह ही पुलिस प्रशासन में भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। पुलिस को प्रभावी कार्य निष्पादन एवं प्रभावशाली कार्य प्रदर्शन के लिए निरन्तर अभिप्रेरणा की आवश्यकता रहती है। प्रभावशीलता का सामान्य अर्थ किसी तंत्र, कार्य, व्यक्ति या संस्था की प्रभाव डालने वाली क्षमता या परिणाम की क्षमता से है तथा प्रभावशीलता को प्राय: कार्य या प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुए परिणामों तथा प्रभावों के आधार पर मापा जाता है। सामान्यत: प्रभावशीलता का विश्लेषण संगठनों की प्रकृति, कार्य प्रौद्योगिकी, प्रयुक्त की गई रणनीतियों तथा दृष्टिगत हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के आधार पर किया जाता है। पुलिस प्रशासन के संदर्भ में हर्ज़बर्ग के द्विघटक सिद्धांत को देखने पर पाते हैं कि पुलिस को प्रभावी बनाने में अभिप्रेरणा के साथ-साथ आरोग्य घटकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए

यह शोध किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र लेखक के एक वृहद् शोध का अप्रकाशित अंश है।

इस शोध कार्य में निम्नलिखित शोध प्राक्कल्पना रही है –

- पुलिस की प्रभावशीलता उसके आन्तरिक (सांगठनिक) कारकों द्वारा प्रभावित होती है।

इस शोध कार्य हेतु आंकड़ों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु प्राथमिक स्त्रोत का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु भौगोलिक क्षेत्र के रूप में उदयपुर जिले का चयन किया गया था तथा जिले के 43 पुलिस थानों के कार्मिकों व पुलिस थाना क्षेत्रों से आमजन से आँकड़ों का संकलन किया गया था। प्रस्तुत शोध में अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2017 में पुलिसकर्मियों की संख्या 3,706 स्वीकृत है, जिसका लगभग 5 प्रतिशत निदर्शन इकाई के रूप में लिया गया, जिसे अध्ययन की सुविधा के लिए 200 निर्धारित किया गया तथा इतने ही आमजन भी लिए गए। शोध कार्य में वर्गीकृत सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि (Stratified cum purposive sample method) का उपयोग किया गया है। आम जनता से 200 तथा पुलिस विभाग के कार्मिकों से 200 प्रश्नावलियाँ/अनुसूचियाँ भरवाई गई थीं। प्राक्कल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रतिक्रियाओं से प्राप्त आँकड़ों पर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कॉरिलेशन कॉएफिशिएँट टेस्ट (Pearson Product Moment Correlation Coefficient Test) लगाया गया है, जिससे निम्न निष्कर्ष/परिणाम प्राप्त हुए हैं–

इस शोध में पुलिस की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्वों में आधारभूत सुविधाएँ, पुलिस के हथियारों की उपलब्धता, पर्याप्तता व आधुनिकता एवं पुलिस के पास कम्प्यूटर की उपलब्धता को शामिल किया गया है और प्रभावशीलता के मापदण्डों में क्षेत्र की कानून–व्यवस्था या सुरक्षा एवं जनसंतुष्टि को शामिल किया गया है। प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं मापदण्डों के मध्य सहसम्बध परीक्षण किया गया है। निम्नांकित सारणियों में परीक्षण से प्राप्त परिणामों में प्रभावशीलता के तत्वों व मापदण्डों के मध्य परीक्षण में प्राप्त धनात्मक मान यह इंगित करते हैं कि तत्वों में वृद्धि के साथ प्रभावशीलता एवं जनसंतुष्टि में भी वृद्धि होती है वहीं ऋणात्मक मान यह इंगित करते हैं कि तत्वों में कमी के साथ प्रभावशीलता एवं जनसतुंष्टि में वृद्धि होगी।

सारणी संख्या 1 : आमजन की प्रतिक्रियाओं का सह–सम्बन्ध परीक्षण द्वारा विश्लेषण

क्र.स.	प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व → / प्रभावशीलता के मापदण्ड ↓	आधारभूत सुविधाएँ	पुलिस के हथियारों की पर्याप्तता व आधुनिकता	पुलिस के पास कम्प्यूटर की उपलब्धता
1.	क्षेत्र की कानून व्यवस्था या सुरक्षा	0.658265*	0.921306*	0.960537*
2.	जनसंतुष्टि	0.638343*	0.934546*	0.189993*

* 0.1 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सह–सम्बन्ध परीक्षण का परिणाम

सारणी संख्या 2 : पुलिसकर्मियों की प्रतिक्रियाओं का सह–सम्बन्ध परीक्षण द्वारा विश्लेषण ।

क्र.स.	प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व → / प्रभावशीलता के मापदण्ड ↓	आधारभूत सुविधाएँ	पुलिस के हथियारों की पर्याप्तता व आधुनिकता	पुलिस के पास कम्प्यूटर की उपलब्धता
1.	क्षेत्र की कानून व्यवस्था या सुरक्षा	0.782685*	0.984361*	0.984236*
2.	जनसंतुष्टि	0.768369*	0.988333*	0.783936*

* 0.1 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर सह–सम्बन्ध परीक्षण का परिणाम

उपर्युक्त सारणी में प्रभावशीलता के प्रथम तत्व के रूप में आधारभूत सुविधाओं में थाना भवन, फर्नीचर, स्टेशनरी, आराम करने का स्थान, खेल का मैदान, पीने का पानी, शौचालय, आवास व भोजन की व्यवस्था, जीप व मोटरसाइकिल, हथियार व गोला–बारूद, वायरलैस, फैक्स, टेलीफोन, मेटल डिटेक्टर, बम निस्तारण के साधन, अन्वेषण व अंगुलियों की छाप के लिए किट, दूरबीन, कैमरा, टेप रिकॉर्डर, परीक्षण किट, ब्रीथ एनालाइज़र, खोज व पेकिंग किट, सुरक्षा कवच व अन्य कार्यात्मक व संचालनात्मक साधनों को शामिल किया गया है। दोनों सारणियों में आधारभूत सुविधाओं का प्रभावशीलता के साथ सार्थकता स्तर पर उच्च धनात्मक सह–सम्बन्ध पाया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि पुलिस प्रशासन में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के साथ–साथ पुलिस की प्रभावशीलता में भी वृद्धि होगी। आमजन की प्रतिक्रियाओं में सह–सम्बन्ध की कमी संभवत: आमजन की पुलिस प्रशासन द्वारा सामना की जा रही आधारभूत सुविधाओं की कमी के प्रति अनभिज्ञता के कारण आई है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के पुलिस संगठनों के आँकड़ों (1 जनवरी, 2017 तक) के अनुसार, देश में अब भी 273 पुलिस थानों में वाहन, 267 पुलिस थानों में टेलिफोन, 129 थानों में वायरलेस सेट और 51 पुलिस थानों में टेलिफोन और वायरलेस सेट दोनों ही नहीं है। साथ ही, 100 पुलिसकर्मियों पर मात्र 8.08 की औसत से वाहन एवं लगभग 4 पुलिसकर्मियों पर मात्र 1 की औसत से ही क्वार्टर उपलब्ध है। देश में पुलिस के पास मात्र 30,057 कैमरे उपलब्ध हैं जिसमें से 12,772 कैमरे यातायात में, 5,700 कैमरे सुरक्षा में और 11,585 कैमरे अन्वेषण में लगे हुए हैं वहीं देश में पुलिस के पास मात्र 65,190 सी.सी.टी.वी., 1,155 स्पीडोमीटर, 11,859 ब्रीथ एनालाइज़र ही उपलब्ध हैं।

प्रभावशीलता के द्वितीय तत्व के रूप में पुलिस के हथियारों की पर्याप्तता व आधुनिकता को लिया गया है। दोनों सारणियों में पुलिस के हथियारों की कानून–व्यवस्था और जनसंतुष्टि के साथ सार्थकता स्तर पर अति उच्च धनात्मक सह–सम्बन्ध पाया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि पुलिस के पास जितने पर्याप्त और आधुनिक हथियार होंगे, क्षेत्र की कानून–व्यवस्था और जनसंतुष्टि उतनी ही अधिक होगी। आमजन की प्रतिक्रियाओं में सह–सम्बन्ध के कम पाए जाने का संभावित कारण यह है कि सामान्यत: आमजन पुलिस के पास पाये जाने वाले हथियारों से अनभिज्ञ होते हैं परन्तु आपातस्थिति में हथियारों से सुसज्जित पुलिसकर्मी जनसंतुष्टि प्रदान करता है।

प्रभावशीलता के तृतीय तत्व के रूप में पुलिस के पास कम्प्यूटर की उपलब्धता को लिया गया है।

दोनों सारणियों में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था के साथ कम्प्यूटर की उपलब्धता का सार्थकता स्तर पर उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध पाया गया है वहीं दूसरी ओर जनसंतुष्टि के मामले में आमजन की प्रतिक्रियाओं में सह-सम्बन्ध निम्न है। यह सम्भवत: आमजन की पुलिस प्रशासन में कम्प्यूटर की उपयोगिता के प्रति जानकारी के अभाव के कारण और थानों में कम्प्यूटर के होने के बाद भी काम न होने के कारण आया है। वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मी इस तथ्य से भली प्रकार से परिचित हैं। इसलिए उनकी प्रतिक्रियाओं में उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध आया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के पुलिस संगठनों के आँकड़ों (1 जनवरी, 2017 तक) के अनुसार, पुलिस संगठन में 24,64,484 पुलिस कार्मिकों पर मात्र 1,04,390 कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। साथ ही, देश के 758 पुलिस जिलों में मात्र 114 साइबर सेल व 39 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि पुलिस प्रशासन की प्रभावशीलता का आरोग्य घटकों अर्थात् आधारभूत सुविधाओं और संसाधनों के साथ उच्च धनात्मक सह-सम्बन्ध हैं जो यह निष्कर्ष प्रदान करता है कि पुलिस प्रशासन में संसाधनों और आधारभूत संरचनाओं की अपर्याप्तता के कारण पुलिस की प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है। साथ ही, यदि संसाधनों में पर्याप्त मात्र में वृद्धि की जाए तो प्रभावशीलता में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी।

उक्त शोध कार्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय पुलिस प्रशासन विशेषत: उदयपुर पुलिस की प्रभावशीलता एवं सामाजिक छवि, दोनों ही न्यूनता की ओर है, जिसके मूल में पुलिस कार्मिकों में अभिप्रेरणा का अभाव है। एक ओर पुलिस के पास भौतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं व पुलिस कार्मिकों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते आकर्षक नहीं हैं। अत: इन आरोग्य घटकों की कमी के चलते पुलिस कार्मिकों में असंतोष बना रहता है, जो अन्तत: उनकी प्रभावशीलता और सामाजिक छवि को प्रभावित करता है। दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों को अभिप्रेरित कर सकने वाले उच्च स्तरीय मानक, जैसे- उपलब्धि, मान्यता, पदोन्नति और विकास की संभावनाएँ भी इतनी बेहतर स्थिति में नहीं हैं कि वे पुलिस कार्मिकों को संतुष्टि प्रदान कर सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पुलिस तंत्र में न तो असंतुष्टि रोकने के प्रयास हो रहे हैं और न ही संतुष्टि प्रदान करने वाला वातावरण प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में नीतिगत निर्णयों की तत्काल आवश्यकता है।

*लेखक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) के लोक प्रशासन विभाग में अतिथि व्याख्याता है।

संदर्भ

1. एस. आर. महेश्वरी, समग्र लोक प्रशासन, टाटा मैक्ग्रॉ हिल्स एजूकेशन, 2010
2. सुरेन्द्र कटारिया, प्रशासनिक चिंतक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2010
3. जोरावर सिंह राणावत, भारतीय पुलिस प्रभावशीलता और सामाजिक छवि, इण्डियन पब्लिकेशन, जयपुर, 2017
4. पुलिस संगठनों के आँकड़े (1 जनवरी, 2017 तक), पुलिस अनुसंधान और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

❑

आतंकवाद तथा देश की वर्तमान स्थिति

श्रीमती नीलमणि शर्मा

प्रधान निजी सचिव

विद्युत मंत्रालय, नई दिल्ली

21वीं शताब्दी में आतंकवाद का खतरा लगभग सभी विकसित तथा विकासशील, दोनों ही देशों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का प्रमुख विषय बन गया है। आतंकवाद कितने बड़े पैमाने पर कैंसर की तरह फैलता चला गया, इसका अहसास दुनिया के देशों को अब हुआ है। यह एक ऐसी ज्वलंत समस्या है, जिससे आज दुनिया का लगभग हर व्यक्ति भली-भांति परिचित है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति तथा अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में विश्वास रखती है। इसका प्रयोग प्रायः विरोधी वर्गों, दलों, समुदायों या सम्प्रदायों को भयभीत करने और उन पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जबकि वे यह नहीं जानते कि आजादी के लिए दूसरों के प्राणों की हानि नहीं, अपितु अहिंसावादी संघर्ष की आवश्यकता है, जैसा कि गांधीजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया था।

वर्तमान समय में विश्व समुदाय आतंकवाद पर दो भागों में बँटा नजर आता है। एक ओर आतंकवादी हैं, जो हिंसा को जेहाद के रूप में प्रचारित करते हैं और दूसरी ओर पूरा विश्व है, जो इसके निशाने पर है। आज आतंकवाद विश्व राजनीति का एक ऐसा अंग बन चुका है, जो लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक की कार्यसूची में सबसे ऊपर होता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक संघर्ष के एक हथियार के रूप में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय जीवन का अंग तब तक बना रहेगा, जब तक राजनीतिक और सामाजिक रूप से उपेक्षित, असंतुष्ट या वंचित समुदायों का अस्तित्व रहेगा।

आतंकवाद की उत्पत्ति

आतंकवाद एक वाद या व्यवस्था के रूप में भले ही बहुत बाद में स्थापित हुआ, पर इसके बीज हजारों वर्ष पहले ही पड़ चुके थे। जहां एक ओर रामराज्य जैसी व्यवस्थाएँ थीं, वहीं क्रूर और दयाहीन राक्षसी प्रवृत्ति के निरंकुश शासनाध्यक्षों से हमारा प्राचीन इतिहास और साहित्य भरा पड़ा है। रामायण काल में रावण के नेतृत्व में खरदूषण, मारीच, सुबाहु और ताड़का जैसे आतंकियों ने संपूर्ण भारत को पीड़ित कर रखा था, तो महाभारत काल में कंस के नेतृत्व में मुष्टिक, शकटासुर, बकासुर और पूतना आदि ने अपने आतंक से सामान्य जन-जीवन को त्रस्त कर दिया था।

रोम में द्वितीय शताब्दी ईसापूर्व में आतंक और हिंसा के कई उदाहरण हैं, जहां गुलामों ने विद्रोह किया था। 5वीं और 6वीं सदी में ऐसे उदाहरण हैं, जब निरंकुश शासनों के खिलाफ आवाज उठी थी। मानवीय हिंसा कब धीरे-धीरे अपना स्वरूप बदलकर आतंकवाद के रूप में स्थापित हो गई, यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ स्पष्ट प्रमाण 16वीं और 17वीं शताब्दी में दिखने लगे थे। यूरोप के इतिहास में वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1779 से 1947 तक का समय आतंक का समय था। फ्रांस के इतिहास में इसे 'आतंक का राज्य' (Regin of Terror) कहा जाता है। यह वह समय था, जब हजारों फ्रांसिसी बुद्धिजीवियों का 'ग्लूटिन' मशीन द्वारा कत्लेआम कर दिया गया।

आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा नहीं

'आतंकवाद' एक ऐसा शब्द है, जिसकी

परिभाषा स्थान, समय, परिवेश और उद्देश्य के माध्यम से निरंतर बदलती रहती है। आतंकवाद की विडंबना है कि एक देश या वर्ग इसे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष का नाम देता है तो दूसरा देश या वर्ग उसी को आतंकवाद की संज्ञा देता है। कई बार तो क्रांतिकारी गतिविधियों की अवमानना करने के लिए उनको भी आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है। आतंकवाद को एक परिभाषा के दायरे में लाना एक बहती नदी को कुएँ में समाने जैसा है।

Terror शब्द फ्रांस और लैटिन के Terrere से बना है, जिसका अर्थ है, डराना To frighten! इसमें व्यवस्था तथा नागरिकों का मनोबल गिराने तथा उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने का भाव भी छिपा हुआ है। क्वारल्स के अनुसार, आतंकवाद (Terrorism) एक विचारधारा के रूप में 'टेरर' (Terror) शब्द 'डीटेरे' (Dterre) लैटिन भाषा के 'टेरेरे' (Terrere) शब्दों से निकला है। टेरेरे का मतलब है, भयभीत होने का कारण तथा डीटेरे का अर्थ, है आतंकित करना। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, ''यह एक ऐसा तरीका है, जिसके द्वारा एक संगठित समूह अथवा दल अपने प्रकट उद्देश्यों की प्राप्ति योजनाबद्ध हिंसक तरीकों से करता है।''

आतंकवादियों के तौर-तरीके

आज आतंकवाद अपनी शिशु अवस्था को पार कर चुका है। अब उनकी यौवनावस्था देखी जा सकती है। अब 30-40 आतंकवादियों की संख्या से बने संगठनों के दिन लद चुके हैं। अब आतंकवादी संगठन एक आर्मी की तरह ही भर्ती, प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे पैसा, प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों के लिए कुछ देशों और संगठनों से समझौते और सौदे भी कर रहे हैं। किसी घटना में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जिससे उस घटना को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है।

आतंकवादी जिस हथियार का प्रयोग करते हैं, वह है, डर। वे हिंसा के माध्यम से केवल उन लोगों में ही डर पैदा नहीं करते, जिनके मित्र या संबंधी मारे जाते हैं बल्कि आतंक की लहरें काफी दूर-दूर तक जाती हैं। आतंक का दायरा जितना बड़ा होता है, उतनी आतंकवादी की सफलता होती है। आतंकवादी इक्का-दुक्का हिंसा की घटनाओं को युद्ध में बदलने की कोशिश करता है। वे जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए संचार सेवा नष्ट करता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसके लिए वे रेलवे की पटरी को हटा देना, विद्युत पोल को उड़ा देना, टेलीफोन लाइनों को तोड़ देना, रेल और बसों में बम रखकर उनको ध्वस्त कर देना, स्टेशनों, सार्वजनिक स्थानों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बम रखना आदि कामों को अंजाम देते हैं। बस समय, स्थान और व्यक्ति के आधार पर इस कार्रवाही का स्वरूप बदलता रहता है।

आतंकवादी किसी सीमा रेखा या सरहद की कोई परवाह नहीं करते। वे अपने काम को अंजाम देने के लिए आधुनिक तकनीकी सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। वे अपनी रणनीति के अनुसार अपने स्थान बदलते रहते हैं। एक समय था जब अनपढ़ और अशिक्षितों को आतंकवादी बनाया जाता था, लेकिन अब आतंकवादियों में डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी होते हैं। आतंकवाद का सबसे खतरनाक रूप है, आत्मघाती हमले अर्थात् मानव बम। चूँकि उसे खुद मरने की परवाह नहीं होती इसलिए वह किसी से भयभीत नहीं होता। यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है, जिसमें आत्मघाती को नियमित रूप से धीरे-धीरे तैयार किया जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य अपनी कुर्बानी समझने लगता है।

आतंकवादी तीन बातों का निर्णय खुद करते हैं – लक्ष्य, समय और हथियार। इसके साथ ही वे जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। आतंकवाद की प्रकृति में यह निहित है कि वह एक जगह कार्रवाई करता है, पर उसके तार दूर–दूर तक फैले होते हैं, जैसे असम का आतंकवादी संगठन, उल्फा अपने कई काम बांग्लादेश कार्यालय से करता है। पूर्वोत्तर में सक्रिय कई आतंकवादी संगठन अपनी कार्रवाई तो राज्य में करते हैं, पर उनके नेता म्यांमार, बैंकॉक या लंदन में बैठे होते हैं।

आतंकवाद का उद्देश्य

आतंकवाद का एक खास उद्देश्य होता है, जो बड़ी सावधानी से चुना जाता है। हिंसा आतंकवाद की रीढ़ की हड्डी है। एक जमाना था, जब आतंकवादी हमले का मतलब कुछ लोगों की जान ले लेना, कोई बम फोड़ देना या फिर कुछ लोगों का अपहरण कर लेना था। आज का आतंकवादी हमला कुछ हत्याओं और हवाई जहाजों के अपहरण से भी आगे निकलकर हवाई जहाजों के आत्मघाती हमलों तक पहुंच गया है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हरेक आतंकवादी चाहता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना ज्यादा प्रभावपूर्ण और दिल दहलाऊ हो। यह माना जाता है कि आतंकवाद ऐसी हथियारबंद कार्रवाई है, जिसका निशाना कोई दूसरी सेना नहीं अपितु साधारण नागरिक होते हैं। आतंकवाद का उद्देश्य नागरिकों की उस इच्छा शक्ति को ध्वस्त करना होता है जिसके चलते वे उस नेतृत्व या नीतियों का समर्थन करते हैं, जो हिंसा करने वालों को अस्वीकार्य हैं। आतंकवाद की सबसे बड़ी शक्ति उसके वास्तविक उद्देश्यों के रहस्यात्मक होने में होती है।

आतंकवाद के बुनियादी तत्व

आतंकवाद के कुछ बुनियादी तत्व इस प्रकार हैं। यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है, यह अवैध और गैर–कानूनी होता है। यह केवल अपने तात्कालिक शत्रु को ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों को डराने और उनमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें पीड़ित एवं वश में करने का भी प्रयास करता है। यह अपने कार्यों तथा हमलों को आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देता है, जो किसी भी रूप में तर्कसंगत नहीं होते। यह केवल विरोधी पक्ष पर ही नहीं बल्कि सजातीय समुदाय पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा आतंकवादी की एक विचारधारा, एक संगठित समूह और नेतृत्व, हिंसा, आतंक और भय प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक युद्ध, कमजोर स्थापित व्यवस्था और कमजोर टारगेट वित्त व्यवस्था और बाहरी सहयोग, एक इलाके की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक ढांचा, विद्रोह, प्रभुत्व और आधिपत्य, अविवेकशील एवं स्वच्छ, चुनिंदा लक्ष्य पर हमला, सामूहिक कृत्य, हिंसा, चिंतन का अभाव एवं संकीर्णता मानवाधिकारों का दुश्मन, अपराध जगत् से रिश्ते आदि–आदि हैं।

आतंकवाद का आर्थिक पहलू

जेहाद की पुकार, सदियों से चली जा रही धार्मिक कटुताएँ और क्षेत्रीय विवाद आतंकवाद के मूल कारण हैं, परन्तु इनसे पनपे आतंकवाद को उसकी आर्थिक कामयाबी ने मारक, वैश्विक और ताकतवर बनाया है। आतंकवाद का एक पहलू इसके व्यापार का है और यह कोई मामूली पहलू नहीं है। हर मानवीय गतिविधियों की तरह आतंकवाद का एक आर्थिक आयाम है। वैश्विक आतंकवाद का अर्थतंत्र डेढ़ खरब डॉलर आंका गया है। यह राशि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 5 प्रतिशत के बराबर और भारत की अर्थव्यवस्था का कई गुना है। इसमें शामिल हैं – दान के नाम पर एकत्र किया जा रहा

पैसा, कुछ देशों से चोरी-छुपे मिलने वाली आर्थिक और बुनियादी मदद, अपहरण, तस्करी और नशे के धंधों से जुटाई जा रही दौलत या फिर आतंकवादी संगठनों के जरिए चलाई जा रही कंपनियों की कमाई। बैंक डकैतियां, जबरन वसूली और लूटपाट, समानांतर टैक्स वसूली जैसा भारत के उत्तर-पूर्व में हैं, व्यापारियों से सुरक्षा के नाम पर रकम की वसूली, बल प्रयोग और कई ऐसी अन्य गतिविधियां।

आतंकवाद के विभिन्न मुखौटे

मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ आतंकवाद भी परिवर्तित होता रहा है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में आतंकवाद का भी भूमण्डलीकरण हो गया है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले आतंकी हमलों में अन्य देशों के आतंकियों की संलिप्तता अब आम बात हो गई है। विश्व में 500 से अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। आतंकवाद के विभिन्न रूपों में साम्प्रदायिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद, राजनीतिक आतंकवाद, जैविक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, आण्विक आतंकवाद, भाई आतंकवाद, आनुवंशिक आतंकवाद आदि प्रमुख हैं।

सांस्कृतिक आतंकवाद

वर्ष 1980 के बाद सांस्कृतिक आतंकवाद का प्रयोग मिलता है। भारत में सांस्कृतिक आतंकवाद के तरीकों का सबसे पहले प्रयोग उत्तर-पूर्व के राज्यों के विभिन्न पृथकतावादी और उग्रवादी संगठनों के द्वारा किया गया था। सांस्कृतिक आतंकवाद मूलतः फासीवादी फिनोमिना है। कालांतर में पंजाब और कश्मीर में उग्रवादी और पृथकतावादी संगठनों द्वारा इसका इस्तेमाल हुआ। सांस्कृतिक आतंकवाद का विभिन्न जातीय समूहों, भाईगत समूहों और धार्मिक समूहों के सह-अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं होता। इसका मूल लक्ष्य जातीय समूह विशेष या संप्रदाय विशेष की आचार-संहिता को भय, उत्पीड़न और हिंसा के माध्यम से सख्ती से लागू करना, संविधान प्रदत्त मानवाधिकारों और निजी अधिकारों का हनन करना है। सांस्कृतिक आतंकवाद मूलतः भाषा, पहनावा, फैशन, साहित्य, सिनेमा, पुरातत्व आदि पर हमला करता है।

राजनीतिक आतंकवाद

राजनीतिक आतंकवाद, आतंकवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आतंकवादी क्षेत्र या देश की राजनीतिक संरचना पर कब्जा करना चाहते हैं। इन सबके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ छिपी रहती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के आतंकवाद का अधिकतर रूप राजनीतिक है। नोएल ओ सलीवान ने अपनी पुस्तक 'टेरेरिज्म आयडियोलॉजी एण्ड रिवॉल्यूशन' में कहा है, ''राजनीतिक आतंकवाद उस समय जन्म लेता है, जब कोई समूह, चाहे वह सत्ता में हो या सत्ता के बाहर, वैचारिक उद्देश्यों को मनवाने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाता है, जो न केवल अमानवीय होते हैं, बल्कि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी अनदेखी करते हैं तथा जो अपनी सफलता हेतु प्राथमिक तौर पर धमकी या हिंसा के प्रयोग पर निर्भर करते हैं।''

धार्मिक आतंकवाद

धार्मिक कट्टरवाद का इतिहास पुराना है। जेहाद क्रूसेड्स और धर्मयुद्ध हजारों वर्ष पहले भी लड़े गए थे। इतिहास इस बात का गवाह है कि आतंकवाद की नींव में धर्म की कितनी ईटें लगी हैं? जब आतंकवाद अपने बाल रूप में था, तब उसका संबंध धर्म से हो गया था। तब से कई हजार युद्ध धर्म के नाम पर हो चुके हैं। धर्म के नाम पर नए देश को बनाने का सपना देखा जाता है जैसा कि पंजाब में

हुआ। कश्मीर का आतंकवाद इसी दिशा की ओर अग्रसर है। धार्मिक आतंकवाद अत्याधुनिक फिनोमिना है। धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र, आधुनिकता और उदार पूंजीवादी मूल्यों से इसको नफरत है। इसमें अन्य धर्मों के मानने वालों को उत्पीड़ित करने, नागरिक अधिकारों को धर्म संहिता के आधार पर व्याख्यायित करने, जो लोग धर्म संहिता न मानें उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित करने का काम होता है।

साइबर आतंकवाद

वर्तमान में आतंकवाद ने अपनी रणनीति में नए-नए औजारों को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया है। वर्ष 2000 तक आतंकवादी वेबसाइट की संख्या मात्र 12 थी, जो अब कई हजार तक पहुंच चुकी है। साइबर आतंकवाद की गतिविधियों में इंटरनेट आधारित हमले शामिल होते हैं। इसमें कंप्यूटर वायरस जैसे साधनों के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क में जान-बूझकर बड़े पैमाने पर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। साइबर हमले या आतंक उत्पन्न करने के कारण हैं - देशों द्वारा एक-दूसरे की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए, राजनीतिक दलों द्वारा एक-दूसरे की जानकारी पाने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में चोरी के लिए और निजी कर्मचारी द्वारा बॉस का सिस्टम हैक करने के लिए आदि। इंटरनेट ग्लोबल सोसायटी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत विश्व में साइबर हमले का शिकार चौथा बड़ा देश है। साइबर हमले के शिकार देश क्रमशः इस प्रकार हैं - ब्रिटेन 25.6 प्रतिशत, चीन 20.7 प्रतिशत, अमेरिका 17.4 प्रतिशत, भारत 6.95 प्रतिशत और स्पेन 6.87 प्रतिशत।

नारको टेररिज्म

हमारे कुछ पड़ोसी राष्ट्रों के अलावा कुछ अन्य संपन्न राष्ट्र भी नशीले पदार्थों के धंधे से प्राप्त धन का आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग करते हैं। इस धंधे का एक बड़ा हिस्सा हथियारों के अवैध निर्माण और अवैध व्यापार में लगा होता है। हथियारों की तस्करी के बिना आतंकवाद का अस्तित्व खतरे में रहता है। अतः इनमें एक प्रकार का त्रिकोणीय सम्बन्ध बन जाता है। इसी को 'नारको टेररिज्म' कहा गया है। आतंकवादी कार्यों में धन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वास्तव में, मादक द्रव्यों के तस्कर और उनका विश्वव्यापी संगठन इतना मजबूत है कि उनके सामने कुछ सरकारों का तो अस्तित्व ही नहीं है। वे खुद ही सरकारें बनाते और गिराते हैं। वर्तमान में इन तस्करों और आतंकवादियों का गठजोड़ सारे विश्व के लिए नई-नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है।

सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद

ठोस कानून के अभाव में आतंकवादी और असामाजिक तत्व सोशल मीडिया को अपने ऑपरेशन का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक को बढ़ावा देने के सबूत मिले हैं। पिछले दिनों कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं के लिए गुमराह युवकों को एकत्र करने और इसकी योजना बनाने में वॉट्सऐप ग्रुप की सक्रिय भूमिका सामने आई है। इसी प्रकार से आतंकवादी संगठन आईएस ने देश में पैर जमाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। केरल में पकड़े गए आई.एस.आई. के संदिग्ध आतंकी ने माना कि सोशल मीडिया से ही उन्हें गुमराह युवकों को जोड़ने का जिम्मा मिला था।

नाभिकीय, जैविक और रासायनिक आतंकवाद

आतंकवादियों द्वारा परमाणु अस्त्र, जैविक और रासायनिक सामग्री की चोरी कर उनका गलत उपयोग करना या ब्लैकमेलिंग द्वारा अपना मकसद हल करना है। महाशक्तियों के पास परमाणु शक्ति का होना भी

उनमें दादागीरी का भाव भर देता है और वे भी इसकी धमकियाँ देने से नहीं चूकते। नाभिकीय आतंकवाद से बचाव का कोई रास्ता वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। अत: विश्व मंच पर सारे राष्ट्र एक होकर शांति के लिए प्रतिज्ञा करें और आतंकवाद और आतंकवादियों को अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रोत्साहन देना बंद करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद

श्रीलंका से लेकर चेचन्या, रूस, चीन, नेपाल, ताइवान, वियतनाम, भारत और अमेरिका भी इसके भुगत भोगी हैं। आतंकवाद का राक्षस पूरी दुनिया को लील लेने को आतुर है। शायद ही ऐसा कोई देश होगा, जो उससे खुद को सुरक्षित होने का दावा कर सकता हो। 'इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एण्ड पीस' द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष दस देशों में भारत छठें स्थान पर था।

भारत में आतंकवाद

आतंकवाद एक धीमा युद्ध है। भारत में 238 जिले हिंसक आतंकी घटनाओं से प्रभावित रहे हैं। इनमें करीब 900 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। भारत में सक्रिय अधिकांश जेहादी आतंकवादी संगठनों का स्थाई ठिकाना पाकिस्तान में है। उनमें से कुछ संगठन बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका से भी अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। भारत के कुछ स्वयंभू संगठन भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के तथ्य सामने आए हैं। भारत की विभिन्नताएँ और यहां के कई इलाके आतंकवादियों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। विशाल देश और 125 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच कौन गद्दार आकर छुप जाए और अपने इरादों को अमली जामा पहनाने लगे, यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है। आजादी के बाद भारत में आतंकवादी गतिविधियों का प्रारंभ 5वें दशक में नगालैण्ड में, 6ठें दशक में मिजोरम में, 7वें दशक में मणिपुर और 8वें दशक में असम और त्रिपुरा में उल्फा आतंकवादियों की गतिविधियों में देखा जा सकता है। वर्ष 1989 के बाद से तो कश्मीर में, पंजाब में, पूर्वोत्तर में आतंकवादी हमलों की जैसे झड़ी लग गई है। यहां तक कि आतंकवाद ने भारत की संसद और दिल्ली के लालकिले पर हमला कर भारत के राजनीतिक वजूद को खुली चुनौती तक दे डाली। अब तो आतंकवादियों की हिम्मत और बढ़ गई है और उन्होंने हमारे अर्थ तंत्र को हिलाने के इरादे से हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद जैसे मजबूत आर्थिक केन्द्रों पर सफल या असफल हमले करने शुरू कर दिए हैं।

आतंकवाद का वर्गीकरण

आतंकवाद को कई स्वरूपों में देखा जा सकता है। इन्हीं स्वरूपों में से आतंकवाद का एक स्वरूप आंतरिक या सीमांत आतंकवाद है। भारत में आतंकवाद के विविध रूप इस प्रकार हैं –

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद

भारत में आतंकवाद की जड़ कश्मीर माना जाता रहा है। आजादी के समय जब भारत से टूट कर पाकिस्तान बना तब से वह आतंक का सहारा लेने लगा। वर्ष 1971 की शर्मनाक हार को पाकिस्तान भुला नहीं पाया। आज पाकिस्तान चीन और अमेरिका से दोस्ती करके उनकी मदद से अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस परमाणु शक्ति बन बैठा है। इसी के बल पर बिना सेना भेजे ही महज आतंकवादियों के सहारे ही हमारी सीमा की धज्जियाँ उड़ाने में वह जरा भी परहेज नहीं कर रहा है। अगस्त, 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर भारी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 100 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। 10 जुलाई, 2017

को आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया और 8 श्रद्धालुओं को मार दिया था। जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद शुरू होने यानी वर्ष 1990 से लेकर 31 दिसम्बर, 2017 तक 13,936 नागरिकों और 5,123 सुरक्षा बल कार्मिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी।

वर्ष 2016 में आतंकी घटनाओं और सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में वर्ष 2015 की तदनुरूप अवधि की तुलना में क्रमशः 54.81 प्रतिशत और 110.25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। तथापि, वर्ष 2015 की संगत अवधि की तुलना में नागरिकों के हताहत होने की संख्या में 11.76 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2015 की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 2016 में 38.89 प्रतिशत अधिक आतंकवादी मारे गए। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में आतंकवादी घटनाओं और आम नागरिकों के हताहत होने की संख्या में वर्ष 2016 की तुलना में क्रमशः 6.21 प्रतिशत और 166.66 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तथापि, वर्ष 2016 की संगत अवधि की तुलना में सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में 2.44 प्रतिशत की कमी आई है। वर्ष 2016 की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 2017 के दौरान 42 प्रतिशत अधिक आतंकवादी मारे गए हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा अवसंरचना को दृढ़ बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा-नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट बहु-स्तरीय तथा बहु-रूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीय निगरानी, हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचानात्मक समन्वय, आसूचना का सुचारू प्रवाह और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कारवाई करना शामिल है। युवाओं को मुख्यधारा में लाने और उन्हें उग्रवाद से दूर रखने के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया गया है। जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल योजना 'उड़ान' आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर के उन बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है, जो स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा तीन वर्ष के इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक हैं।

लिट्टे का आतंकवाद

श्रीलंका में तमिल आतंकवाद किसी से छिपा नहीं है। स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य की स्थापना के लिए शुरू किया गया संघर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के नेतृत्व में आतंकवाद चलाया गया था। लिट्टे के आतंकवादी श्रीलंका एवं भारत के प्रधानमंत्री सहित अनेक वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की हत्या में शामिल रहे हैं।

नक्सलवादी/माओवादी आतंकवाद

देश एक तरफ जम्मू-कश्मीर, पंजाब के आतंकवाद से तो परेशान था ही, लेकिन वर्तमान समय में नक्सलवाद से भी जूझ रहा है। भारत में नक्सलवादी आंदोलन की पहचान अब विश्व में माओवादी सक्रियतावाद के रूप में होने लगी है। आज पुराने नक्सलवादी नहीं हैं, जो कि साठ के दशक में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी इलाके से उठे थे और बाबा आदम के जमाने के हथियारों पर निर्भर थे। आज के नक्सलवादी स्वचालित ए.के शृंखला की रायफलों, मशीनगनों, आधुनिक ग्रेनेड, रॉकेट लांचर और बारूदी सुरंगों से लैस हैं। वे इन

हथियारों के इस्तेमाल में अच्छी तरह से दक्ष भी हैं। आज इनके पास युवा लड़ाके हैं और इनको आधुनिक हथियार पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. तथा नेपाल के माओवादी मुहैया करा रहे हैं।

वर्तमान में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड यानी 10 राज्यों में रेड कॉरिडोर हैं। इनके 35 जिले सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में रखे गए हैं, जबकि बाकी 50 जिलों में इनका प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है। अब तक नक्सली हमलों के कारण 15,000 से अधिक जानें गई हैं, जिनमें जवान से लेकर नक्सली, दोनों शामिल हैं। 17 मार्च, 2017 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया था कि वामपंथी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या 106 से घटकर 68 रह गई है। पहले इनका प्रभुत्व 20,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला था, जो अब एक चौथाई से कम में रह गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2016 में 1,442 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जो वर्ष 2015 की संख्या का तीन गुना है। वर्ष 2017 के पहले तीन महीनों यानी 31 मार्च तक 397 माओवादी आत्मसर्मण कर चुके थे। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 में हिंसक घटनाओं में 20 प्रतिशत (1,136 से घटकर 908) की समग्र कमी एवं वामपंथी उग्रवाद संबंधी मौतों में 33.8 प्रतिशत (397 से घटकर 263) की कमी हुई। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में हिंसा की घटनाओं में 13.4 प्रतिशत (1,048 से घटकर 908) की कमी एवं इनके परिणामस्वरूप मौतों में 5.4 प्रतिशत (278 से घटकर 263) की कमी आई। इसके साथ ही विकासोन्मुखी पहलों के कारण वामपंथी उग्रवादियों ने बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़ा और मुख्यधारा में लौटे हैं।

वामपंथी अतिवादी या नक्सलवादी/माओवादी हिंसा आज देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। इससे निपटने में थोड़ी-बहुत सफलता मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आज देश में नक्सलवाद सुरक्षा के साथ-साथ राजनीतिक और विकास का भी मामला है। नक्सलवाद की लड़ाई को बंदूक के जोर पर नहीं जीता जा सकता। इसमें तभी सफलता प्राप्त होगी, जब नक्सल प्रभावित इलाकों में जमीनी स्तर पर राजनीतिक जुड़ाव का माहौल बनाया जाए, विकास योजनाओं को उन तक आसानी से पहुंचाई जाए और स्थानीय लोगों के साथ संसाधनों के लाभ की उचित साझेदारी सुनिश्चित की जाए।

गोरखालैंड की मांग

अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (GJM) दार्जिलिंग में लंबा सशस्त्र भूमिगत आंदोलन चलाने के लिए न केवल तैयारी कर रहा है बल्कि अपने कैडरों को प्रशिक्षण देने के लिए उसने अपने पड़ोसी से माओवादियों को भाड़े पर भी लिया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद

भारत में आतंकवाद का प्रारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ही हो गया था। आतंकवाद का उदय उत्तर पूर्वी भारत में हुआ। सर्वप्रथम आतंकवादी संगठन संभवतः अंगामी जायू फिजी की 'नागा नेशनल कौंसिल' था। इन विद्रोहियों ने नगालैंड को भारत से पृथक करने के लिए गुरिल्ला युद्ध किया। शीघ्र ही विश्वेश्वरसिंह की 'पीपुल्स लिबरेशन आर्मी' और ललडेंगा की 'मिजो नेशनल फ्रंट' की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में भी फैल गया। सातवें दशक में शहरी आतंकवाद का उदय हुआ। पूर्वोत्तर के 8 राज्य अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम

और त्रिपुरा हैं। यह भारत के कुल भू-भाग का 8 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा है। पूर्वोत्तर में लगभग 100 उग्रवादी संगठन सक्रिय रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 मार्च, 2015 तक 38 उग्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, जिनमें से अधिकतर पूर्वोत्तर के ही उग्रवादी संगठन शामिल थे।

वर्ष 1997 के बाद से वर्ष 2017 में विद्रोह की घटनाओं की संख्या (वर्ष 2016 में 484 और वर्ष 2017 में 308) सबसे कम देखी गई। इसी प्रकार इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या वर्ष 2016 में 17 थी, उससे कम होकर वर्ष 2017 में 12 हो गई। नागरिकों के हताहत होने की संख्या वर्ष 2016 में 48 थी, जो कम होकर वर्ष 2017 में 37 हो गई। इस क्षेत्र में वर्ष 2017 में विद्रोह रोधी अभियानों के परिणामस्वरूप 57 उग्रवादियों को ढेर किया गया, 995 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 432 हथियार बरामद किए गए। अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं की संख्या में 40 प्रतिशत (वर्ष 2016 में 168 से घटकर वर्ष 2017 में 102) की कमी आई। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 में विद्रोह की घटनाओं में 58 प्रतिशत, नागरिकों के हताहत होने में 66 प्रतिशत, सुरक्षा बलों के हताहत होने में 34 प्रतिशत और अपहरण/व्यपहरण की घटनाओं में 67 प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2017 में सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में विद्रोह संबंधी हिंसा की कोई घटना नहीं देखी गई। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2017 में असम (56 प्रतिशत), नगालैंड (67 प्रतिशत), मणिपुर (28 प्रतिशत) एवं मेघालय (59 प्रतिशत) में विद्रोह की घटनाओं की संख्या में कमी आई। वर्ष 2017 में अरुणाचल प्रदेश में हिंसा घटनाओं में वृद्धि हुई।

आतंकवाद के कारण

आतंकवाद की जो गंभीर स्थिति विद्यमान है, उसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जिन्होंने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद को जन्म दिया और उसे बनाए रखा। आज भारतीय सुरक्षा को एक नहीं अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमृतसर से असम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकवाद अपने पैर फैला चुका है। आतंकवाद एक ऐसी प्रतिक्रिया है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कानूनी, न्यायिक और पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था के कारणों के ऊहापोह की उपज है। यह जरूरी नहीं होता कि एक देश या क्षेत्र विशेष में आतंकवाद के जो कारण रहे हों, वे दूसरी जगह भी होने से वहां आतंकवाद जन्म ले लें। अलग-अलग देशों या क्षेत्रों के लोगों की सहनशक्ति, संवेदनाओं और जानकारियों में अंतर होता है।

आतंकवाद राष्ट्र और समाज के घिनौने चरित्र की पैदाइश है। समाज में उपस्थित असंतुलन, विषमताएँ, आकांक्षाएँ, सामंती या औपनिवेशिक दृष्टियां, धर्मान्धता या धार्मिक असहिष्णुता, अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता, जातीयता, वर्णगत अर्थव्यवस्था, धर्म, राष्ट्रवाद, युद्धान्माद जैसी घातक व्यवस्था आदि ही उग्रवाद, फासीवाद और आतंकवाद को अंकुरित होने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हित आपस में टकराने लगते हैं। इससे व्यापक भू-राजनीतिक संघर्षों की शुरुआत की वजह बन सकते हैं और आर्थिक अवरोध गहराता है, जबकि विविध संस्कृतियों, जातियों, विश्वासों और धर्मों के बीच संवाद के लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में संवाद होता रहना जरूरी है क्योंकि संवाद न होने पर या परस्पर समझदारी न होने से असहिष्णुता, धर्मान्धता और

हिंसा को फलने-फूलने का मौका मिलता है। इन्हीं कारणों से विश्व में उग्रवाद की अवधारणाओं, खून-खराबा और आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है।

नवयुवकों में तीव्र असंतोष की प्रवृत्ति देश में आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान आपाधापी, शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं ने नवयुवकों में तीव्र असंतोष पैदा कर दिया है। जब उन्हें योग्यतानुसार नौकरियाँ नहीं मिलती हैं तथा मेहनत-मजदूरी या नौकरी के आधार पर वे सम्मान व सुविधाजनक जीवन नहीं जी पाते हैं तो वे तस्कर और नशीले पदार्थों के व्यापारियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इन सबका सीधा सम्बन्ध आतंकवादियों से होता है। अतः हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थों के व्यसन से ग्रस्त नवयुवक आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, जिससे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

आज आदर्श महापुरुषों को स्थान नहीं दिया जा रहा है, जो जन-जन के आदर्श थे। राम, कृष्ण, गांधी, सुभाष, राम मनोहर लोहिया, लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि जैसे लोग आज भले ही हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों और भारत देश की सांस्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक थाती व सत्ता के गलियारों में अपना निशान छोड़ गए हैं। नैतिक शिक्षा का अभाव भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। पहले हर परिवार में बच्चों को सत्य, अहिंसा और सच्चे आचरण, कर्तव्यों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें कुरीतियों से दूर रखने का प्रयास किया जाता था वर्तमान में धनाढ्य व्यक्ति येन-केन-प्रकारेण से धन अजित कर रहा है और लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं। ऐसे वातावरण में भ्रटाचार और आतंकवाद को बल मिल रहा है।

आतंकवाद के दुष्प्रभाव

किसी भी प्रकार की आतंकी घटना लंबे समय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना व्यापक असर छोड़ जाती है। तात्कालिक नुकसान के अलावा इस दीर्घकालिक प्रभाव के तहत लोगों में अवसाद घर कर जाता है। सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है। राजनीतिक असर के रूप में नियम-कानून कठोर किए जाने से विभिन्न देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ते हैं। उपभोक्ताओं और कंपनियों के भविष्य की अपेक्षाओं को कुंद करते हैं। सुरक्षा उपायों पर भारी निवेश से देश की कार्यकुशलता पर नकारात्मक असर होता है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वालों (उपभोक्ताओं, निवेशकों और कारोबारियों) की सोच में बदलाव दिख सकता है।

आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य चयनित दुश्मनों को समाप्त करना होता है। उसका लक्ष्य सरकारों, देशों को कमजोर करना, उनको हर दृष्टि से अक्षम बनाना, अशांति एवं अराजकता पैदा करना है। आतंकवाद से सबसे अधिक नुकसान आर्थिक क्षेत्रों में ही हुआ है। कश्मीर में आतंकवाद ने कालीन, सेब और पर्यटन उद्योग को चौपट कर दिया है। असम में चाय उद्योग प्रभावित हुआ है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार पूरे विश्व में आतंकवाद के खतरे वाले क्षेत्रों में सामानों को लाने-ले जाने में लगने वाला समय तथा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण खर्च बढ़ गया। इससे गरीबों तक आम उपभोग का सामान पहुंचाने का खर्च बढ़ा और गरीबी उन्मूलन लक्ष्य इससे प्रभावित हुआ है।

आतंकवाद से किसी भी देश की आंतरिक सुरक्षा-व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। इससे निपटने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बड़ी संख्या में तैनात करना पड़ता है। आंतरिक क्षेत्रों में लंबे समय

तक तैनाती से सेना-नागरिक सम्बन्ध भी प्रभावित होते हैं। जो सेना देश की सीमा पर तैनात होनी चाहिए, उसे देश के आंतरिक हिस्सों में तैनात करना पड़ता है। आतंकवाद के आतंक से पर्यावरण भी अछूता नहीं रहा है। आतंकवादी अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जितने भी साधन काम में लाते हैं, उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। कभी-कभी तो आतंकवादी सेना को रोकने या अपने शिविर स्थापित करने के लिए जंगलों में आग तक लगा देते हैं। अपने खाने-पीने के लिए अन्य साधनों का अभाव होने पर दुर्गम स्थान पर आतंकवादियों को जंगली जीवों का शिकार करने पर मजबूर होना पड़ता है। नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हथियारों का आतंकवादियों द्वारा उपयोग भी पर्यावरण को प्रभावित करता है।

आतंकवादी गतिविधियों द्वारा समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें जातिवाद व धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जनता के एक वर्ग पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक और जातीय भेदभाव बढ़ता है। लोगों में तनाव पैदा होता है। आपसी कटुता से हत्या एवं डकैती जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं। देश पर बाहरी ताकतें हावी होने लगती हैं। इससे देश की स्वतंत्रता को खतरा बढ़ता है। समाज में आतंकवाद के पैदा होने और जड़ें जमा लेने के बाद वहां पर असामाजिक असुरक्षा की भावना पनपती है। विघटनकारी ताकतें अपना सिर उठाने लगती हैं। युवा जगत् बिना सोचे-समझे हिंसक रास्ते अपनाने लगता है। एक बार सामाजिक वैमनस्य घर कर गया तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। इससे राष्ट्र के अस्तित्व की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है।

आतंकवाद विरोधी कानून

वर्ष 1985 में आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधि रोकथाम अधिनियम (Terrorists and Disruptive Activites Prevention Act) 'टाडा' बनाया गया था ताकि आतंकवाद व अलगाववादी ताकतों से निपटा जा सके। टाडा में आतंकवादियों के प्रति कठोर रुख अपनाए गए थे। उन्हें पकड़ने और दंडित करने के लिए मनोनीत विशेष अदालतों की स्थापना का प्रावधान था। टाडा में वर्ष 1987, 1989 एवं 1993 में संशोधन भी किए गए। इस कानून के अंतर्गत वर्ष 1985 से 1995 तक कुल 70,411 व्यक्तियों को पकड़ा गया थ।

बाद में आतंकवादियों की गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि एक और कानून बनाया जाए। इसलिए वर्ष 2002 में 'टाडा' के स्थान पर एक नया कानून 'पोटा' (Prevention of Terrorism Act) पास किया गया। इस विधेयक की खास बातें थीं - किसी भी घातक हथियार से किया गया अपराध आतंकवाद माना जाएगा। किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देना, आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले लोगों को संबोधित करना और ऐसी बैठक आयोजित करना जिसमें आतंकवादी संगठनों और इसकी गतिविधियों को मदद की बात हो, अपराध माना जाएगा। आतंकवादी संगठनों और उनके हमदर्दों की सम्पत्ति जब्त कर ली जाएगी। पुलिस अधिकारियों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पाए जाने पर उन्हें दण्डित किया जाएगा और आरोपियों को मुआवजा देना होगा।

आतंकवादियों के संगठनों के लेन-देन और उनके वित्तीय व्यवहार को रोकने के लिए आतंक निवारण अध्यादेश, 2001, पोटो (Prevention of Terrorism Ordinance, 2001) 24 अक्तूबर 2001 को जारी किया गया। इस अध्यादेश की धारा 48 के अंतर्गत 23 आतंकवादी संगठनों की पहचान की गई और उन्हें इस अध्यादेश की अनुसूची में

सूचीबद्ध किया गया। इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी गुट घोषित किया गया।

आतंकवाद रोकने में कमियाँ और सुझाव

आतंकवाद का स्वरूप व उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका भौगोलिक क्षेत्र चाहे सीमित हो या विस्तृत, किन्तु स्पष्ट है कि आतंकवाद हमारे जीवन को असुरक्षित व अनिश्चित बना रहा है। आतंकवाद मानव जाति के लिए कलंक है तथा इसका उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार इस समस्या से शांतिपूर्वक निपटने का हरसंभव प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब इसके लिए अधिक कारगर और कड़े उपाय करने होंगे, लेकिन साथ ही मानवाधिकारों या मानवीय मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। आतंकवाद पर और कारगर तरीके से प्रहार करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं –

पुलिस को बनाएँ काबिल और सक्षम

पुलिसकर्मी हमारी आंतरिक सुरक्षा की पहली दीवार हैं। आतंकवाद का सामना करने के लिए पुलिस को सबसे पहले सक्रिय होना पड़ता है। थाने में जो भी संसाधन, साजो-सामान होते हैं, उसी से मुकाबला करना पड़ता है। हमारी पुलिस प्रभावी और सशक्त रूप में इस तरह की घटनाओं का सामना कर सके, इसके लिए शस्त्र, साज-सज्जा, ट्रांसपोर्ट, संचार व्यवस्था, फॉरेंसिक सपोर्ट आदि आधुनिक होने चाहिए।

इंटेलीजेंस सूचनाओं का सही इस्तेमाल

संचार, परिवहन और तकनीक में प्रगति ने असामाजिक तत्वों व आतंकवादियों के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विध्वंसक कार्रवाई का अंजाम देना आसान बना दिया है। गुप्त सूचनाओं के संकलन व सुरक्षा क्षेत्र को इस चुनौती से निबटने के लिए तैयार करना चाहिए। भरोसेमंद सूचनाओं का समय-समय से मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा बलों, राज्य व केन्द्र तथा राज्यों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बहुत ही आवश्यक है। तकनीकी आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के नए पहलुओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। इन पहलुओं में आर्थिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। अनेक और ऐसे पहलू हैं, जिन पर इनके साथ-साथ उचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

सुरक्षा एजेंसियों के साथ भागीदारी एवं समन्वय

सुरक्षा एजेंसियों के साथ भागीदारी मंच विकसित करना होगा, जिससे प्रौद्योगिकी रूप से निर्यातित आतंक को विफल करने के लिए विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता है। साइबर विशेषज्ञ, इंजीनियर, डॉक्टर, लेखा-परीक्षक – सभी को मिलकर विभिन्न तरह के आतंक के प्रिंटों की कूटभाग के अर्थ निकालने और उनका पता लगाने में अपनी विशेषज्ञता से एजेंसियों की मदद करने के लिए एक निकाय के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे अपेक्षित संभार-तंत्र के कारण होने वाले विलम्ब को खत्म किया जा सके। अनेक सुरक्षा मंचों के ऐसे विशेष सदस्यों को अपेक्षित सत्यापन के पश्चात् प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और सुरक्षा एजेंसियाँ उनका सहयोग कर सकती हैं। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति महीने में केवल 24 घंटे का समय निकाले तो ऐसे निपुण लोगों का यह दल किसी भी नाकेबंदी को काफी हद तक कम करने में सक्षम रहेगा।

सूचना तकनीक का इस्तेमाल

पश्चिमी देशों में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के दूसरे खतरों से निपटने की ओर गंभीरता

से ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वे किसी बड़े हादसे का इंतजार नहीं करते, बल्कि आगे बढ़कर घटनाओं को रोकने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल कैमरे छुपा कर लगा दिए गए हैं, जो लगातार कंट्रोल रूम में तस्वीरें भेजते रहते हैं। इस आधार पर अपराधियों के बारे में कंप्यूटरीकृत डाटा बेस में इन तस्वीरों में आ रहे लोगों की पहचान की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके अलावा सूचना टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोकने के लिए आतंकवादी संगठनों व अन्य अपराधियों के कंप्यूटर या ई-मेल कोड तोड़ने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जाली कागजात या नकली वीजा का सहारा लेकर अपराधी बच न पाए, इसके लिए जैव-रसायन तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

राज्यों के लिए सुझाव

कई राज्य नक्सलवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि नक्सलवाद देश में भौगोलिक रूप से ज्यादा पिछड़े क्षेत्रों व जिलों में फैला हुआ है। इसलिए कानून व व्यवस्था के लिए इस खतरे से निबटने के लिए इन राज्यों को एक साथ दो काम करने होंगे। जहां एक ओर खासकर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लोगों की जरूरतों व समस्याओं को लेकर बनाए गए कार्यक्रम व नीतियाँ लागू करनी होंगी वहीं इन क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना होगा। ?

कारगर कानूनों के निर्माण की आवश्यकता

आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे पास कोई कानून है ही नहीं। देश का काम इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रसीजर कोड और एविडेंस एक्ट से ही चल रहा है, जो सन् 1863 में बनाए गए थे। ये कानून अंग्रेजी राज में मदद के लिए बने थे। उस समय आतंकवाद नामक कोई चीज नहीं होती थी। जिन पश्चिमी लोकतंत्रों के पैटर्न पर हमारा शासन और कानून का सिस्टम बना है, उन्होंने भी बदलते वक्त के हिसाब से जड़ हो गए कानूनों से छुटकारा प्राप्त कर लिया है और आतंकवाद से लड़ने के नए औजार गढ़ लिए हैं। इसे देखते हुए कानूनों में काफी फेर-बदल करने की आवश्यकता है। टाडा, पोटा आदि जैसे अनेक दमनात्मक आतंकवाद विरोधी कानून होने के बावजूद आतंकवाद बढ़ने पर है। आतंकी हिंसा में कोई भी उल्लेखनीय कमी नहीं आ सकी है।

बहुआयामी-बहुपक्षीय दूरस्थ युद्ध

आतंकवाद एकांगी समीकरण नहीं है। यह एक बहुआयामी-बहुपक्षीय दूरस्थ युद्ध है। इस युद्ध के प्रभाव तथा तौर-तरीके हमारे देखे-पहचाने हो सकते हैं क्योंकि वे बहुधा आदिम खूंखार तरीके हैं, जो मनुष्यों को मार देने की रणनीति पर कार्य करते हैं किन्तु उनका संचालन सभ्य समाजों और साफ-सुथरे हाथों से किया जाता है, जिन्हें ढूंढ़ना ज्यादा जरूरी काम है, बजाय इसके कि हम अपना समय आतंकवाद की भर्त्सनाओं में गँवा दें।

केंद्र एवं राज्यों में तालमेल का अभाव

केंद्र सरकार नक्सली हिंसा से ग्रस्त राज्यों की हरसंभव सहायता देने की बात तो करती है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव भी देखा जाता है। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों की पुलिस के बीच में भी समन्वय का अभाव है। इसका लाभ नक्सली संगठन उठा रहे हैं। वे एक राज्य में वारदात

करने के बाद दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए यदि केंद्र और राज्यों द्वारा मिलकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थितियाँ और अधिक बिगड़ सकती हैं। कोई भी देश आतंकवाद से तब तक नहीं लड़ सकता जब तक कि राज्य की हर इकाई एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी।

विभिन्न एजेसियों में तालमेल आवश्यक

हमारे देश में खुफिया एजेंसियाँ हैं जो अलग-अलग काम कर रही हैं, लेकिन इनके बीच समुचित तालमेल नहीं है। हमारे पास वर्ष 1887 की बनी इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई.बी.) है, जो आंतरिक खुफिया जानकारियाँ जुटाती है। वर्ष 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) का गठन हुआ, जिसे बाहरी खुफिया जानकारियाँ जुटाने का जिम्मा मिला हुआ है। इसी तरह सीमा सुरक्षा बलों की अपनी खुफिया एजेंसी है। राज्यों ने अपनी-अपनी एजेंसियाँ बनाई हैं, लेकिन ये सब अपने-अपने क्षेत्र तक सीमित हैं। इनका आपसी समन्वय होना आवश्यक है।

आतंकवादियों के मददगारों पर प्रहार

आतंकवादियों को कौन शरण देता है? आतंकवादी नामक मछली के लिए वे लोग पानी का काम करते हैं, जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्हें खाने-पीने, रहने-सहने, घूमने-फिरने और छिपने-छिपाने में मदद करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कठोरता का बर्ताव होना चाहिए। इस बात की जरा भी परवाह नहीं की जानी चाहिए कि उनका मजहब, जाति और सामाजिक हैसियत क्या है? यहां तक कि आतंकवादियों की मदद करने वालों को ही नहीं बल्कि उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर हम पर शक हो गया तो हम भी मारे जाएँगे जैसे गेहूँ पिसे-न-पिसे, घुन जरूर पिस जाती है।

दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता

जब भी कभी कोई आतंकवादी आक्रमण होता है, तो उसके बाद हमारे नेताओं द्वारा मगरमच्छी आँसू बहाए जाते हैं। मृतकों के परिवार के सदस्य को छोटी-मोटी रकम दे कर और यह कह कर पिंड छुड़ा लिया जाता है कि ये आतंकवादी आई.एस.आई. के पाकिस्तानी एजेंट हैं। आतंकवाद के संपूर्ण दर्शन को मानवता विरोधी मानना होगा तथा इसके उन्मूलन के लिए विश्वस्तरीय रणनीति बनानी होगा। दुनिया के प्रत्येक देश व सम्प्रदाय को इसके विरुद्ध एकमत होना होगा। सभी सम्प्रदायों को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता।

राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करना

आतंकवाद से लड़ने के लिए सुदृढ़ और अटूट राष्ट्रीयता पहली शर्त है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के दीवाने निहत्थे निर्भय होकर सीना खोले लाठियाँ और गोलियाँ खाते हुए आगे बढ़ते जाते थे। समाज सुधारकों और शिक्षकों में भी राष्ट्रीयता कूट-कूट कर भरी थी। राष्ट्रीयता की भावना जब उछाल मारती है तो लोग अपने राष्ट्र के लिए बड़ी-से-बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राष्ट्र में जब एकजुटता होगी तो आतंकवादी किसी का सहारा लेकर छिप कर नहीं बैठ सकेंगे। जिन देशों में राष्ट्रीयता का ग्राफ ऊंचा है, उनमें आतंकवाद अपने पांव नहीं जमा सकता। जापानियों की राष्ट्रीयता सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है, वहां आतंकवादियों का घुसपैठ करना संभव नहीं है।

नागरिकों को निजी सुरक्षा के अधिकारों की

जानकारी हो

नागरिकों को निजी सुरक्षा के अधिकारों की जानकारी दी जाए। हमारे देश में हर नागरिक को निजी सुरक्षा का हक है। अपनी रक्षा में अगर किसी की जान भी चली जाए, तो कुछ मामलों में वह माफी के काबिल है। आतंकवादी को मारना गुनाह नहीं है। यह बात प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताई जानी चाहिए कि कैसे अपने आंख-कान खुले रखकर लोग आतंक को चकमा दे सकते हैं। प्रशिक्षित लोगों को अधिकारी बनाया जा सकता है, जिसका प्रावधान हमारे कानूनों में भी है। यदि ऐसा किया जाता है तो इसे निसंदेह आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन

वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले अधिकांश युवा वर्ग हैं। युवा किसी भी देश, समाज व काल की रीढ़ होते हैं। कश्मीर, पंजाब और असम के आतंकवादी गुटों में ऐसे नवयुवकों की संख्या सर्वाधिक है, जो धन व एशोआराम के लिए ही राइफल उठाते हैं। इससे वह स्वयं के साथ ही अपने परिवार की मदद भी करते हैं। इन युवाओं को उनकी बेरोजगारी इस ओर प्रवृत्त करती है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार सृजन किए जाने चाहिए।

आतंकवाद से लड़ने का प्रशिक्षण

अगर आतंकवादी घटनाओं का हिसाब लगाया जाए तो शायद ही कोई दिन होगा, जब हमारे देश में कोई वारदात न हुई हो। आतंकवाद के खिलाफ जंग हम भारतीयों को ही लड़नी है यह बात हमें साफ तौर पर समझ लेनी होगी। यह लड़ाई दूसरे लोग हमारी खातिर नहीं लड़ेंगे। इस संकट से तभी निपटा जा सकता है, जब आम लोग आतंकवाद से बचाव का तरीका जानें। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में पहला 'यूरोपियन टेररिज्म सर्वाइवल कोर्स' शुरू करने की योजना बनाई गई है। यह एक दिन का कोर्स होगा और इसकी फीस डेढ़ सौ पाउंड रखी गई हैं। इसमें आम लोगों को आतंकवाद से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी प्रकार का प्रशिक्षण यदि भारत में भी दिया जाए तो आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है।

प्रत्यार्पण संधि एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा मंच

आतंकवाद से अब निपटना किसी अकेले देश के बस की बात नहीं है। उसे एक तरफ से नुकसान पहुंचाकर खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि आतंक से जूझ रही पूरी दुनिया भेदभाव भुलाकर एक मंच पर आए। आपसी सहयोग से इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयत्न करें। विचारों से लेकर तकनीकी पक्ष तक को साझा कर इसके लड़ने की योजना बनाई जानी चाहिए व आतंकियों से जुड़ी हर जानकारी को बेझिझक एक-दूसरे में बांटा जाना चाहिए।

आतंकवाद की समाप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास

आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद आदि से निपटने के लिए भारत सरकार लगातार उपाय करती आ रही है। इनमें से कुछ उपाए इस प्रकार हैं–

विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाना

भारत सरकार ने एक ही समय में सुरक्षा, विकास के क्षेत्रों पर ध्यान देकर और सुशासन का

संवर्धन करते हुए एकीकृत एवं संपूर्ण तरीके से वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) के विद्रोह से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना बनाई है। इसमें 10 राज्यों में 106 जिलों पर और विशेषकर 07 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह से प्रभावित 35 जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अन्य पारंपरिक निवासियों/जनजातीय लोगों के अधिकारों एवं पात्रता को सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्रों में एक बहुआयामी नीति अपनाई गई है। 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना', 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना', 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन', 'आश्रम', 'स्कूल', 'दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' और 'सर्वशिक्षा अभियान' आदि जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को आबंटित निधियों का विशेष महत्व है।

विभिन्न एजेंसियों को अत्याधुनिक बनाया जाना

वामपंथी उग्रवाद समस्या से निपटने के लिए अनेक प्रावधान किए जा रहे हैं। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी.ए.पी.एफ.) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराना, इंडिया रिजर्व (आई.आर.) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम.पी.एफ. स्कीम) के अंतर्गत राज्य पुलिस का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करना, सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) योजना के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति, नक्सलरोधी अभियानों के लिए हेलिकॉप्टर उपलब्ध कराना, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना, आसूचना का आदान-प्रदान करना, अन्तर्राज्यीय समन्वय, सामुदायिक पुलिस-व्यवस्था एवं सिविक कार्रवाई की सुविधा प्रदान करना और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की अनेक योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य में सहायता प्रदान करना, शामिल हैं।

सीमापार से घुसपैठ रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण बनाया है। इसमें सीमा अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा पर तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट बहुस्तरीय तथा बहुरूपात्मक तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकीय निगरानी, हथियार और उपकरणों का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय, आसूचना का सुचारु प्रवाह और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है।

आत्मसमर्पण सह-पुनर्वास योजना

पूर्वोत्तर में भ्रमित युवाओं और उन खूंखार उग्रवादियों, जो उग्रवाद के रास्ते में भटक गए हैं और बाद में स्वयं को उसमें फंसा हुआ पा रहे हैं, को उससे छुटकारा दिलाने के लिए उग्रवादियों के आत्मसमर्पण सह-पुनर्वास संबंधी एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी दोबारा उग्रवाद में शामिल न हों। स्वरोजगार हेतु उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में स्थानीय जनता को विश्वास में लेने और आम लोगों के बीच सशस्त्र बलों की छवि सुधारने के लिए सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बल सिविक कारवाई कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा शिविरों के

आयोजन, स्वच्छता अभियान, खेल कार्यक्रम, बच्चों को अध्ययन संबंधी सामग्री के वितरण, विद्यालय भवनों, सड़कों, पुलों आदि की छोटी-मोटी मरम्मत और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने आदि जैसी अनेक कल्याणकारी और विकास संबंधी गतिविधियाँ आरंभ की गई हैं।

फौज में महिला भर्ती आभियान

वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार सेना में 8,350 महिलाएँ हैं, लेकिन उनकी तैनाती युद्ध में नहीं की जाती है। जल, थल और वायुसेना में 5 प्रतिशत महिला अफसर हैं। कई बार अभियान में सेना को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस दौरान कई बार महिलाएँ फौज के सामने ढाल बनकर आ जाती हैं। उन पर कार्रवाई करने में पुरुष जवान झिझक जाते हैं। महिला आतंकियों का मुकाबला महिला फौज को करना चाहिए। अफसर रैंक की महिलाएँ सेना में हैं, लेकिन जवान और सरदार साहेबान (जे.सी.ओ.) रैंक में भी महिलाओं की जरूरत महसूस की जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि महिला जवान और जे.सी.ओ. हों। इसके लिए जल्दी ही सेना में जवान और जे.सी.ओ. रैंक में महिलाओं की भर्ती किए जाने की योजना है।

टेरर फंडिंग पर रोक/आर्थिक स्रोतों को समाप्त किया जाए

आतंकवादियों को प्राप्त होने वाली वित्तीय मदद एक अन्य पहलू है, जिसको प्रतिबंधित व नियंत्रित किए बिना आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जा सकता। विविध स्रोतों से प्राप्त वित्तीय मदद द्वारा ही आतंकवादी संगठन अपनी भर्ती, प्रशिक्षण, अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों की खरीद-फरोख्त, संचार साधनों का उपभोग अपनी गतिविधियों के संचालन हेतु करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एस.सी.ओ. के वार्षिक शिखर सम्मेलन (5 जून, 2017 -9 जून, 2017) में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सभी देशों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है। यह मानवाधिकारों और मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लेखों में से एक है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए टेरर फंडिंग तत्काल रोकनी चाहिए। आतंकवाद तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आतंकियों की फंडिंग को नहीं रोका जा जाता। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचाए बिना विभिन्न देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए।

अंत में

अगर आज आतंकवाद की विष बेल को नहीं रोका गया तो हमारा कल विपदाओं को और अधिक आमंत्रित करने लगेगा। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दुनिया के सारे देशों को एकजुट होना होगा। यदि हम धर्म, जाति, राष्ट्र आदि विभाजनों से ऊपर उठकर आतंकवाद को अपना शत्रु नम्बर एक मानते हुए उस पर मिलकर प्रहार करेंगे तो निश्चय ही उसकी कमर टूटेगी और वह औंधे मुंह गिरेगा।

जब तक आतंकवाद के राक्षस को समाप्त नहीं किया जाता तब तक कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं हो सकता, चाहे अपने इर्दगिर्द सुरक्षा के कितने ही पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएँ। आतंकवादी बड़ी तेजी से अपने तरीके बदल रहे है। उनका मुकाबला परंपरागत तरीकों से नहीं किया जा सकता है। उन पर आगे बढ़कर वार करने का समय आ गया है। आतंकवाद/नक्सलवाद/साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए जनता को जाग्रत रहना होगा। अगर लोग जागरूक रहें और देश तथा समाज के प्रति अपनी

जिम्मेदारी को समझें, तो कोई भी कोई भी आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकेगा। आम आदमी के चौकन्ना रहे बिना खुफिया तंत्र कुछ नहीं कर सकता।

21 मई को 'आतंकवाद-विरोधी दिवस' मनाया जाता है। इस दिन यह आशा कि जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक आतंकवाद का हर स्तर पर विरोध करे। इसके लिए एक शपथ ली जाती है, जो इस प्रकार है– *हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानवजाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझ-बूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। अंत में, हमें हेलन एडम्स केलर की इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए,* ***'हम अकेले बहुत कम कर सकते हैं और मिलकर बहुत कुछ।'***

❑

भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम में पुलिस की भूमिका

डॉ. जालम सिंह

हैड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस

जैसलमेर, राजस्थान

अवैध मानव व्यापार आज वैश्विक स्तर का एक संगठित अपराध है। विश्व में हथियारों तथा ड्रग्स की तस्करी के पश्चात् अवैध मानव व्यापार तीसरा बड़ा संगठित अपराध है। भारत में प्रतिवर्ष कई व्यक्ति, महिलाएँ एवं बच्चे इस वैश्विक अपराध के शिकार हो रहे है। अवैध मानव व्यापार महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार, जो सार्वभौमिक, अन्योन्याश्रित, अंत:संबंधित और अविभाज्य होते है, का असहनीय अतिक्रमण है। इनके अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से इनके विरुद्ध अवैध मानव व्यापार के सभी रूपों को समाप्त करना है। अवैध मानव व्यापार अनुचित साधनों का प्रयोग करके, व्यावसायिक यौन शोषण, श्रम हेतु शोषण, भीख मँगवाना, मानव अंग का प्रत्यारोपण, घरेलू कार्य हेतु गोद लेने के लिए एवं शादी का झांसा देकर अवैध मानव व्यापार किया जाता है। भारत में पुलिस को संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 2 में स्थान दिया गया है। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 355 भारत संघ को यह दायित्व देता है कि केन्द्र राज्य को आंतरिक गड़बड़ी के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करे। इन सब उपबंधों के आलोक में समाज में शांति एवं सुरक्षा का दायित्व राज्य पुलिस बलों का है। केन्द्र में भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल एवं भारत-नेपाल सीमा पर तैनात एस.एस.बी. सीमा पर हो रही अवैध मानव व्यापार की रोकथाम में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। पुलिस को पेशेवर ढंग से अनुसंधान में दक्ष बनाने के लिए प्रत्येक जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों का गठन किया गया है, जिन्हें पर्याप्त मात्रा में स्टाफ एवं संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। लापता बच्चों के सम्बन्ध में राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस 'बचपन बचाओ आन्दोलन' एवं भारत संघ के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर रही है। पुलिस द्वारा इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही, पुलिस गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्य कर रही है। लेखक की इस विषय चयन के प्रति यह रुचि रही है कि भारत में पुलिस द्वारा अवैध मानव व्यापार रोकथाम के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं तथा मौजूदा कानूनों एवं प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी को सर्वजनहिताय प्रकाश में लाना रहा है।

अवैध मानव व्यापार का अर्थ

अवैध मानव व्यापार रोकथाम का सबसे महत्त्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र का **पलेर्मो प्रोटोकॉल** है जो 15 दिसम्बर, 2000 को संपन्न हुआ। जिसमें महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को संगठित अपराध माना गया। इसी प्रोटोकॉल में अवैध मानव व्यापार की समग्र परिभाषा दी गई है, जिसे सदस्य राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किया गया है।

पलेर्मो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार,

(क) अवैध मानव व्यापार का अर्थ यह होगा किसी व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे डरा-धमका कर या बल प्रयोग करके अथवा जबरदस्ती अपहरण, धोखाधड़ी, ठगी, शक्ति अथवा संवेदनशीलता की स्थिति के दुरुपयोग या भुगतान अथवा लाभ प्रदान करने अथवा प्राप्त करने के किसी रूप का प्रयोग करते हुए शोषण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों की भर्ती,

परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना अथवा प्राप्ति। शोषण मे कम-से-कम, दूसरों से वेश्यावृत्ति करवाते हुए उनका शोषण अथवा यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् मजदूरी अथवा सेवाएँ, दासता अथवा दासता जैसी क्रियाएँ, ताबेदारी या अंगों को निकलवाना शामिल है।

(ख) यदि उप अनुच्छेद (क) में इंगित किसी माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (क) में इंगित आशयित शोषण के प्रति व्यक्तियों के अवैध व्यापार के पीड़ित की सम्मति असंगत मानी जाएगी।

(ग) शोषण के प्रयोजन से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, हस्तांतरण, आश्रय देना या प्राप्ति को व्यक्तियों का अवैध व्यापार माना जाएगा, चाहे इसमें इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद (क) में इंगित माध्यमों/साधनों का प्रयोग न भी किया गया हो।

(घ) बच्चे का अर्थ होगा, 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति।

भारत में अवैध मानव व्यापार रोधी संवैधानिक विधि, कानून एवं विशेष अधिनियम

भारतीय संविधान में अवैध मानव व्यापार की मनाही - भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (3), 21, 23, 24, 39 (ए) एवं 39 (डी) में इस सम्बन्ध में कई उपबंध किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

अनुच्छेद 14 - किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 15 (3) - महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे।

अनुच्छेद 21 जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार का निषेध करता है तथा अनुच्छेद 24 कारखानों या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है। यह निषेध संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार सिद्धान्तों के अनुरूप हैं।

अनुच्छेद 39 (ए) - सरकारें ऐसी नीतियाँ बनाएगी जिनसे कि पुरुषों एवं महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए समान रूप से समुचित साधन सुनिश्चित हो सकें।

अनुच्छेद 39 (डी) - पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

अनुच्छेद 42 सरकार इस बात के पुख्ता प्रबंध करेगी कि कार्य और प्रसूति के मामले में उचित और मानवीय माहौल सुनिश्चित हो सके।

भारतीय दंड संहिता 1860 एवं अवैध मानव व्यापार दंडनीय (आपराधिक कानून) (संशोधन) अधिनियम, 2013

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में दिल्ली में घटित निर्भया केस के पश्चात् आपराधिक कानून में संशोधन के लिए **जस्टिस वर्मा कमेटी** का गठन किया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2013 में **आपराधिक कानून में संशोधन किया गया।**

भारतीय दंड संहिता की धारा-370 के स्थान पर नई धारा-370 एवं 370 (क) का प्रतिस्थापन किया गया है।

इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा-34, 344, 363ए, 366, 366ए, 366बी, 371, 372, 373, 374, 376 व 376 डी के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

भारत में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अन्य स्थानीय एवं विशेष कानून

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

इस अधिनियम की धारा-3, 4, 5, 5 ए, 5 बी, 5 सी, 6, 7 एवं 18 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाही की जा सकती है।

बाल श्रम (रोकथाम एवं नियमन) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम की धारा-14 (1), 14 (2) एवं 14 (3) के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)

इस अधिनियम की धारा-4, 5 (जी), 6, 8 10 व 17 के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

इस अधिनियम की धारा-75, एव 79 के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994

इस अधिनियम की धारा-18 (1), 18 (2), 19, 20, 21 (1) एवं 21 (2) के तहत कार्रवाही की जा सकती है।

बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

इस अधिनियम की धारा-16, 17, 18, 20 एवं 23 के अंतर्गत कार्रवाही की जा सकती है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

इस अधिनियम की धारा-9, 10, 18, 11 (1) व 11 (2) के अंतर्गत कार्रवाही की जा सकती है।

भारत में अवैध मानव व्यापार की स्थिति

अवैध मानव व्यापार, जैसा कि पूर्व में इस आलेख में स्पष्ट किया गया है, यह एक संगठित अपराध है, जिसमें महिलाओं, बच्चों एवं व्यक्तियों का लैंगिक शोषण वित्तीय प्राप्ति के लिए अन्य तरह के दुर्व्यापार जिसमें वेश्यावृत्ति, भीख मँगवाना एवं मानव अंगों का व्यापार शामिल हैं।

भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अवैध मानव व्यापार या मानव तस्करी के सम्बन्ध में जो आँकड़े एकत्रित किए है, जो निम्नलिखित शीर्षकों के तहत हैं-

1. अप्राप्त वयस्क लड़की का उपापन 366 ए भा.दं.सं.

2. विदेश से लड़की का आयात 366 बी भा.दं.सं.

3. वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को बेचना 372 भा.दं.सं.

4. वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को खरीदना 373 भा.दं.सं.

5. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम,1956

6. मानव दुर्व्यापार 370 व 370 ए भा.दं.सं.

इन शीर्षकों के अंतर्गत वर्ष 2011 से 2015 तक जो अपराध घटित हुए हैं उनका समावेश अग्र तालिका संख्या-1 में किया गया है। तत्पश्चात् आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 1

वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के दौरान अवैध मानव व्यापार के प्रति अपराध की घटनाएँ

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2014की तुलना में 2015 में प्रतिशत अंतर
		2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अप्राप्त वय लड़की का उपापन 366ए भा.दं.सं.	862	809	1,224	2,020	3,087	52.8
2	विदेश से लड़की का आयात 366 बी भा.दं.सं.	80	59	31	13	6	-53.8
3	वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को बेचना 372 भा.दं.सं.	113	108	100	82	111	35.4
4	वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को खरीदना 373 भा.दं.सं.	27	15	6	14	11	-21.4
5	अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम,1956	2,435	2,563	2,579	2,617	2,641	0.9
6	मानव दुर्व्यापार 370 व 370ए	-	-	-	720	1,021	41.8
7	मानव दुर्व्यापार के कुल मामले	3,517	3,554	3,940	5,466	6,877	25.8

Source -Annual Report NCRB , Crime In India ,2015

तथ्यों का विश्लेषण - उपर्युक्त तालिका संख्या-1 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014 में दर्ज 5,466 मामलों की तुलना में वर्ष 2015 में कुल 6,877 मामले मानव दुर्व्यापार से संबंधित दर्ज किए गए। इस प्रकार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में दर्ज अपराधों में कुल 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2011 से 2015 तक मानव दुर्व्यापार के मामलों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वर्ष 2011 में कुल 3,517 मामले रजिस्टर्ड किए गए जबकि 2012 में 3,554 मामले एवं 2013 में 3,940 मामले दर्ज किए गए। अन्य व्यक्तिगत अपराध शीर्ष के आधार पर विदेश से लड़की का आयात 366 बी भा.दं.सं.एवं वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को खरीदना 373 भा.दं.सं के अपराधों में गिरावट दर्ज की गई।

भारत में मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य/संघ शासित प्रदेश -राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों की वर्ष 2016 की '**भारत में अपराध**' रिपोर्ट का एक अध्ययन

यदि हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों की वर्ष 2016 की रिपोर्ट का अध्ययन करते है तो वर्ष 2016 में मानव तस्करी के 8,132 माामले राज्य/संघ शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए। हालांकि वर्ष 2015 की

तुलना में वर्ष 2016 में 1255 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई। सर्वाधिक प्रभावित राज्य/संघ शासित प्रदेशों को अग्र तालिका संख्या–2 में दर्शाते हुए भारत में मानव तस्करी की स्थिति को स्पष्ट किया गया है–

तालिका 2

भारत में मानव तस्करी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य/संघ शासित प्रदेश

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दर्ज अवैध मानव व्यापार अपराध की घटनाएँ	दर्ज मामलों के आधार पर रैंक
1	पश्चिम बंगाल	3,579	1
2	राजस्थान	1,422	2
3	गुजरात	548	3
4	महाराष्ट्र	517	4
5	तमिलनाडु	434	5
6	कर्नाटक	404	6
1	दिल्ली	66	1

Source -Annual Report NCRB , Crime In India , 2016

तथ्यों का विश्लेषण – उपर्युक्त तालिका संख्या 2 एवं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2016 में संपूर्ण भारत वर्ष में कुल 8,132 मामले मानव दुर्व्यापार से संबंधित दर्ज किए गए, जिसमें सर्वाधिक मामले पश्चिम बंगाल 3,579 दर्ज किए गए। दूसरे स्थान पर राजस्थान 1,422 एवं तीसरे स्थान पर गुजरात 548 का नाम आता है। केन्द्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में दिल्ली प्रथम स्थान रखता है। दिल्ली में 66 मामले दर्ज किए गए ।

भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए गृह मंत्रालय की पहलें

'ऑपरेशन स्माइल' एवं 'ऑपरेशन मुस्कान' गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों को बचाने के लिए दिनांक 01.01.2015 को संपूर्ण भारत वर्ष 'ऑपरेशन स्माइल' नामक एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान 9,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया। क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा 'ऑपरेशन स्माइल' के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के पश्चात् जुलाई, 2015 में 'ऑपरेशन मुस्कान' नामक इसी तरह के एक अन्य अभियान की शुरुआत की गई और इस ऑपरेशन के दौरान 19,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया।

2. अवैध मानव व्यापार पर राष्ट्रीय सम्मेलन –गृह मंत्रालय द्वारा अवैध मानव व्यापार रोधी विषय पर दिनांक 07.10.2015 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में केन्द्र/ राज्य सरकारों के लगभग 500 वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य/ जिला मानव दुर्व्यापार–रोधी इकाइयों, गैर सरकारी संगठनों और मानव दुर्व्यापार के क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान माननीय गृह मंत्री ने

लापता बच्चों की तलाश करने के लिए जनवरी, 2015 माह में संपूर्ण देश में संचालित 'ऑपरेशन स्माइल' का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले 44 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और उन्होंने 'my security gov. in' नामक एक वेब पोर्टल भी शुरू किया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एप्लीकेशन प्रदान करता है।

इसके अलावा मानव दुर्व्यापार सम्बन्धी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ एवं प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) कार्यक्रमों के माध्यम से और मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (ए.एच.टी.यू.) की स्थापना के द्वारा दुर्व्यापार के प्रति विधि प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में व्यापक योजना का निर्माण किया गया है।

भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए पुलिस की पहलें

भारत में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए कई राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर कई अभिनव पहलें शुरू की हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस एवं दिल्ली पुलिस की पहलों का यहां उल्लेख किया जा रहा है-

उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रयास - उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मानव तस्करी की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं। इसके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना गृह मंत्रालय के साथ-साथ 'U.S. Department Of State' द्वारा निगर्त 'Trafficking In Persons Report 2016' में गई है। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत 3,310 पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मानव तस्करी के विरुद्ध वर्ष 2015-16 में विशेष प्रशिक्षण देकर प्रदेश के 35 एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को थाने का दर्जा दिया गया है। 'उत्तर प्रदेश गुंडा एवं गैंगस्टर एक्ट' में संशोधन कर मानव तस्करी के अपराध को भी इसकी परिधि में लाया गया।

राजस्थान पुलिस के प्रयास - राजस्थान पुलिस के प्रयासों में राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं। राजस्थान पुलिस ने लगातार समाज के जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना से लेकर समुदाय संपर्क समूहों का गठन, महिला सुरक्षा केन्द्र, महिला पुलिस थानों की स्थापना जैसे नवीनतम कदम उठाए हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर ने अपने यहां अलग से सामाजिक प्रतिरक्षा एवं लैंगिक अध्ययन केन्द्र की स्थापना की है। राजस्थान पुलिस अकादमी जरूरतमंद वर्गों, जिसमें महिलाओं, बच्चों एवं मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध एवं मानव तस्करी के अपराधों के निवारण के लिए अपने यहाँ कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रही है। वर्ष 2010-11 में अकादमी में लगभग 700 पुलिस कर्मियों को घरेलू हिंसा, व्यवसायिक एवं लैंगिक शोषण के लिए तस्करी इत्यादि मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता यूनिसेफ, राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिरक्षा संस्थान एवं महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दी गई। साथ ही, राजस्थान पुलिस अकादमी में बी.पी.आर. एण्ड डी. के सौजन्य से दिनांक 03.08.2015 से दिनांक 07.08.2015 तक मानव तस्करी पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी में यूनिसेफ के सहयोग से दिनांक 14-15 अक्टूबर, 2016 को बाल संरक्षण कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में बाल तस्करी

की रोकथाम हेतु बाल संरक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं में वर्ष 2017 में अवैध मानव व्यापार की रोकथाम पर बल दिया गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा दिनांक 04.12.2017 से दिनांक 08.12.2017 तक एवं दिनांक 15.01.2018 से दिनांक 19.01.2018 तक मानव तस्करी के सम्बन्ध में 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' (टी.ओ.टी.) कोर्स का आयोजन रखा गया। राजस्थान पुलिस प्राथमिकताएँ वर्ष 2019 में संगठित अपराधें के विरुद्ध हार्डकोर / केस ऑफिसर इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। साथ ही, बालकों को बालश्रम से मुक्त करने के लिए 'ऑपरेशन मिलाप' चलाया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस के प्रयास – दिल्ली पुलिस द्वारा अलग से महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्पेशल पुलिस यूनिट एवं जुवेनाइल जस्टिस यूनिट का गठन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'हिम्मत' नामक सुरक्षा एप्प की शुरुआत की गई है। साथ ही, मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों को इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। कई आपराधिक गैंग, जो वेश्यावृत्ति, बालश्रम एवं वेश्यावृत्ति के लिए बॉर्डर क्रॉस के मामलों में लिप्त पाए गए, उनके विरुद्ध दिल्ली पुलिस की मानव तस्करी रोधी इकाई द्वारा कार्रवाही की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा अपने कार्मिकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाकर पुलिसकर्मियों को इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को इग्नू के मानव तस्करी रोधी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में नामांकित किया गया है।

सुझाव

अवैध मानव व्यापार की रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं–

- पुलिस कर्मचारियों को अवैध मानव व्यापार के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अवैध मानव व्यापार के पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार एवं मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के तरीकों का समावेश किया जाना चाहिए।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका सं. 75/12 'बचपन बचाओ आन्दोलन' बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 10.05.2013 को यह आदेश दिया है कि बच्चों की गुमशुदगी के प्रत्येक प्रकरण को पुलिस द्वारा प्रारम्भिक तौर पर यह माना जाए कि गुमशुदा बच्चे का अपहरण/मानव तस्करी किया गया है। थानाधिकारी द्वारा मानव तस्करी से संबंधित प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट अविलम्ब दर्ज की जाए।

- पुलिस द्वारा दबिश देते समय विशेष पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य एवं अन्य समुदायों के व्यक्ति शामिल होने चाहिए ताकि मानव तस्करी से पीड़ित लड़की या मानव तस्करों के विरुद्ध कथन दर्ज करवा सके।

- पुलिस को काउंसलिंग एवं पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए।

- पुलिस द्वारा जनता में मानव तस्करी के विरुद्ध जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

- पुलिस द्वारा मानव तस्करी की रोकथाम के न्यूनतम मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए क्योंकि भारतवर्ष को संयुक्त राज्य अमेरिका की 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' 2018 में टीयर 2 के राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत के सम्बन्ध में कहा

है कि भारत सरकार मानव तस्करी के लिए बने कानूनों एवं नियमों के न्यूनतम मानकों को पूरी तरह नहीं मान रही है, लेकिन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रही है।

- भारत में मानव तस्करी की जाँच, मुकदमे और दोष-सिद्धि 'असमान रूप से कम' है जैसा कि अमेरिकी विदेश विभाग ने 2018 के लिए अपनी वार्षिक 'ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट' में भारत से आग्रह किया है कि वह बंधुआ और जबरिया मजदूरी समेत सभी प्रकार की तस्करी के लिए मुकदमे और दोष-सिद्धि को बढ़ाए।

- सरकार को आम जनता में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी के भरपूर प्रयासों के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर कठोरता से रोक लगाई जानी चाहिए।

- पुलिस सुधार अपने आप में समसामयिक मुद्दा है। पुलिस को जवाबदेह एवं प्रतिबद्ध बनाने की जरूरत है ताकि पुलिस को मानवाधिकारों के प्रति सचेत किया जा सके।

- सामुदायिक पुलिस पद्धति एवं पुलिस बीट प्रणाली को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए।

- जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों के स्टाफ को बस स्टैण्डों, ढाबों, कल-कारखानों, होटलों, दुकानों एवं स्कूलों के आस-पास प्रतिदिन निगरानी रखनी चाहिए। मानव तस्करी रोधी इकाइयों को आवंटित वाहनों का प्रयोग केवल इस निमित्त उद्देश्य के लिए होना चाहिए।

- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इमिग्रेशन विभाग को हवाई यात्रा/अड्डों पर नजर रखी जानी चाहिए। दस्तावेजों की अच्छी तरह से जाँच कर हवाई यात्रा की अनुमति दी जानी चाहिए।

- पुलिस कर्मियों को इन मुद्दों से संबंधित सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए।

- राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पालन कर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एवं स्टेशन मास्टर को कुली, विक्रेता, सफाईकर्मी के साथ यात्रियों को भी मानव तस्करी की रोकथाम के बारे में समझाना चाहिए क्योंकि वे पूरे स्टेशन पर घूमते रहते हैं। इसकी एक व्यवस्थित अनाउंसमेंट होनी चाहिए एवं इस बाबत एक रजिस्टर स्टेशन मास्टर को संधारित करना चाहिए, जिसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कितने बच्चों को सुरक्षित मुक्त करवा कर एन.जी.ओ. के सुपुर्द किया गया।

- मानव तस्करी (निरोध, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक 2018, जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, को राज्यसभा द्वारा अविलम्ब पारित किया जाना चाहिए।

- स्मार्ट पुलिस मॉडल अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए।

- पुलिस आसूचना तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारतीय पुलिस को अभी तक अवैध मानव व्यापार की रोकथाम की दिशा में लम्बी यात्रा करनी है। हालांकि विभिन्न राज्यों की पुलिस के प्रयास बड़े ही सराहनीय रहे हैं। वर्तमान में हमें आम जनता के मध्य पुलिस की भ्रष्टाचार की छवि को बदलने की महती जरूरत है। जहाँ तक मेरी सोच है, भ्रष्टाचार की अवधारणा को बदले बगैर पुलिस कर्मचारियों को अवैध मानव व्यापार के प्रति संवेदनशील नहीं बनाया

जा सकता। जैसाकि वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के Department of States द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारी मानव तस्करों एवं वेश्यालयों के मालिकों का बचाव करते हैं एवं उनसे रिश्वत लेते हैं। भारत में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप के फलस्वरूप नेपाल के रास्ते कई नेपाली महिलाओं एवं बालिकाओं का वेश्यावृत्ति के लिए आगमन भी एक चिंतनीय मुद्दा रहा है। गरीबी एवं बेरोजगारी इस घिनौने अपराध के लिए जिम्मेदार है एवं शिक्षा की कमी भी इस अपराध में लिप्तता को बढ़ावा दे रही है। हालांकि पुलिस ने गैर सरकारी संगठनों, बी.एस.एफ. एवं एस.एस.बी. के साथ मिलकर इस अपराध से निपटने के लिए अपनी रणनीति बनाई है, जो काफी हद तक सफल रही है। फिर भी, अवैध मानव व्यापार के रोकथाम की प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इनमें 'तीन पी' की इच्छाएँ शामिल है, जिसमें पुलिस अभियोजन पक्ष, राजनीतिक एवं लोक इच्छा का होना बहुत ही जरूरी है ताकि सही अर्थों में पुलिस विभाग के प्रयास संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें।

संदर्भ ग्रंथ -सूची

- वीरेन्द्र मिश्रा (2016), मानव तस्करी से संघर्ष नीति और कानून में कमियां, नई दिल्ली सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
- इग्नू मानव तस्करी रोधी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का साहित्य।
- वार्षिक रिपोर्ट (2015-16) गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
- वार्षिक रिपोर्ट (2016-17) गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली
- Trafficking In Persons Report (June, 2018), United States of America Department of States.
- Annual Report (2015-16) , National Crime Record Bureau, New Delhi.
- Annual Report (2016-17) , National Crime Record Bureau, New Delhi.
- हमारा संविधान भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 2012
- राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लैटर, जुलाई-सितम्बर, 2015
- राजस्थान पुलिस अकादमी न्यूज लैटर, अक्टूबर - दिसम्बर, 2016
- मानव तस्करी : वॉच लिस्ट से हटा भारत का नाम वेब दुनिया, सोमवार, 13 मार्च 2019
- 'दैनिक सवेरा टाइम्स' जून 30, 2018

वेबसाइट्स

https://www.state.gov

http://mha.nic.in

http://uphome.gov.in

http://ncrb.gov.in

http://home.rajasthan.gov.in/rpa

http://www.wcd.nic.in/

http://spuwac.com/

https://is.muni.cz/

http://assets.vmou.ac.in/MAPA03.pdf

http://www.dpjju.com

http://ncw.nic.in/pdfreports/human_right_violation_of_victims_of_trafficking.pdf

❑